पंचम माला, खंड 63, अंक 10, मंगलवार, 24 अगस्त, 1976/ 2 भाद्र, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LXIII, No. 10, Tuesday, August 24, 1976/Bhadra 2, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[सत्रहवां सत्र
Seventeenth SESSION]

5th Lok Sabha

[खंड 63 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपय
Price: Two Rupee

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 10, मगलवार, 24 अगस्त, 1976 / 2 भाद्र, 1898 (शक)

No. 10, Tuesday, August 24, 1976/Bhaadra 2, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	Oral Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 181, 183 से 185, 187 से 190 और 192	Starred Questions Nos. 181, 183 to 185, 187 to 190 and 192 . . .	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 182, 186, 191 और 193 से 200	Starred Questions Nos 182, 186, 191 and 193 to 200	21—26
अतारांकित प्रश्न संख्या 1295 से 1347, 1350 से 1366 और 1368 से 1409	Unstarred Questions Nos. 1295 to 1347, 1350 to 1366 and 1368 to 1409 .	26—86
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	86—87
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha . . .	87
विधेयक—पुर:स्थापित	Bills—introduced	
(1) मैटल कारपोरेशन राष्ट्रीयकरण तथा प्रकीर्ण उपबन्ध, विधेयक	(1) Metal Corporation (Nationalisation and Miscellaneous Provisions) Bill .	87—88
(2) धोती (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) निरसन, विधेयक	(2) Dhoties (Additional Excise Duty) Repeal Bill	88
(3) कम्पनी (संशोधन) विधेयक	(3) Companies (Amendment) Bill .	89
(4) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक	(4) Advocates (Amendment) Bill .	89
(5) लक्ष्मी रत्तन एण्ड एथरटन वेस्ट काटल मिल्स (प्रबन्धग्रहण) विधेयक	(5) Laxmirattan and Atherton West Cotton Mills (Taking over of Management) Bill	89—90
मैटल कारपोरेशन (राष्ट्रीयकरण तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement *re.* Metal Corporation (Nationalisation and Miscellaneous Provisions) Ordinance	88
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav . . .	87—88

†किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
लक्ष्मीरत्तन एण्ड एथरटन वेस्ट काटन मिल्स (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement *re.* Laxmirattan and Atherton West Cotton Mills (Taking over of Management) Ordinance	90
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadhyaya	90
बर्न कम्पनी और इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक और ब्रैथवेट एंण्ड कम्पनी (इंण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक	Burn Company and Indian Standard Wagon Company (Nationalisatin) Bill and Braithwaite and Company (India) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill	90—104
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	91—92
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	92
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	92—94
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	94—95
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	95—96
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	96—97
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	97
श्री चपलेन्दू भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	98—99
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B.P. Maurya	99—101
खण्ड 2 से 34 और 1	Clauses 2 to 34 and 1	102
बर्न कम्पनी और इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक	Burn Company and Indian Standard wagon Company (Nationalisation Bill)	102
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass—	
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B.P. Maurya	102
खण्ड 2 से 33 और 1	Clauses 2 to 33 and 1	103
ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक	Braithwaite and Company (India) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill	103
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass—	
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B.P. Maurya	103,104
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	103—04

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
दिल्ली विक्रय कर (संशोधन और विधिमान्य करण) विधेयक	Delhi Sales Tax (Amendment and Validation) Bill	104
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider—	
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukerjee—	104—06, 107
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	106
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda	106—07
श्री बी० वी नायक	Shri B.V. Naik . . .	107
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	108
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 :	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass—	
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee .	108
पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) विधेयक	Antiquities and Art Treasures (Amendment) Bill	109—117
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
प्रो० एस० नुरूल हसन	Prof. S. Nurul Hasan .	109—110, 114—16
श्री के एम० मधुकर	Shri K.M. 'Madhukar' . . .	110—11
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . . .	111
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo	112
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	113
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	113—14
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik . . .	114
खण्ड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1 . . .	116—17
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass—	
प्रो० एस० नुरूल हसन	Prof. S. Nurul Hasan . . .	117
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक	Essenial Commodities (Amendment) Bill .	117
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A.C. George	117—18
सभा का कार्य	Business of the House . . .	118

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 24 अगस्त, 1976/2 भाद्र, 1898 (शक)

Tuesday, August 24, 1976/Bhadra 2, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की पाइप लाइनों से तेल की चोरी

*181. श्री आर० के० सिन्हा : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की पाइप लाइनों से तेल की चोरी करने के लिये पिछले एक वर्ष में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(ख) क्या ये व्यक्ति इस प्रकार चुराये गये तेल को कुछ मिलों को बेचा करते थे ; और

(ग) ऐसे मिलों के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (ग). ओ० एन० जी० सी० के मेहसाना प्राजेक्ट के कुएं को जोड़ने वाली पाइप लाइन से कच्चे तेल की चोरी की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें ओ० एन० जी० सी० के मेहसाना प्राजेक्ट के एक मोटर ट्रक ड्राइवर सहित 6 आदमी शामिल थे । उन सभी को 19-20 अप्रैल, 1976 को या उसके आस पास पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था । जांच पर पता चला कि तेल के कुछ बैरल चुराये गये थे और चावल के मिल में ले जाया गया तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के ड्राइवर जो निलम्बित हैं, के भाई द्वारा जारी किये गये प्रिण्ट किये गये कैश मिमों के अन्तर्गत तेल बेचा गया । इस मामले की अहमदाबाद गुप्तचर विभाग की अपराध शाखा द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री आर० के० सिन्हा : महोदय यह कहा गया है कि ड्राईवर के भाई ने प्रिण्ट किये गये कैश मिमों जारी किये थे । इसका अर्थ यह हुआ कि और भी कैश मिमो थे। तेल के कैश मिमो के माध्यम से तेल बेचने की नियमित आदत थी और पाइपलाइन से तेल की चोरी काफी मात्रा में की जाती

थी । इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री का ध्यान 23 अप्रैल के नवभारत टाइम्स में छपे समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि न केवल 300 लीटर तेल चुराया गया था बल्कि जहां पर पहले स्टाक का पता चला था वहां पर समीप ही एक कमरें से 3800 लीटर तेल मिला। इसमें यह भी कहा गया है कि बाद में 3600 लीटर तेल की चोरी की गई और उसे पटेल राइस मिल्स तथा सावन राइस मिल्स को दिया गया अर्थात एक नहीं तेल दो मिलों को दिया गया और प्रश्न के उत्तर में केवल एक मिल का ही उल्लेख है । मैं उनसे इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री केशव देव मालवीय : महोदय, यह सारा मामला पुलिस के पास चला गया है । सी० आई० डी० जांच कर रही है और वह इस स्तर पर सूचना बताने में हिचकिचा रहे हैं । स्पष्ट है कि हम इस सम्बन्ध में अत्यधिक चिन्तित है । मेरा सन्देह यह है और माननीय सदस्य का भी सन्देह होगा कि शायद इसमें कुछ अधिक गडबड़ है । अतः जितना अभी पता लगाया जा सका है, हमें अब थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी चाहिये कि सी० बी० आई० की रिपोर्ट क्या कहती है ।

श्री आर० के० सिन्हा : मैं केवल माननीय मत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सत्य है कि हल्दिया बारौनी कानपुर पाइपलाईन पर मिर्जापुर और इलाहाबाद के बीच कुछ स्थानों पर पाइपलाइन से तेल चोरी होने के कई मामले हुए हैं ? अगर हां, तो मंत्री महोदय हमें उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं ? पांच अथवा छः वर्ष पहले जब बड़े पैमाने पर तेल चोरी का समाचार मिला था तब औद्योगिक सुरक्षा समिति ने पेट्रोलियम मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी थी कि जिसमें पाइप लाईनों के सम्बन्ध में पूर्वोपाय करने तथा आवश्यक सतर्कता बरतने के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की गई थीं । मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि उस समिति की सिफारिशों के अनुसार क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री केशव देव मालवीय : पहली बात तो यह है कि यह प्रश्न मेहसाना में चोरी हुये तेल के बारे में है .....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रश्न से मेहसाना का कहीं उल्लेख नहीं है ।

श्री केशव देव मालवीय : पूर्वी भाग में अन्य स्थानों पर हो रही तेल चोरी के सम्बन्ध में हमें समाचार मिले हैं और कुछ पूर्वोपाय भी किये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह प्रश्न इस बारे में है कि "पिछले एक वर्ष में ओ० एन० जी० सी० के पाईप लाईनों से तेल चोरी के सम्बन्ध में जितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये....." । इसमें मेहसाना के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । अन्य स्थानों के लिये भी मंत्री महोदय के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री केशव देव मालवीय : हमने पूछताछ की और दो या तीन सूचनाएं ही मिल सकीं । अब हम पूर्वोपायों के बारे में तथा उसके परिणामों के बारे में विस्तृत तौर पर जांच कर रहे है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पूर्व और पश्चिम दोनों ओर तेल की चोरी होती रही है ।

1975 की ग्रीष्म ऋतु में श्री बी० सी० जैन का एक टैंकर उतराई के स्थान पर आया और उसमें तेल की मात्रा कम पायी गई । एक व्यक्ति श्री बी० एल० पौदार के पांच टैंकर जिसमें कुल 35 के० एल० तेल था उतराई स्थान पर आये ही नहीं । इस प्रकार पूर्व और पश्चिम में चोरी करने के कई तरीके अपनाये गये हैं । यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है क्योंकि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं । सरकार आवश्यक कदम उठा रही है । मैं और पुछताछ करके सदन को अभी तक की गई कार्यवाही तथा भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सूचित करूंगा ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समिति की सिफारिशों का क्या हुआ ?

श्री केशव देव मालवीय : मैं इन्हें देखूंगा ।

श्री बसन्त साठे : यह एक बड़ा ही गम्भीर मामला है । जब तेल मंत्री देश के लिये तेल भंडार और अतिरिक्त तेल पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो हमें इस प्रकार की स्थिति का पता चलता है । एक तरफ तो आप नये तेल लेने का प्रयास कर रहे है और दूसरी ओर आप तेल की चोरी होने देते हैं ? इससे देश का लाभ कैसे होगा ?

श्री मूल चन्द डागा : यह देश में ही रहेगा ।

श्री बसन्त साठे : यह पुनः गायब हो जायेगा । तब आपको इसकी पुनः खोज करनी पड़ेगी । जब आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है तो मुझे विश्वास है कि यह आपको इससे परेशानी तो नहीं हो रही आपके पास आंकड़े होंगे और आप उन्हें बता दीजिये । एक वर्ष में चोरी हो जाने से तेल में कितनी कमी आ जाती है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस हानि का मूल्य क्या है ?

श्री बसन्त साठे : कितने की हानी होती है ? अगर इन दो बातों का उत्तर दिया जाये तो इस विषय में कुछ सीमा तक हमारा ज्ञान बढ़ सकता है ।

श्री केशव देव मालवीय : मैं सदन की इस मामले पर चिन्ता से सहमत हूं । यह सच है कि तेल की चोरी होती रही है और हम इसे रोकने में असफल रहे हैं । इस सम्बन्ध में अधिकारियों ने भी लापरवाही दिखाई है । मैं यही कह सकता हूं कि हम अधिक सतर्क हो जायेंगे क्योंकि तेल की चोरी होती रहती है, ऐसा मैं सदन में नही कह सकता कि अब चोरी नहीं होगी ।

श्री बसन्त साठे : हम ऐसा नहीं कह रहे हैं ।

श्री केशव देव मालवीय : हम हर सम्भव प्रयत्न करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : वह सदन द्वारा व्यक्त चिन्ता से सहमत है और उन्होंने हर सम्भव कदम उठाने का वचन दिया है ।

श्री बसन्त साठे : मैंने आंकड़ों के बारे में एक प्रश्न पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : बाद में ।

श्री हरि किशोर सिंह : न केवल पाइप लाईनों से ही बल्कि रिफाईनरी से भी विशेषकर बरौनी में तेल की चोरी होती रहती है । इस सम्बन्ध में यह पूछना चाहता हूं कि तेल चोरी के

मामले में पुलिस के साधारण मामलों की तरह अथवा आंसुका के अन्तर्गत दर्ज कराये जाते है। अगर आंसुका के अन्तर्गत दर्ज नहीं कराये जाते तो इसका क्या कारण है ?

श्री केशव देव मालवीय : बरौनी तेल शोधक कारखाना है मैं यह भी स्वीकार करता हुं कि बरौनी में भी तेल की चोरी होती है। हम हर सम्भव प्रयास कर रहे है। गरारा रेल केन्द्र तथा बरौनी तेल शोधक कारखाने में कुछ श्रमिकों के विरुद्ध श्रमिक नेताओं के विरुद्ध तथा अधीनस्थ व्यक्तियों के विरुद्ध अनेक मामलों का पता चला है। इस सम्बन्ध में पता लगाया जा रहा है। रेलवे पुलिस और हमारे लोगो के बीच हाथापाई भी हुई है। यह सब हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रमिकों ने चोरी की है ? उसमें आपके अधिकारियों की भी सांठ गांठ होगी।

श्री केशव देव मालवीय : मैंने "अधिकारियों" शब्द का भी प्रयोग किया है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

तटदूर बसई स्थित स्ट्रक्चरों में तेल पाया जाना

*183. **श्री पी० गंगादेव** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को मई-जून, 1976 में, तीन तट दूर बसई स्थित स्ट्रक्चरों में से दूसरे में तेल मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नये स्थान पर अब तक भारत में पाये गये तेल तथा गैस की तुलना में सर्वाधिक तेल और गैस की तह मिली है ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में बाम्बे हाई की तुलना में दुगना उत्पादन होने की सम्भवना है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में तेल हेतु छिद्रण-कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क). दक्षिण बेसिन संरचना पर खोदे गये कुंए में ओ० एन० जी० सी० को वाणिज्यिक मात्रा में गैस का तथा गैस जोन से नीचे सारभाग में कुछ तेल प्रति-दीप्ति के संकेत मिले हैं।

(ख) आशा की जाती है कि यह भारत में सबसे बड़ा हाईड्रोकार्बन भंडार सिद्ध हो सकता है।

(ग) इस विषय में इस समय कोई प्रकथन करना कठिन है।

(घ) बेसिन संरचना पर खोदे गये दो कुंओं में तेल प्राप्त हुआ है। जबकि दक्षिण बेसिन संरचना पर कोई और कुंआं नहीं खोदा गया है इस क्षेत्र की उत्पादकता का निर्धारण करने के लिये बेसिन संरचना के फ्लैट पर कुछ और कूएं खोदे जायेंगे। इनमें से एक खोदा गया है और दूसरे की खुदाई जारी है।

श्री पी० गंगादेव : यह देश के लिये शुभ समाचार है कि नये कुंओं से भारत में सबसे बड़ा हाइड्रो-कार्बन भण्डार सिद्ध हो सकता हैं । अतः देश को तेल में आत्म-निर्भर बनाने और इस सम्बन्ध में समुद्र तल में तेल की खोज की खुदाई की दृष्टि से क्या मैं पूछ सकता हूं कि समुद्र तल में तेल की खुदाई के लिये अब तक कितना निदेश किया गया है तथा इससे कितने प्रतिशत सफलता मिलेगी ? भारत के बाहर जैसे ईरान में इस प्रकार की गतिविधियों की तुलना में इस सफलता को कैसे आंका जा सकता है ?

श्री केशव देव मालवीय : अनेक प्रश्न पूछ डाले गये हैं । प्रति कुंएं से समुद्र तट तथा समुद्र तल के तेल का उत्पादन ईरान में प्रत्येक कुएं के उत्पादन से बहुत कम है किन्तु तेल की खोज में मिली, सफलता का प्रतिशत विश्व में भारत में सबसे अधिक है । उदाहरण के लिये, जहां तक समुद्र तल में कुंए की खुदाई का सम्बन्ध है केवल तीन कुएं शुष्क निकले हैं । दो कुएं पिछले वर्ष के तूफान में खो दिये गए शेष 11 अथवा 12 कुओं में केवल गैस या तेल हैं । मैंने तथ्य बता दिये हैं । मेरा यह कहना कि बेसिन में सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन भण्डार मिला है तो इसका यह अर्थ है कि यह 100 मीटर मोटा लाइम स्टोन है जिससे हमें तेल अथवा गैस अथवा दोनों ही वस्तुएं प्राप्त होगी । इसलिए मैंने हाईड्रो-कार्बन शब्द का प्रयोग किया है । यह भी सम्भव है कि लाइम स्टोन इतना पक्का हो कि किन्हीं भागों से हम कुछ उत्पादन कर सकेंगे । अतः यह विचार है कि इससे हमें गैस और तेल दोनों ही प्राप्त होंगे किन्तु इस समय मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

श्री पी० गंगादेव : माननीय मंत्री एक विशेषज्ञ है अतः मैं उनसे अन्य तेल उत्पादक देशों की तुलना में भारत में आने वाले उत्पादन मूल्य का एक सामान्य अनुमान जानना चाहता हूं ।

श्री केशव देव मालवीय : उत्पादन मूल्य बताना भी इस समय सम्भव नहीं है । मैं केवल यही कह सकता हूं कि अन्य स्थानों के साथ भारत में उत्पादन मूल्य सम्बन्धी आंकड़े की तुलना खूब की जा सकती हैं यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि हम प्रति कुआं कितना तेल प्राप्त करते हैं । अगर हमारे यहां एक तेल क्षेत्र से उतना तेल नहीं मिलता जितना साऊदी अरब के एक कुएं से तो स्थिति एक दम बदल जाती है ।

श्री शंकरराव सावंत : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बेसिन स्ट्रकचर बम्बई तथा बम्बई हाई से कितना दूर है ?

श्री केशव देव मालवीय : बम्बई से यह 60 से 62 किलोमीटर दूर है और बम्बई हाई से 100 या 110 किलोमीटर दूर है। इसके बीच में भी हमें कुछ तेल के कुएं मिले हैं ।

श्री एस० आर० दामाणी : यह बड़े सन्तोष की बात है कि तेल प्राप्त करने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जिन कुओं को अब तक खोदा गया है उनमें से कितने कुएं व्यापारिक रूप से लाभकारी सिद्ध हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है ।

श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में भाग लिया जाना

*184. श्री एनं० ई० होरो :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन ने प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिए जाने के मामले में कोई प्रगति की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोग का क्या परिणाम निकला और इस योजना को किस स्तर तथा कौन-कौन से विभागों में लागू किया गया है; और

(ग) जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसके संदर्भ में इस प्रयोग के क्षेत्र विस्तार करने हेतु प्रशासन की क्या योजनायें हैं ?

रेल संत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें यह सूचना दी गई हैं ।

विवरण

रेलों पर कर्मचारियों और प्रबन्धकों की विभिन्न समितियों की मार्फत रेल कर्मचारी काफी हद तक रेलों की गतिविधियों में पहले से ही भाग ले रहे हैं ।

निर्माण तथा खनन उद्योगों में कारखाना तथा संयंत्र स्तर पर कर्मचारियों को शामिल करने के सरकार के विनिश्चय के अनुसार तीनों उत्पादन यनिटों अर्थात् चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, डीजल रेल इंजन कारखाना और सवारी डिब्बा कारखानें के महाप्रबन्धकों को इस आशय की हिदायतें दी गई थीं कि वे सम्बन्धित उत्पादन कारखाने के लिए उपयुक्त संख्या में कर्मशाला परिषदों (शाप कौंसिल) और एक संयुक्त परिषद का गठन करें । तदनुसार इन तीनों कारखानों में कर्मशाला परिषदें और संयुक्त परिषदें मार्च, 1976 तक काम करने लग गई थीं । आगे की कोई और कार्रवाई करने से पहले इस योजना के संचालन पर कुछ समय के लिए निगाह रखनी पड़ेगी ।

Shri Sukhdeo Prasad Verma : It has been stated in the statement that shop Councils and Joint Councils have been set up in three production units viz. Chittaranjan Locomotive Works, Diesel Locomotive Works and Integral Coach Factory in March 1976. May I know the progress made by them in their work ? In case these systems are functioning efficiently and making progress, may I know whether similar Councils are proposed to be set up in other departments of the Railways and if so when and if not, the reasons therefor ?

Shri Buta Singh : It has been clearly stated in the statement that the Councils where they have been set up, are functioning satisfactorily. A Conference of the C.P. Os. of all the Railways was held in Calcutta on the 4th of this month and the Conference took note of this fact and recommended retention of this system. A scheme is being chalked out in this regard.

Shri Sukhdeo Prasad Verma : I wanted to know the percentage progress achieved in administrative and other ones. You have introduced this system in three or four factories. There are several departments in the Railways. Whether you propose to introduce this system at divisional level and at other places? If so, when ?

Shri Buta Singh : It is difficult to indicate the percentage at the moment, because we calculate that percentage progress at the end of the year. I would like to inform the hon. Member that we received instructions from Labour department in October,

1975 that this scheme should be introduced in mining industries and manufacturing units. In compliance with these instructions, we have for the time being introduced this Scheme in production units only. As I have said, a conference of C.P.Os. was held in Calcutta this month and we are thinking of extending this system in accordance with the decision taken therein.

Shri Sukhdeo Prasad Verma : My second question is this. What decision was taken at this Conference and by what time you propose to implement that dicision ?

Shri Buta Singh : Sir it was decided in the Conference that a uniform pattern should be intrduced in all the Zonal railways and workshops. We are preparing outlines for introducing the system accordingly.

Shri Rajendra Prasad Yadav : Mr. Speaker, Sir, it is a well known fact that there is union rivalaries in the railways and we have seen the result of this rivalary in 1974. As regards representation of labour, it is allowed on the basis of Unions. The Minister has repeatedly said that there will be only one union for one industry which shall be given recognition. Will the Minister ensure that a system in which the entire labour gets representation and the principle of one union for one industry is acted upon ?

Shri Buta Singh : Sir, this is a peculiar question which relates to unions. So long as the unions themselves are enable to unite it would not perhaps be possible for us to take a decision in this regard.

Shri Ramavtar Shastri : Mr. Speaker, Sir it is more than a year when the slogan to give labour participation in management was given. But the railway administration have so far been able to introduce this only in three units, which makes it evident that the progress in this regrd is being made at a very low speed. May I know the organisations whose representatives have been given participation in the management and the Governments policy in regard to associating with management the organisations which are not recognised ? What programme has been chalked out in this regard and by what time you propose to implement the same

Shri Buta Singh : Sir, the Hon. Member is a labour leader. He knows everything and still he is putting such a question. There is an Apex body at national level in which three representatives of each recognised union are included, and there is one Member in it each from the Railway Officers Federation and the Raiway Board. This is at National level. Then there is a P.N.M. and a J.C.M. They are also included in benefit fund Committees, canteen Management Advisory Committee, Staff Welfare and Housing Committee etc. at zonal and divisional railways levels. This such Committees are functioning at different levels. The orders issued for setting up Councils in three production units are based on the instructions given to us by the scheme department under the 20 point programme.

रेल गाड़ियों में दिये जाने वाले भोजन की किस्म में सुधार लाने की कार्यवाही

†185. **श्री के० लक्कप्पा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलगाड़ियों में दिये जाने वाले भोजन की किस्म में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) खान-पान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को कहां तक लागू किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) गाड़ियों में दिये जाने वाले भोजन की किस्म मे सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं —

(i) महत्वपूर्ण मार्गों के स्टेशनों पर स्थापित किए गए मूल रसोई घरों से "परोसने के लिए तैयार" भोजन गाड़ियों में सप्लाई करने की प्रणाली शुरु

की गई है। इस योजना के अन्तर्गत मूल रसोई घरों में स्वास्थ्यप्रद वातावरण में तैयार किया गया भोजन इन्सुलेटेब ट्रालियों में रखकर पैंट्री कारों को सप्लाई किया जाता है। जहां इसे गरम पेटियों में रख दिया जाता है और मार्ग में यात्रियों को गरम-गरम परोस दिया जाता है। चाय और काफी गरम रखने के लिए थरमोस बोतलो में दी जाती है।

(ii) खान-पान सेवा में सुधार करने के लिए खान-पान यूनिटो में आधुनिक पाक विधियो तथा गरम पेटियों, इन्सुलेटेड ट्रालियों, "इडली" पीसने की मशीनों आदि जैसे आधुनिक उपस्करों का प्रचलन शुरु किया गया है।

(iii) विभागी खान-पान कर्मचारियों को बारी-बारी से बम्बई के खान-पान संस्था में प्रशिक्षण दिया जाता है।

(iv) विभागीय खान-पान यूनिटों द्वारा अच्छी किस्म का सामान खरीदा जाता है और आटा, मैदा, गेहूं चावल आदि जैसी आवश्यक वस्तुएं सरकारी स्रोतों से खरीदी जाती हैं।

(v) पैंट्री कारों में धुएं की बुराई को दूर करने के लिए गैस के चूल्हे लगाकर और कारों की भीतरी दीवारो पर लैमिनेटेड चद्दरों की कोर आदि लगाकर उनके ढांचे में परिवर्तन करने का काम शुरु किया गया है ताकि उनकी सफाई में सुधार किया जा सके।

(vi) स्वास्थ्यप्रद किस्म के पोलीथीन के लिफाफों में बंद किया हुआ कम कीमत वाला भोजन सप्लाई करना भी अनेक स्टेशनो पर शुरु किया गया है।

(vii) प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा अच्छे स्तर की खान-पान व्यवस्था का प्रबन्ध कराने के उद्देश्य से अनुभवी और उपयुक्त खान-पान व्यवस्थापकों को रेलवे के खान-पान ठेकेदारो के रूप में चुना जाता है। अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से उसके काम का निरीक्षण किया जाता है। ठेकेदारो के विरूद्ध मिलने वाली सभी शिकायतो की जांच की जाती है और उन्हें फिर से न होने देने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(viii) विभाग द्वारा तथा ठेकेदारों द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न खान-पान खोमचा यूनिटों में अचानक जांच की जाती है।

(ख) रेलवे खान-पान और यात्री सुविधा समिति 1976 की रिपोर्ट के भाग 1 में खान-पान व्यवस्था पर 38 टिप्पणियां और सिफारिशें की गई थी। इनमें से एक (मद सं० 24) को छोडकर सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं और लागू कर दी गई थीं। मद सं० 24 का सम्बन्ध खान-पान कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों से था। इसे तीसरे वेतन आयोग की अंतिम सिफारिश के लिए अनिर्णीत रखा गया था। वेतन आयोग ने कुछ वेतनमानों को मिला देने और भण्डार क्लर्कों, वरिष्ठ बैरो आदि के वेतनमानो में सुधार करने का सुझाव दिया था। खान-पान कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की पर्याप्त सारणि मौजूद है जो 700–900 रुपये (सं० वे०) के वेतनमान तक जाती है। यह सामान्यतः

उच्चतम अराजपत्रित वेतनमान हैं। इस के अलावा खान-पान विभाग में उच्चतर ग्रेड के अनेक पद भी हाल ही में मंजूर किये गये हैं।

श्री के० लकप्प : मंत्री जी ने कहा है कि एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। पर मेरा प्रश्न रेल गाडियों में दिये जाने वाले खाने की किस्म को सुधारने के बारे में था। रेल सबसे बड़ा एक सौ वर्ष से भी अधिक पुराना सार्वजनिक उपक्रम है। इसकी अपनी साख है। इससे लाखों लोग यात्रा करते हैं। अभी तक 1967 में जो एक समिति नियुक्त की गई थी, उसने खान-पान व्यवस्था में सुधार करने के लिए कतिपय सिफारिशें की थीं। इन सुझावों पर भी पूरी तरह अमल नहीं किया गया है। यदि इनका क्रियान्वयन हुआ भी है तो केवल कागजो पर।

हाल ही में श्री कुरेशी ने कहा है कि लाखों यात्रियो के लिए जो खानपान व्यवस्था है। उसमें सुधार कर रहे हैं, पर उसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। खाना अच्छा नहीं मिलता। स्टेशनों पर पीने को पानी तक नहीं मिलता। समिति द्वारा जिन मार्गोपायो का सुझाव दिया गया है। उन पर पूर्णतः अमल नहीं किया गया है। कुछ क्षेत्रीय खानपान
ं बनाई गई हैं जिन्होंने सफ़ाई के बारे में सिफ़ारिशें की हैं। सरकार ने स्वच्छता के सम्बंध में क्या कदम उठाये हैं? तथा खाने की किस्म सुधारने के लिए सरकार ने हाल में कौन से उपाय किये है।

Shri Buta Singh: According to me your question is that the recommendations contained in the report have not been implemented. If the Hon. Member may go through the statement he will find that all the 38 recommendations made have been implemented only the 24th recommendation is being considered.

श्री के० लकप्पा : रेल यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से खान-पान व्यवस्था में सुधार लाने के लिए मर्गोपायों का सुझाव देने हेतु क्या मंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर संद सदस्यों की एक निगरानी समिति नियुक्त करेंगे ?

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : आपके सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री मधुर्य हाल्दर : खाने की चीजों में सुधार लाने की दृष्टि से मंत्री जी हावड़ा खान-पान प्रबंध के खिलाफ़ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? दिल्ली से हावड़ा तक हमें एक कप अच्छी चाय भी नहीं मिलती। चाय की किस्म को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि आप कालका मेल से यात्रा करें तो आपको पता लगेगा कि ठेकेदार कितना घटिया किस्म का खाना देते ह्। अच्छे किस्म का खाना मिले इसके लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है ?

श्री बूटा सिंह : यदि आप सभा पटल पर रखे गये विवरण को ध्यानपूर्वक पढे तो आपको मद 7 से पता चलेगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राइवेट ठेकेदार अच्छे किस्म का खाना दें। रेलों में अनुभवी और उपयुक्त कंट्रेक्टर चुने जाते हैं। उनके कार्य का अधिकारियों और निरीक्षकों के द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। ठेकेदारों के खिलाफ़ जो शिकायतें आती हैं उनकी छानबीन की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : खाने के बारे में विशिष्टि शिकायत है। आप उसकी जांच करें ।

श्री बूटा सिंह : चूकि एक विशिष्ट शिकायत की गई है, मैं इसकी जांच करूंगा ।

Shri Malkt Raj Saini : Will the Minister be pleased to state whether Government are aware that there are two types of arrangements for catering—departmental catering and private catering ? Whether the reason for supplying inferior food by privare contractors is that they have to spend a lot in getting the contract and then the inspecting staff has to be supplied foodfree of cost in order to convience them ? If so, the steps proposed by Government to stop this practice ?

Shri Buta Singh : As I have said a special drive was launched in which 1723 raids were made in Departmental Captering Units as well as in private contractors' Caterng units. As a result 347 contractors were prosecuted, 112 were fined and 133 were removed. Thus it has been our constant endeavour to ensure hat good qulity food is served and that it is served in prescribed quantity.

डा० हेनरी आस्टिन : मेरा अपना अनुभव यह है कि रेलों में जो खाना दिया जाता है वह संतोषजनक नहीं होता है। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसकी छान-बीन करने का आश्वासन दिया है पर मैं कुछ सम्बद्ध बातें कहना चाहूंगा। रेलों में खान-पान व्यवस्था तब तक नहीं सुधर सकती जब तक वर्तमान ढांचा बना रहेगा। अधिकांश लोग जो खाना देते हैं; कमीशन के आधार पर काम करते हैं। उनके काम की कोई सुरक्षा नहीं है और न ही उन्हें वेतन मिलता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से कई लड़के दक्षिण रेलवे में काम करते हैं और उनकी शिकायत यह है कि उनके काम की अवधि की कोई सुरक्षा नहीं है। इस प्रकार की सेवा कैसे संतोषप्रद हो सकती है ?

श्री बसन्त साठे : ये लोग सबसे गन्दे कपड़े पहने होते हैं ।

डा० हेनरी आस्टिन : वे अच्छी तरह सेवा करने में रूचि नहीं रखते। वे यात्रियों की उपेक्षा करते हैं। मैं प्राय: ज्यन्ती जनता से यात्रा करता हूं और इसलिये स्थिति से परि-चित हूं।

श्री बूटा सिंह : यह सच है कि वे लड़के कमीशन के आधार पर रखे जाते हैं। 1967 में नियुक्त की गई समिति ने इस बारे में कोई विशिष्ट सिफ़ारिश नहीं की है... (व्यवधान)...उन्हें वर्दी रेलवे द्वारा दी जाती है। यदि इस बारे में कोई शिकायत हो तो माननीय सदस्य मुझे बतायें ।

श्री बसन्त साठे : : मैंने यह बात बार-बार उठाई है ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि बहुत से सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो रहे है और उन्हें इस संबंध में शिकायत है, मैं सुझाव देता हूं कि माननीय मंत्री उन्हें अपने पास बुलाएं और मामले पर विचार विमर्श करें ।

नैमित्तिक-श्रमिकों की मजदूरी-दरें

*187. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों की मजदूरी की दरें निर्धारित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ।

(ख) क्या 1½ वर्ष की अवधि में किसी कारण नैमित्तिक श्रम की दरें निर्धारित न किये जाने पर नैमित्तिक श्रमिकों को निम्नतम वेतनमान के 1/30 की दर से वेतन मिलना चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली में श्रमिकों को इन्हीं दरों से भुगतान किया गया है ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railway (Shri Buta Singh) :(a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Casual labour not governed by the Minimum Wages Act are remunerated on a daily rate ascertained from the locality or the State Government concerned where necessary, or if such rates are not available, at 1/30th of the minimum of the scale of pay plus Dearness Allowance applicable to corresponding categories of Railway servants, and if the rate of wages arrived at in either mannes is lower than the minimum wages fixed by the State Government concened for comparable scheduled employment, the rate of wages shall be the minimum wages fixed by the State Government.

2. Casual labour governed by the Minimum Wages Act are remunerated on daily rates ascertained from the local authorities or the State Government where necessary or if such rates are not available at 1/30th of the minimum of scale of pay plus Dearness Allowance applicable to corresponding categories of Railway staff and if either of tne rates of wages arrived at in this manner is lower than the minimum wages fixed under the Minimum Wages Act, then the rates fixed by the appropriate authority under the Act.

(b) & (c) Payment is to be made at 1/30th of the minimum of the scale plus Dearness Allowance admissible to the employees of corresponding categories, if local rates are not available.

2. Casual labourers working in Delhi are being paid daily wages at the rates prescribed by the local authorites.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : रेलवे में कितने किस्म के नैमित्तिक मजदूर हैं और उनमें कैसे अन्तर किया जा सकता है ? आई० ओं० डब्ल्यू० अन्तर्गत काम करने वाले मजदूर किस श्रेणी में आते हैं और उनकी न्यूनतम मजदूरी कितनी है ? क्या सरकार यह जानती है कि आई० ओ० डब्ल्यू, नई दिल्ली के अन्तर्गत 140 नैमित्तिक मजदूर काम कर रहे हैं और उनका सेवाकाल छः महीने से अधिक हो गया है तथा उनमें से कुछ का सेवाकाल 236 से 2,636 दिन का हो गया है ? क्यय यह भी सच है कि इसके बावजूद उन्हें वेतनमान नहीं दिया जाता है ?

Shri Buta Singh : We have two kinds of Casual Labourers. Some work in projects and the ot er category of workers are those which work in the maintenance work of buildings and lines etc. and their pay is fixed as follows :

न्यूनतम वेतन अधिनियम द्वारा अधिशासित नैमित्तिक श्रमिकों का पारिश्रमिक इस प्रकार निर्धारित किया चाता है :—

(क) संबद्ध स्थानीय प्राधिकार या राज्य सरकार से मालूम कर दैनिक मजदूरी दरें

(ख) यदि इस प्रकार की दरें उपलब्ध नहीं हैं तो उसी वर्ग के रेलवे कर्मचारी के वेतनमान में मंहगाई भत्ते को जमा कर उसका 1/30 ;

(ग) यदि उपर्युक्त (क) और (ख) में दिये गये तरीके से मजदूरी की जो दर बनती है वह न्मूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी से कम होती है तो अधिनियम के अन्तर्गत उचित प्राधिकारी द्वारा दरें निश्चित की जाती है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं । रखरखाव सबंधी कार्य के लिए कोई नैमित्तिक श्रमिक नहीं है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : विवरण के अन्त में कहा गया है कि "दिल्ली में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों को स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी दी जाती है ।" यह गलत है । मैं इसे चुनौती देता हूं । जहां तक दिल्ली प्रभाग का संबध है, वे इसे स्थानीय प्राधिकारियों से मालूम नहीं कर पाये है । इसे दृष्टि में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि नैमित्तिक श्रमिकों को की जाने वाली इस अदायगी का मामला रेलवे श्रमिक प्राधिकरण को 1969 में भेजा गया था और न्यायाधिकरण ने 1972 में यह रिपोर्ट दी और उसके बाद रेलवे बोर्ड ने यूनिटों को यह अनुदेश दिये कि गैर-परियोजना तथा गैर-अनुसूचित श्रमिकों को अदायगी स्थानीय अथवा राज्य प्राधिकारियों से दरें मालूम कर ली जायेंगी या इसके विकल्प के रूप में चार महीने तक वेतन मान की न्यूनतम राशि में मंहगाई भत्ता मिलाकर उसका 1/30 दिया जायेगा और उसके बाद उन्हें अस्थायी कर्मचारियों की श्रेणी में रखा जायेगा, क्या यह भी सही है कि उत्तरी रेलवे में इन कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारियों की श्रेणी का लाभ नहीं दिया जा यहा है ? मैं पी० डब्ल्यू० आई० दिल्ली का उदाहरण देता हूं और पानीवाला का उदाहरण भी ले सकते हैं । वर्षों तक वे नैमित्तिक श्रमिक ही रहे । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे ने कुछ किया है या नहीं, यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बूटा सिंह : पहले मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा दी गई अधिकांश जानकारी तथ्यों पर आधारित नहीं है। तथ्य यह हैं कि दिल्ली प्रभाग में दी जाने वाली दैनिक मजूरी अगस्त, 1976 अर्थात् इसी महीने दिल्ली प्रशासन से मालूम की जाती है और दिल्ली प्रशासन द्वारा हमें दी गई ताजी दरों के अनुसार निश्चित की जाती है। अतः यह कहना सही नहीं है कि उत्तरी रेलवे और अन्य रेलवे में आमतौर से स्थानीय प्राधिकारियो द्वारा दी जाने वाली दरों का अनुपालन नहीं किया जाता है। दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गयी दर 5.85 रु० है ।

श्री इन्द्रजीत गप्त : यह पहला अवसर नहीं है जब रेलवे संघों द्वारा शिकायत की गई है कि नैमित्तिक श्रमिकों को कम मजदूरी दी जा रही है। सभा-पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार क्या मैं आपका ध्यान एक उदाहरण की ओर आकर्षित कर सकता हूं और इस विवरण के आधार पर उसे स्पष्ट करने के लिए कह सकता हूं ? दक्षिण-मध्य

रेलवे में सिकन्दराबाद और विजयवाड़ा में मजदूरी इतनी कम है कि यह 2.25 रु० प्रति दिन के हिसाब से दी जाती है। स्थानीय कलेक्टरों द्वारा अधिसूचित अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार है :

विशाखापत्तनम्	5.50 रुपये
पश्चिम गोदावरी	5.00 रुपये
कुरनूल	4.00 रुपये
वारंगल	4.50 रुपये
हैदराबाद और हैदराबाद के दो शहर . .	5.00 रुपये
सिकन्दराबाद	5.00 रुपये

इन लोगों को 2.20 रु० दिये जा रहे हैं और फिर भी यहां विवरण में यह कहा गया है कि ये मजदूरियां स्थानीय दरों के आधार पर निश्चित की जाती हैं। क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि यह हालत कब तक चलती रहेगी ?

श्री बूटा सिंह : जैसे कि मैंने अन्तिम अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि हम हमेशा वही लेते हैं जो स्थानीय अधिकारी अथवा राज्य सरकार को कहना होता है। किन्तु इस विशेष मामले में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि हम निश्चित रूप से प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई विषमता न हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं बहुत सी विषमताएं दे सकता हूं किन्तु ऐसा करने के लिए समय नहीं है। यह तो केवल एक ही मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आप रेलवे बोर्ड द्वारा निश्चित दरों तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निश्चित की गई दरों की भिन्नता की जांच कर सकते हैं।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Wheher it is a fact that the Casual Labourers who work for Three months are terminated for two to four days so that they may not complete six months and be given a regular chance ?

In Jhansi Division Casual labourers are working for a period of four to six years but they are not being confirmed. Casual laoburers from other places are being brought and made permanent. Those who are working for six years are not being made permanent. Will the Hon'ble Minister find out if and try to confirm those who are working from an ealier date ?

Shri Buta Singh : Casual labour is recruited for some projets or is seasonal. i.e. recruited in connection with floods etc. Their servies are taken at the most for three to four months. Nothing such has come to our notice. If the Hon'ble Member writes to us we will look into.

Mr. Speaker : His second question relats to decasualisation i.e. Casual labourers are working for eight to ten years.

श्री मुहम्मद कुरेशी : यह मामला मियां आपकी अध्यक्षता में बने न्यायाधिकरण को भेजा गया। इस अधिकरण ने नैमित्तिक श्रमिकों को समाप्त करने के बारे में फैसला दिया। हमने अधिकरण की

अधिकांश सिफारिशें मान ली हैं। बड़ी परियोजनाओं को छोड़ कर अन्य परियोजनाओं में यह चार महीने हैं और इन बड़ी परियोजनाओं में काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों के लिए यह छः महीने हैं इसका अनुपालन किया जा रहा है। किन्तु हमें शिकायतें मिली हैं कि कुछ क्षेत्रों में इन श्रमिकों की चार महीने की अवधि पूरी होने से पूर्व उन्हें दो या तीन दिन के लिए हटाया जाता है। हम इसकी जांच का रहे हैं।

प्रबन्धकीय पदों पर परिलब्धियों पर अंकुश में छूट

*188. **श्री डी० के० पण्डा :**
श्री एम० ए० मुरुगन्तम :

क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रबन्धक पदों पर मिलने वाली परिलब्धियों पर अंकुश में छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने ऐसा निर्णय किन कारणों से किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) तथा (ग) उत्पन्न नहीं होता।

श्री डी० के० पण्डा : यह अच्छा उत्तर है। यदि उत्तर नकारात्मक है तो सभा को प्रसन्न होना चाहिए। किन्तु फिर भी सही स्पष्टीकरण के प्रयोजन से मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान टाइम्स के तथाकथित समाचार जिसके अनुसार क्या यह सही है कि श्री बेदब्रत बरुआ ने बम्बई में अखिल भारतीय निर्माता संगठन (आल इण्डिया मैन्यूफ्चरर्स आर्गेनाइजेशन) की एक बैठक सम्बोधित की। यह समाचार है कि :

> "केन्द्रीय सरकार अपने मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूपमें कुछ रियायतों पर विचार कर रही है कि उन औद्योगिक एककों को जो लाभ नहीं कमा रहे हैं अपने व्यावसायिक प्रबन्धों को 60,000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक पारिश्रमिक देने की अनुमति नहीं है। मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया कि मार्गदर्शी सिद्धान्तों से समस्याएं पैदा हो गईं हैं। सरकार उचित संशोधन कर रही है। किन्तु श्री बरुआ ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या संशोधन किये जा रहे हैं।
>
> अखिल भारतीय निर्माता संगठन द्वारा आयोजित बैठक में बोलते हुए श्री बरुआ ने कहा कि निगमित क्षेत्र में प्रबन्धकीय पारिश्रमिक विनियमित करने के लिए कुछ कदम उठाये हैं। 1.30 लाख रुपये प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगो में उच्च प्रबन्धको की सेवा की शर्तें स्वीकृत करने में सरकार इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखती है कि क्या जो सेवाएं की गई हैं उनके लिए दिया जाने वाला मुआवजा उचित है या नहीं।"

यही समाचार प्रकाशित हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई वक्तव्य दिया गया है और क्या समाचार पत्र में प्रकाशित तथ्यों को स्वीकार किया गया है।

श्री बेदब्रत बरुआ: यह अखिल भारतीय निर्माता संगठन की एक बैठक थी जिसे मैंने सम्बोधित किया था। मैं नहीं समझता हूं कि सारी रिपोर्ट सही है। किन्तु यह अधिकांशत: प्रबन्धकों के पारिश्रमिक के बारे में है। मुझे प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकार ऐसे प्रबन्धकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक पर प्रतिबन्ध लगाने जा रही है जो निदेशक नहीं हैं। यह स्पष्ट है कि कम्पनी कानून से सरकार उन लोगों के पारिश्रमिक पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती है जो बोर्ड में नहीं हैं। कम्पनी अधिनियम में यही व्यवस्था है।

जहां तक 60,000 रुपये की रकम का सम्बन्ध है यह न्यूनतम पारिश्रमिक है। 1956 के अधिनियम में यह पुर:स्थापित किया गया था कि जब कोई कम्पनी लाभ नहीं कमाती है तो प्रबन्ध-निदेशकों का पारिश्रमिक कम किया जाता है। 60,000 रुपये की यह रकम 1.30 लाख रुपये की। रकम से सम्बन्धित है जो हमने 1969 में प्रबन्ध-निदेशकों के लिए अधिकतम सीमा निश्चित की थी। यह प्रश्न उठाया गया था कि जब किसी व्यवसायिक व्यक्ति की निदेशक बोर्ड में पदोन्नति होती है; जैसा कि बहुत सी कम्पनियां आजकल करती हैं, तो उसका वेतन कम क्यों किया जाना चाहिए ? मैंने केवल इसी सन्दर्भ में कहा था कि जब किसी ऐसे व्यवसायिक व्यक्ति की निदेशक बोर्ड में पदोन्नति होती है, जो न एक बड़ा अंशधारी, या व्यापारी अथवा परिवार का व्यक्ति है तो यह स्पष्ट है कि उसका पारिश्रमिक कम करने के लिए इस निर्देशी सिद्धान्त को लागू नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है इस पर एक समिति द्वारा जो इन मामलों की जांच करने के लिए गठित की गई हैं, विचार किया जा रहा है और इस मामले पर उस सन्दर्भ में विचार किया जायेगा।

श्री डी० के० पण्डा : इस समाचार को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सभापति श्री रघुराज ने, जहां तक इन व्यावसायिक प्रबन्धकों का सम्बन्ध है, कम्पनी कानून में संशोधन करने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कतिपय बातों की जांच करने के लिए पहले ही एक समिति है, मैं जानना चाहूंगा कि इन बातों में निदेशकों और व्यावसायिक प्रबन्धकों को हटाना, भी शामिल है क्योंकि इस समय उनका सन्दर्भ केवल सरकारी नौकरी से है और वे यह कर रहे हैं तथा उस पहलू को नियन्त्रित कर रहे हैं किन्तु जहां तक उनके हटाये जाने का सम्बन्ध है...

अध्यक्ष महोदय : आपको हटाने के प्रश्न पर नहीं जाना चाहिए यह केवल पारिश्रमिक से सम्बन्धित है ?

श्री डी० के० पंडा : यह पारिश्रमिक से सम्बद्ध है किन्तु चूंकि यह कहा गया है कि एक समिति है जो कई अन्य बातों पर विचार करेगी मैं यह प्रश्न कर रहा हूं कि जहां तक व्यावसायिक प्रबन्धकों और निदेशकों का सम्बन्ध है क्या न केवल उनके पारिश्रमिक को बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है किन्तु उन्हें हटाने की भी व्यवस्था की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : हटाया जाना एक अलग प्रश्न है।

श्री डी० के० पंडा: किन्तु आय पर रोक लगाने की धारणा का अर्थ विषमताओं को कम करना है

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य ने जो समिति का उल्लेख किया है यह ऐसी समिति नहीं है किन्तु यह प्रश्न उठाये गये कि प्रबन्धकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक पर इस समय जो रोक है यह काफी नहीं है और इस मामले पर आगे विचार किया जाना चाहिये मैं अपने सहकर्मी से सारे प्रश्न की मेरे मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों में सम्बद्ध अधिकारियों से सहायता से वह जांच करने के लिए कहा कि क्या और भी रोक आवश्यक है। इस प्रश्न की जांच की जायेगी और इस समय में केवल यही उत्तर दे सकता हूं कि किसी भी स्थिति में रोक में रियायत देने का कोई अभिप्राय नहीं है ।

दूसरा पहलू यह है कि इस अध्ययन दल का । यदि इसे ऐसा कहा जाये । कम्पनी कानून में संशोधन का कोई सम्बन्ध नहीं है। कम्पनी कानून में संशोधन करने के सम्बन्ध में हमें विभिन्न जगहों से सुझाव मिलने है। और उनकी मेरे मंत्रालय में जांच हो रही है हो सकता है कि कतिपय मामलों में कम्पनो कानून में संशोधन करना आवश्यक हो ।

मेरे सहकर्मी ने जिस बात का उल्लेख किया है उसके सम्बन्ध में अधिनियम के अन्तर्गत हमें निदेशकों तथा ऐसे अन्य कार्यकारी लोगों के सम्बन्ध में जो निदेशक नहीं है रोक लगाने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है । यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस की जांच को जानी है और हम इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हमें प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कम्पनी निदेशकों के पारिश्रमिक पर जो भी थोडा रोक है उसमें हम कोई रियायत नहीं कर रहे है । किन्तु मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि चूकि पारिश्रमिक 5000 रु० से 11000 रु० के बीच है जिसमें 5000 रु० कम से कम और 11000 रु० प्रति माह अधिक से अधिक है, कितनी कम्पनियां कम से कम 5,000 रु० दे रही है और कितनी कम्पनियां अधिक से अधिक 11,000 रु० दे रही हैं । क्या इस सम्बन्ध में कोई गणना की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास यह जानकारी है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं सही संख्या नहीं बता सकता हूं ।

Indian Law institute.

†*189. **Shri M.C. Daga :** Will the **Minister of Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the date on which the Indian Law Institute was set up, the functions thereof and the total expenditure incurred thereon during the last three years;

(b) whether any Review Committee was appointed to go into the working of this Institute; and

(c) whether they submitted a report an if so, the main recommendations and how were they implemented ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H.R. Gokhale) :

(a) The Indian Law Institute, New Delhi, is a private body and registered under the Societies Registration Act (Act of XXI of 1860) was set up on 27th December, 1956, to cultivate the science of law to promote advanced studies and research in law, to promote reform in the administration of justice and law so as to suit the social, economic and other needs of the Indian people, to promote systematisation of law, to encourage and conduct investigations in legal and allied fields, to impove legal education to impart instrutions in law, and to publish studies, books periodicals, etc.

During the years 1973-74, 1974-75 and 1975-76 the Government of India has given a total Grant-in-aid of Rs. 17,00,000.

(b) Yes, Sir.

(c) The review Committee has submitted its Report to the Government which is under consideration.

A statement showing main recommendations of the Review Committee is attached.

Statement

The main recommendations of the Review Committee on the Indian Law Institute are :—

1. The Indian Law Institute should devise its programme of research an determine priorities.

2. A Research Committee of about ten Members, consisting of some jurists, some Supreme Court/High Court Judges, Dean of Faculty of Law (Delhi University) and if possible some professors from nearby Universities, should be set up.

3. The minimum qualification for all the research posts should be at least Ph.D. in Law.

4. An Editorial Committee, conisting of (i) a Judge of the Supreme Court or a High Court, (ii) a member of the Bar, (iii) a member of Law Faculty, Delhi University and (iv) the Director of the Institute, should be set to lay down guide-lines and evolve a policy in the matter of acceptance of article for the Quarterly Journal.

5. There should be a separate Editorial Committee for the Annual Survey.

6. The Index to Indian Legal Periodicals should be contained to be published.

7. The Diploma Courses, conducted by the Institute, should be continued.

8. There shluld be a Seminar Committee headed by a Judge of the Supreme Court or a High Court, consisting of the Director of the Institute and Dean Faculty of Law, Delhi University, to determine the subject and planning and the invitees to the Seminars.

9. Lectures by eminent jurists etc. both from India and abroad, should continue to be arranged.

10. The Institute should make suitable structural changes in the Governing Council and the Executive Committee so as to be effective in the management of the affairs of the Institue.

11. All issues concerning finances should be referable for advice to a Finance Sub-Committee assisted by an expert appointed by the Executive Committee on nomination by Ministry of Finance, before the Executive Committee takes a decision,

12. Self contained, Rules, Regulations, general conditions of service and the pay scales of the Research and other staff, should be framed, and applied to all employees.

13. The annual Grant-in-aid from the Government should be within the ceiling of Rs. 6,00,000·00 (Rupees six lakhs) to the utilised in accordance with the conditions of the grant and other conditions required under the General Financial Rules or other Rules or orders of the Government.

Shri M.C. Daga : Mr. Speaker, Sir, These institutes become very big, their names become very prominent and their aims and objects are also very high. They get huge amount. This institute has been functioning since 1957. I would like to know as to who are its office bearers and what are their achievements during these 20 years.

When they made such achievements, what was the necessity appointing a review Committee ?

Shri H. R. Gokhale : It is difficult to tell the names of all the office bearers who held office since 1957.

Mr. Speaker : Whether it is published or not ?

Shri H. R. Gokhale : It is published.

Mr. Speaker : Then it is alright. Hon. Member, may ask another question. It must be in the library.

Shri M. C. Daga : The same office bearers remain in the office continuously.

Mr. Speaker : No, you may ask another question Leave it.

Shri M. C. Daga : What are its functions and objects ?

मैं जानना चाहता हूं कि इसकी उपलब्धियां क्या हैं ?

श्री एच० आर० गोखले : भारत का मुख्य न्यायाधीश समिति का पदेन अध्यक्ष होता है और महान्यायवादी तथा विधि मन्त्री दोनों पदेन इसके साथ रहते है। इसमें अन्य वरिष्ठ लोग भी होते हैं। समिति को नियुक्त करने की आवश्यकता किसी विशेष वर्ष में महसूस नहीं की गयी थी। यह तो एक आम प्रथा रही है। चूंकि सरकार पर्याप्त मात्रा में अनुदान देती है, इसलिए संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा समय-समय पर की जानी चाहिए और यही कारण है कि समिति की नियुक्ति समय-समय पर करनी होती है अत: इस विशेष वर्ष में ऐसा करने का कोई विशेष कारण नहीं है। इस समिति ने कतिपय सुझाव मुख्य सिफारिशें दी हैं जो अब सदस्यो को दी गई हैं।

उपलब्धियो के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि समय-समय पर कानून और अन्य सम्बद्ध मामलों के प्रश्नों के सम्बन्ध में समीक्षायें, लेख और कुछ पूर्ण प्रकाशन प्रकाशित होते रहे हैं। उनकी पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। इतना ही नहीं, वर्ष के अन्त में देश में कानून के विकास की उस वर्ष की समीक्षा प्रकाशित की जाती है जिस वर्ष का समीक्षा की गई है। गोष्ठियां और चर्चायें आयोजित की जाती हैं जिनमें संस्थान के सदस्यों और बाहरी लोगों के समक्ष भाषण देने के लिये गण्यमान लोगों को आमन्त्रित किया जाता है। आम तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि कानून के विकास के बारे में उपयोगी कार्य हो रहा है।

श्री मूल चन्द डागा : पुनरीक्षण समिति ने यह सिफारिश क्रम संख्या 10 में की है :

> "संस्थान को चाहिए कि वह अपनी शासी परिषद् और कार्यकारिणी समिति की संरचना में उपयुक्त परिवर्तन करे जिससे कि वे संस्थान के कार्यों का प्रभावी रूप से प्रबन्ध कर सकें।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह क्रियान्वित किया जा रहा है कि अथवा क्रियान्वित किया जाने वाला है और यदि हां, तो कब तक ?

श्री एच० आर० गोखले : यह क्रि यान्वित नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है यह सरकारी निकाय नहीं है। यह तो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत निकाय है। परन्तु सरकार का इससे सम्बन्ध इस कारण है कि सरकार संस्थान को

काफी धन देती है। संस्थान के साथ विभिन्न स्तरों पर इन सब बातों की चर्चा की जाती है और संस्थान को सुझाव दिए जाते हैं कि वह पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखे। अभी तक किसी भी सिफारिश पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। परन्तु मुझे विश्वास है कि संस्थान के पदाधिकारी और सरकार मिल करके अधिक से अधिक सिफारिशें कार्यान्वित करने का तरीका ढूंढेगें।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : समिति की 11वीं और 13वीं सिफारिशें वित्त से सम्बन्धित हैं। सिफारिश संख्या 13 इस प्रकार है :

> "सरकार से मिलने वाला वार्षिक सहायता अनुदान अधिक से अधिक 6,00,000 (छः लाख) रुपए होना चाहिए और इसका उपयोग अनुदान की शर्तों तथा साधारण वित्तीय नियमों अथवा सरकार के अन्य नियमों या आदेशों के अधीन अपेक्षित शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए।"

क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या यह सिफारिश इस बात को ध्यान में रखकर की गई है कि अभी तक संस्थान ने अनुदान की शर्तों और नियमों के अधीन अपेक्षित अन्य शर्तों के अनुसार धन खर्च नहीं किया है और यदि हां, तो सिफारिश सं० 11 और 13 को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है ? दोनों ही वित्त से सम्बन्धित हैं और सरकार इस संस्थान को पर्याप्त धनराशि दे रही है।

श्री एच० आर० गोखले : मैं नहीं समझता कि इन सिफारिशों, विशेष रूप से सिफारिश संख्या 13 का आशय यह है कि संस्थान अपने उद्देश्यों की अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं करता रहा है और इसीलिए यह सिफारिश की गई। परन्तु सिफारिश समझने योग्य है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जब आप संस्थान को सहायता अनुदान देते हैं और सहायता अनुदान 6 लाख रुपए से अधिक न हो—तो यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थान के वास्तविक कार्यकरण पर नियंत्रण रखने के लिए कोई सुनियोजित तरीका होना चाहिए कि सरकार द्वारा दी गई धनराशि ठीक ढंग से खर्च की जाए। यह एक अच्छा सुझाव है और सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री डी० के० पंडा : देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या विधि संस्थान केवल औपनिवेशिक अतीत की पुस्तकों के अध्ययन पर निर्भर रही है या किसी समाजवादी कानून का अध्ययन किया गया है और तदनुसार उपबन्ध किए गए हैं। यह उसके कृत्यों में भी शामिल है।

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सरदस्य ने औपनिवेशिक अतीत का उल्लेख किया है। मैं यह कह सकता हूं कि वह समय की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखें और संस्थान के उद्देश्यों के अनुसार उससे औपनिवेशिक परम्परा से च्युत होने तथा तदनुसार सिफारिशें करने की अपेक्षा की जाती है।

Allocation of Funds for New Railway Lines by Planning Commission

***190. Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Ministry had recently approached the Planning Commission for allocation of funds the construction of new railway lines in the country;

(b) if so, the salient feature thereof; and

(c) the reaction of planning Commission thereof ?

The Deputy Minister in The Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

An amount of Rs. one hundred cores has already been allocated by the Planning Commission for the construction of new Railway lines in the fifth year plan. This amount is insufficient even for completing the works already approved and required for the core sector of economy. The Planning Commission were approached for making additional allotment in the fifth plan for construction of new Railway lines including those in backward areas. This request was repeated recently during discussions with the planning Commission. due to priority claims of other sectors and constraint of resources, however, the Planning Commission have not been able to allot additional funds.

Shri Ramavatar Shastri : It has been mentioned in the statement that Planning Commission has allocated an amount of Rs. 100 crores for the construction of new Railway lines in the fifth five year plan. The details of railway lines included in the programme chalked out for their construction out of this amount may kindly be stated in this house.

Shri Buta Singh: Mr. speaker, I read the list . . .

Mr. Speaker: How long is the list?

Shri Buta Singh: It is very long.

Mr. Speaker: Please lay it on the table of the House.

Shri Ramavatar Shastri: How much amount was asked for by you from the Planning Commission for the construction of new railway lines and other development work of railway and you have stated about the Planning Commission that they have some difficulties. I would like to know whether you hope to get some amount, out of the amount asked for by you? Which scheme has been prepared by you therefor? On what basis you have asked for this amount from Planning Commission?

Minister of Railways (Shri Kamlapati Tripathi): Mr. Speaker Sir, we have been asking for money from the planning Commission continuously. The amount allocated is not sufficient even for the works undertaken by us and also for the works in operation. This matter has been taken up with the Planning Commission many times and they say that as soon as the financial position improves, efforts will be made to give assistance at present they a take into account the priorities lay down by them. We have been asking for amount from them continuously. We hope that they will arrange for allocating some amount to us as soon as possible for them. I have no doubt in it.

अमरावती होकर जाने वाली नागपुर-बम्बई रेल लाइन

*192. **श्री बसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के विभिन्न संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि नागपुर बम्बई रेल लाइन को अमरावती होकर ले जाया जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर रेल अधिकारियों ने विचार किया था और इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है तो सरकार इस पर अन्तिम निर्णय कब तक लेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अमरावती को भुसावल-नागपुर मुख्य लाइन पर लाने के प्रस्ताव पर 1958 में विचार किया गया था किन्तु यातायात का पर्याप्त औचित्य न होने के कारण इसे छोड़ दिया गया था ।

(ग) पहले से चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करने तथा अनुमोदित निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करने के लिए पर्याप्त धन न होने के कारण इस प्रस्तावित रेल सम्पर्क के बारे में विचार किया जाना फिलहाल सम्भव नहीं हो सकेगा ।

श्री बसन्त साठे : अमरावती न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से अपितु पौराणिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है । पंडित जी जानते हैं ।

Shri Shankar Dayal Singh: You kindly ask question in Hindi from Pandit ji.

Shri Vasant Sathe: Amraoti is a very important place from historical and mythological points of view. It is only 10 kilometers far from Badnera and if you provide diversion at a distance of 3 kilometers from Amraoti, this important city of Vidarbha will be linked with railway line. It is Rukmani's city. You will also feel convenience and the difficutly experienced by Lord Krishna will not be there. You will get the amount and it will be good from economic point of view. I would like that Panditji should give reply to it.

Shri Kamlapati Tripathi: His suggestion is very good and it has a relation with Rukmanis name. He may find some time and see me in my office. I shall have detailed discussion with him in the matter and if possible, something will be done.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

उर्वरकों के उत्पादन में आत्म निर्भरता

*182. **श्री डी० बी० चन्द्र गोडा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई विस्तृत योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). उर्वरकों के उत्पादन की स्वदेशी क्षमता के विस्तार हेतु एक वृहत कार्यक्रम हाथ में लिया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 16 वृहताकार उर्वरक संयंत्र निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं, चार अतिरिक्त संयंत्रों का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन किया गया है । जिन प्रायोजनाओं का निर्माण हो रहा है और जिनका सिद्धान्त रूप में अनुमोदन किया गया है के पूर्ण हो जाने पर

उर्वरकों की क्षमता जो अब 29.73 लाख मीटरी टन नाईट्रोजन और 6.92 लाख मीटरी टन $पी_2$ $ओ_5$ है, 65 लाख मीटरी टन नाईट्रोजन और 17 लाख मीटरी टन $पी_2$ $ओ_5$ तक बढ़े जाने की सम्भावना है। क्योंकि निर्माणाधीन कुछ प्रायोजनाओं के छटी योजना अवधि में पूर्ण होने और चालू होने की संभावना है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त में 46.90 लाख मीटरी टन नाईट्रोजन और 13.11 लाख मीटरी टन $पी_2$ $ओ_5$ की क्षमता के निर्माण हो जाने की संभावना है। इस क्षमता से उपलब्ध उत्पादन, उर्वरकों की मांग और देशीय उपलब्धि के बीच के अन्तर को काफी कम करने में सहायक होगा और इस प्रकार आयात पर निर्भरता को कम कर देगा।

Proposal to Extend the area Covered by Rajdhani Express

*186. **Shri Chiranjib Jha:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to extend the areas covered by Rajdhani Express trains; and
(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Mohd. Shafi Qureshi): (a) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

केरल में एरणाकुलम-एल्लीपी रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

*191. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एरणाकुलम एल्लीपी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग व यातायात सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है ;

(ख) उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के पूरा होने तथा निर्माण कार्य के शुरू होने की सम्भाव्य तिथियां क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) . सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। जांच का काम पूरा होते ही इस लाइन के निर्माण के बारे में विनिश्चय किया जाएगा, लेकिन यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पश्चिम तथा मध्य रेलवे में कर्मचारी सहकारी बैंक

*193. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम तथा मध्य रेलवे में कर्मचारी सहकारी बैंक हैं और यदि हां, तो कितने वर्षों से ;

(ख) इनमें से प्रत्येक बैंक में कितने कर्मचारी नियुक्त हैं और उनकी कितनी शाखाएं हैं ; और

(ग) क्या उन्होंने रेलवे के प्रबन्ध कार्यक्रम में श्रमिकों द्वारा भाग लिये जाने के एक अंग के रूप में संयुक्त परिषदें बनाई हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

रेलवे का नाम	सहकारी बैंक का नाम	स्थापना की तारीख	शाखाओं की संख्या	कर्मचारी की संख्या
1	2	3	4	5
(क) और (ख)				
1. पश्चिम रेलवे	1, जैक्सन कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, ग्राण्ट रोड, बम्बई	1912 (64) वर्ष	5	250
	2. बड़ौदा सिटी कारीगर सहायक सहकारी मण्डली लि०, प्रताप नगर बड़ौदा	1931 (45 वर्ष)	कोई नहीं	23
	3. रेलवे इम्प्लाईज़ कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०, जयपुर	1945 (31 वर्ष)	कोई नहीं	18
	4. वैस्टर्न रेलवे इम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०, उदयपुर	1946 (30 वर्ष)	कोई नहीं	5 (4+1 अंशकालिक चपरासी)
2. मध्य रेलवे	1. सेण्ट्रल रेलवे इम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०, भायखला, बम्बई।	1913 (63 वर्ष)	कोई नहीं	271

(ग) जी नहीं।

भूमिगत रेल के रूसी विशेषज्ञों का कलकत्ता का दौरा

***194. श्री रानेन सेन :**
श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमीगत रेल के रूसी विशेषज्ञों ने हाल ही में कलकता का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) तीन रूसी विशषज्ञों का एक दल तीन महीने की अवधि के लिये 19-7-76 को भारत पहुंचा था । ये विशेषज्ञ सुरंग के ढ़ाचो के अभिकल्प, सुरंग के निर्माण, सुरंग के परिरक्षण (टनल शील्डस) तथा अन्य उपस्कर के बारे में महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) कलकत्ता को परामर्श दे रहे हैं ।

पश्चिम तट के साथ-साथ तेल की खोज के लिये सर्वेक्षण

*195. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्या कुमारी रत्नागिरी तक पश्चिमी तट के साथ-साथ तेल की खोज के लिये नवम्बर-दिसम्बर, 1975 में सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख): रत्नागिरी से कन्या कुमारी तक अपतटीय क्षेत्र में पहले नवम्बर-दिसम्बर 1975 में भूकम्पीय सर्वेक्षण करने की योजना थीं । परन्तु गहन महाद्वीप मग्नतट क्षेत्र और बेसिनक्षेत्र में जहां हाइड्रोकार्बन विस्तृत/अर्थ विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण के उपरान्त मिले थे, में कार्य पूरा करने के लिये कार्यक्रम संशोधन किया गया था । रत्नागिरी से कन्या कुमारी तक भूकम्पीय सर्वेक्षण वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार अब फरवरी; 1977 से किया जायेगा ।

कोयाली तेल शोधक कारखाने की क्षमता

*196. **श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयाली तेलशोधक कारखाने की क्षमता इस समय कितनी है और इसका विस्तार कार्यक्रम पूरा हो जाने पर इसकी क्षमता कितनी हो जायेगी ।

(ख) विस्तार कार्यक्रम कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) तेलशोधक कारखाने में उपयोग में लाई जाने वाली विदेशी उपकरणों की प्रतिशतता क्या है ; और इसके स्थान पर पूरी तरह देशी उपकरण कब तक लगाये जायेंगे ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) कोयाली शोधनशाला की वर्तमान क्षमता 4.30 मिलयन मी० टन है और विस्तार के बाद इसकी क्षमता 7.30 मि० मी० टन प्रति वर्ष हो जायेगी ।

(ख) विस्तार प्रायोंजना को यांत्रिक रूप से 1977 के अन्त तक पूर किया जाना है ।

(ग) कोयाली शोधनशाला के 4.3 मिलियन मी० टम की क्षमता से कार्य कर रहे प्लांट और मशीनरी का अधिकांश भाग आयात किया हुआ है। विस्तार प्रायोजना के लिये केवल कच्चा माल और कुछ जटिल मदो, जो देशीय रूप में उपलब्ध नहीं है, का आयात किया जा रहा है जो मशीनरी उपरकण और सम्बद्ध मदों की कुल आवश्यकता का 24 प्रतिशत होगा । भावी प्रायोजनाओं में यह प्रतिशतता

कच्चे माल के उत्पादन के लिये देशीय क्षमता के विकास और उपकरण की इन मदों का देश में ही निर्माण के साथ धीरे धीरे कम हो जायेगी ।

राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण

*197. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाथी समिति ने नई क्षमता के लिये लाइसेंस देने में तेजी लाने के लिये राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में, 'बल्क ड्रग्स' का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां, इस संबंध में हाथी समिति की सिफारिशें सरकार के विचारधीन है ।

(ख) प्रपुंज औषधों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस/बर्तमान क्षमताओं में विस्तार की अनुमति तथा नई क्षमताएं स्थापित करके अनेक कदम उठाएं हैं । 1-4-1975 से अधिक से अधिक 121 औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त औषधों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये पांचवी योजना अवधि में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० को 5684 लाख रुपये और हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०को 948.6 लाख रुपये का आवंटन किया गया है ?

बरौनी और मद्रास तेल शोधक कारखानों की क्षमताओं का उपयोग

*198. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी और मद्रास तेल शोधक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(ख) उक्त दोनों तेल शोधक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता का कहां तक पूर उपयोग किया जाता है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) बरौनी और मद्रास शोधनशालाओं की स्थापित क्षमता निम्न प्रकार है :--

बरौनी	3 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष
मद्रास	2.5 ,, ,, ,,

(ख) बरौनी शोधनशाला के कच्चे तेल के उत्पादन को देशीय कच्चे तेल की सप्लाई से नियमित किया जा रहा है । वर्तमान उत्पादन स्तर 2.9 मि० मि० टन प्रतिवर्ष है और अगले वर्ष से जब इस शोधनशाला को कच्चे तेल की सप्लाई करने वाली पाइपलाईन की क्षमता बढ़ जाएगी तब उत्पादन में 3 मि० मी० टन प्रति वर्ष तक वृद्धि होने की आशा है ।

मद्रास शोधनशाला की स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है और 1975–76 में इसका उपयोग 106 प्रतिशत था ।

न्याय व्यवस्था की त्रुटियों का अध्ययन करने के लिये पैनल

*199. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्याय व्यवस्था की त्रुटियों का अध्ययन करने के लिये पैनल गठित किया है और

(ख) यदि हां, तो उसके निर्देश-पद क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

इंटेग्रल कोच फैक्टरी मद्रास में प्रोत्साहन बोनस की प्रतिघंटा दरें

*200. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1973 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने के बाद रेलवे वर्कशापों में कर्मचारियों के प्रोत्साहन बोनस की प्रति घंटे की दरों को बदला गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अप्रैल 1974 से इंटेग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास के कर्मचारियों को बड़ी दर से भुगतान की गई धनराशि को वसूल करने के बारे में निदेश जारी किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1–8–1975 से प्रोत्साहन बोनस की प्रति घंटा दरों में संशोधन कर दिया गया है ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) 1–8–1975 से पहले पात्र कर्मचारियों को उनके प्राधिकृत वेतनमान के आधार पर वर्तमान प्रतिघंटा दर से प्रोत्साहन बोनस दिया जाता था । साबारी डिब्बा कारखाने में कुछ कर्मचारियों को अप्रैल, 1974 से अगस्त, 1974 तक की अवधि के दौरान गलती से प्रोत्साहन बोनस ऊंची दरों से दे दिया गया था । अतएव जितना भुगतान अधिक किया गया था उसकी वसूली कर ली गयी है ।

विभिन्न 'स्ट्रक्चरों' में खुदाई की प्रति मीटर लागत

1295. **श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई, बसई 'स्ट्रक्चर' बंगाल की खाड़ी में तट दूर खुदाई की प्रति मीटर लागत और त्रिपुरा, आसाम, पश्चिम बंगाल और गुजरात में तट पर खुदाई की लागत कितनी आती है ;

(ख) क्या अन्य तेल उत्पादक देशों की तुलना में भारत में खुदाई की लागत बहुत अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

Oil Drilling at Pilibhit in U.P.

1296. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Petroleum** be pleased to state:

(a) the time by which the work of drilling oil at Pilibhit in Uttar Pradesh is expected to be completed ;

(b) the estimated expenditure involved therein ; and

(c) the strength of the staff to be engaged therefor and full facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum (Shri Z. R. Ansari): (a) The ONGC expects to commence drilling at Puranpur, District Pilibhit, U.P., in March/April, 1977. The projected depth of the well is 6000 meters and the well is likely to take about one year to be completed.

(b) Rs. 2·40 crores approximately.

(c) The strength of the technical and non-technical staff for drilling will be about 260. Most of the staff would be made available from other projects of the Commission and only a small number of unskilled and semiskilled staff, as usual will be employed locally through Employment Exchange.

उत्तर रेलवे में आश्रितों के रोजगार के लिये विचाराधीन आवेदन-पत्र

1297. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की सेवा में रहते हुये माता-पिता की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप रेल कर्मचारियों के आश्रितों के रोजगार के लिये कितने आवेदन-पत्र 1 जुलाई, 1976 को उत्तर रेलवे के पास डिवीजनवार, विचाराधीन थे ; और

(ख) वर्ष 1974–75 और 1975–76 में तथा वर्ष 1976 के अप्रैल, मई और जून के महीनों में इस कारण कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

विवरण

मण्डल का नाम	1-7-76 को शेष आवेदन पत्रों की संख्या	नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या				
				1976		
		1974–75	1975–76	अप्रैल	मई	जून
दिल्ली	132	64	69	2	3	11
फिरोजपुर	130	30	37	—	—	—
लखनऊ	326	20	34	5	7	3
बीकानेर	46	15	70	7	8	5
जोधपुर	26	7	17	1	—	—
मुरादाबाद	74	59	106	1	1	1
इलाहाबाद	115	34	41	25 (अप्रैल, मई और जून के लिए)		
मुख्यालय	7	14	15	4	2	3
अन्य मण्डल कार्यालय	42	28	58	1	6	—
वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (प्रशासन)	3	20	32	1	5	4

प्रमुख रेलगाड़ियों को चण्डीगढ़ तथा अमृतसर तक बढ़ाने सम्बन्धी निर्णय

1298. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय नई दिल्ली तक चलने वाली कुछ प्रमुख मेल गाड़ियों को चण्डीगढ़ तथा अमृतसर तक ले जाने के लिये कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1975–76 के दौरान सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया जाना

1299. **श्री नानू भाई एम० पटेल** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी फर्में कौन-कौन सी हैं जिन्हें वर्ष 1976 में सी०ओ०बी० लाइसेंस दिये गये हैं और इन सी०ओ०बी० लाइसेंसों में क्षमता प्रदान किये जाने के आधार क्या थे ;

(ख) क्या सी०ओ०बी० लाइसेंस देने में कोई एक समान नीति अपनाई जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 1–1–1976 से 31–7–1976 की अवधि के दौरान फर्में जिन्हें सी०ओ०बी० लाइसेंस मंजूर किए गये हैं के नाम दिखाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है। सी०ओ०बी० लाइसेंस में क्षमताएं, तकनीकी प्राधिकारियों के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र० संख्या	उपक्रम का नाम	सी०प्रो०बी० लाइसेंस की संख्या और तिथि	उत्पादन का मद	प्रतिवर्ष क्षमता
1.	मैसर्स मैसूर रीसिन्स एण्ड कैमिकल्स लि०, मैसूर	आई एल 9 (76) दिनांक 31-1-1976	कामेलहि हालेड	6,000 मी० टन
2.	मैसर्स यूनी--यर्सा०बी०लि०; बम्बई	आई एल 25(76) दिनांक 23-2-1976	औषध सूत्रयोग	वैस्पराक्स गोलियां संख्या 5.2 मिलियन
3.	मैसर्स तमिलनाडु दाधा फार्मेस्युटिकल्स लि०, मद्रास।	सी० आई० एल० 53(76) दिनांक 8-4-1976	औषध सूत्रयोग	1. गोलियां संख्या 89 मिलियन 2. एम्चल्स--18,355 लिटर 3 वायल्स--692 लिटर 4. कैप्सूल्स--7.7 मिलियन संख्या में 5. आईटमेंट--7000 कि० ग्राम 6. लिक्युल्ड्स--4550 लिटर
4.	मैसर्स राहूरी शाहकारी सक्खर कारखाने, राहूरी	56(76) दिनांक 29-4-76	रेक्टीफाइड स्पिरिट	430 मिलियन लिटर

वातानुकूलित कोच और वातानुकूलित चेयर कार

†1300. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष और चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में प्रथम श्रेणी वातानुकूलित कोच और वातानुकूलित चेयर कार उपयोग करने वालों की संख्या क्या है ;

(ख) द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित 2-टायर कोचों का, इसके प्रारम्भ से ही उपयोग करने वाले लोगों के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) सभी रेलवे पे द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित 2-टायर कोचों की क्रमिक वृद्धि करने सम्बन्धी कार्यक्रम क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी। लम्बी दूरी की तेज गाड़ियों के लिए स्वत : जनित वातानुकूल 2-टायर वाले 32 शयनयानों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया गया है।

Preparation of Electoral Rolls

1301. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state whether the work of preparing electoral rolls going on in different States since the proclamation of emergency has been completed in all respects ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. V..A Seyid Muliammad) : The Work of revision of the electoral rolls in all the States and Union territories with reference to 1st January, 1976 as the qualifying date, was commenced on 1st April, 1976 and was scheduled to be completed by 16th August , 1976.

एलेप्पी से नींदाकारा तक रेलवे लाइन

1302. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐलेप्पी से नींदाकारा तक एक नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव की दक्षिण रेलवे के मुख्य निर्माण प्रबन्धक द्वारा जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राज्य सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Number of Teachers in Railway Run Schools (Central Railway)

1303. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to State the number of teachers in the schools run by the Railway in each division of Central Railway ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : The number of teachers in schools run by Central Railway, divisionwise, is as under :

Division	No. of Teachers
Bombay	41
Bhusawal	79
Nagpur	27 (including one part time teacher)
Jabalpur	19
Jhansi	21

Production of Caustic Soda and Soda Ash

1304. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the target fixed by Government for production of caustic soda and soda ash by the end of Fifth Five Year Plan ;

(b) the names of the factories producing caustic soda and soda ash at present, indicating total annual production thereof ; and

(c) the consumption thereof in the country at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Shri O.P. Majhi) : (a) The targets fixed for production of caustic soda and soda ash by the end of Fifth Five Year Plan are indicated below : —

Castic Soda	
Capacity (1978-79)	8·75 Lakh Tonnes
Production (1978-79)	7·00 Lakh Tonnes
Soda Ash	
Capacity (1978-79)	11·00 Lakh Tonnes
Production (1978-79)	8·80 Lakh Tonnes

(b) A statement showing the names of factories producing caustic soda and soda ash with their installed capacities is attached. [Placed in the Library, See No. LT-11192/76] The total production of caustic soda and soda ash during the year 1975 was as under :—

	Tonnes
Caustic Soda	4,42,644
Soda Ash	5,41,432

(c) The consumption of caustic soda and soda sash in the country matches the production.

Work done in Hindi in Railway Ministry

1305. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the broad outlines of the progress of work done in the Railway Ministry since his taking over charge thereof and the previous percentage of the work done in Hindi ;

(b) Whether in Western Railway only 40 per cent work is done in Hindi when it runs in Hindi-speaking area and if so, the reasons therefor ; and

(c) Whether only 33 per cent work is done in Hindi in Northern Railway and if so, the Reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Bata Singh): (a), (b) & (c) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

खम्बात की खाड़ी में तेल की खोज

1306. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़**: क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'बाम्बे हाई स्ट्रक्चरों में शामिल किये गये क्षेत्रों को छोड़कर खम्बात की खाड़ी में अथवा कच्छ और सौराष्ट्र के तट के आस पास तेल की खोज की कोई सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन से स्थान हैं और वहां क्या योजनायें हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) 1976 के प्रारम्भ में सौराष्ट्र समुद्रतट से बाहर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया था। सौराष्ट्र समुद्रतट से बाहर और कार्य दिसम्बर, 1976 और जनवरी 1977 के दौरान करने की योजना है।

कच्छ के अपतटीय क्षेत्र में अन्वेषण के लिए ठेका मैसर्स रीडिंग और बेट्स को दिया गया था। कम्पनी ने एक अन्वेषणी कुएं की खुदाई की है और उससे प्राप्त आंकड़ों का इस समय पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में और अन्वेषण के लिए निर्णय, इस पुनरीक्षण के परिणाम के आधार पर किया जाएगा।

गोहाना और पानीपत (उत्तर रेलवे) के बीच रेलवे लाइन का निर्माण

1307. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के गोहाना और पानीपत के बीच रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके निर्माण कार्य में लगभग कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) आशा है यह परियोजना 31-3-1979 तक पूरी हो जायेगी।

Petrol Agencies in Rajasthan

1308. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Petroleum** be pleased to state :

(a) the total number of petrol agencies in Rajasthan and the number of those sanctioned recently together with the locations thereof ; and

(b) the percentage thereof allotted to people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum (Shri Z. R. Ansari) : (a) and (b). The total number of retail outlets of all the oil companies in Rajasthan as on 1-1-1976 is 508 (approx.). As a matter of policy, only IOC has been allotting 25% of its 'A' site retail outlets to the persons belonging to Scheduled Castes/Tribes effective from 1-1-1974. Since April, 1976 six retail outlets were commissioned by IOC in Rajasthan at Paldimeena, Kukas Talada, Sende Rao, Mulla Khera and Lall Soth. Out of these six, two retail outlets at Paldimeena and Kukas have been allotted to persons belonging to Scheduled Castes/Tribes.

Employment on Compassionate Grounds (Northern Frontier Railway)

†309. **Shri G.P. Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of applications submitted to the General Manager and Divisional Superintendents of North East Frontier Railway during the period from 1975 to July, 1976 for getting employment on compassionate grounds ; and

(b) the number of unemployed youths appointed on compassionate Grounds, Division-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) 386.

(b)

Division	No. Appointed
Katihar :	23
Alipurduar :	35
Lumding:	40
Tinsukia	15
Headquarters and Non-Divisionalised Offices: . .	31
Total	144

पश्चिम बंगाल में स्टेशनों पर सुविधायें देने की योजनायें

1310. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में ऐसे कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं, जिन पर प्लेटफार्म शेड, प्रतीक्षा कक्ष और तार भेजने की सुविधायें तथा जन सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) ये सभी सुविधाएं देने के लिए क्या योजनायें बनाई गई हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) पश्चिम बंगाल में ऐसे कुल रेलवे स्टेशनों की संख्या, जहां प्लेटफार्म पर शेड, प्रतीक्षा कक्ष, तार भेजने की सुविधाएं और जन सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं नीचे दी गयी है

(i) प्लेट फार्म पर बिना शेड वाले स्टेशनों की संख्या	280
(ii) बिना प्रतीक्षा कक्ष वाले (ऊंचा दर्जा) स्टेशनों की संख्या	322
(iii) उन स्टेशनों की संख्या जहां तार भेजने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं	295

ऐसा समझा जाता है कि "जन सेवाओं" शब्द से माननीय सदस्य का आशय जनता द्वारा तार भेजे जाने की सुविधा से है ।

(ख) किसी स्टेशन विशेष पर जलवायु की स्थिति और होने वाले यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए प्लेटफार्म पर छत डालने की व्यवस्था की जाती है।

प्रतीक्षा कक्षों की व्यवस्था भी किसी स्टेशन विशेष पर ऊंचे दर्जे के यात्रियों की संख्या को ध्यान में रख कर की जाती है।

ये काम एक कार्यक्रम के आधार पर किये जाते हैं बशर्ते कि रेल उपयोगकर्त्ता सुविधा समिति ने इनका अनुमोदन कर दिया हो, जो कि ऐसे कार्यों का चयन करते समय जनमत और धन की उपलब्धता का ध्यान रखती है। वर्ष 1976–77 और 1977–78 के निर्माण कार्यक्रम में, इस आधार पर पश्चिम बंगाल के 28 स्टेशनों को प्लेटफार्म पर छत डालने की व्यवस्था के लिये चुना गया है।

पश्चिम बंगाल के 616 स्टेशनों में से 321 स्टेशनों पर जनता को तार भेजने की सुविधाएं मौजूद हैं। इन सुविधाओं का अन्य स्टेशनों पर विस्तार जनता की मांग और संसाधनों तथा सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में ढील देना

1311. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में ढ़ील देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि भारत के लघु उद्योगों के एसोसिएशनों का संघ इस आधार पर बड़े औद्योगिक गृहों को एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में ढ़ील देने के किसी भी प्रयास के विरुद्ध है कि इससे बड़े उद्योग गृह लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादों की बिक्री करने लगेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्री मान जी।

(ख) कम्पनी कार्य विभाग को भारत के लघु उद्योगों की संस्थाओं के संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

महत्वपूर्ण औषधियों का निर्माण

1312. **श्री के० मालन्ना** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार औषध उद्योग के स्वदेशी क्षेत्र के साथ विचारविमर्श करके महत्वपूर्ण औषधिकों का उत्पादन करने के लिये एक योजना बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : औषध और भेषज समिति ने अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिये 117 अनिवार्य दवाइयों का पता लगाया

हैं और उनके लिये अपेक्षित प्रपुंज औषधों के बारे में भी बताया है। औद्योगिक लाइसेंस/अनुमति पत्र देकर उन प्रपुंज औषधों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। 1-4-1975 से औषध निर्माताओं को अधिक से अधिक 121 लाइसेंस आशय-पत्र जारी किये गये हैं।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा कम्पनियों के विरुद्ध आदेश

1313. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने इस वर्ष जून में किन-किन फर्मों और कम्पनियों के विरुद्ध "काम और प्रतिबन्ध" के आदेश पारित किये हैं और उनके विदेशी सहयोगकर्ताओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिनके विरुद्ध इस वर्ष के आरम्भ में ऐसे आदेश पारित किये गये थे ;

(ग) क्या आदेशों को समुचित रूप से क्रियान्वित किया गया है ; और

(घ) सम्बन्ध विभागों ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) अपेक्षित विवरणों का उल्लेख संलग्न विवरण-पत्र (अनुलग्नक 'क') में किया जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० -11193/76] विवरण-पत्र में उल्लिखित उपक्रमों के विदेशी सहयोगकर्ताओं के ब्यौरा कम्पनी कार्य विभाग के पास, जो इस विषय पर प्रशासनिक रूप से सम्बन्ध नहीं है, के पास तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ख) कम्पनियों के नाम अनुलग्नक 'ख' में दिये जाते हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 11193/76]

(ग) तथा (घ). प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं से सम्बन्धित विषय में आदेश या निर्णय देते हुए, आयोग अधिकतर मामलों में प्रतिवादी को इस प्रक्रिया, जिसमें दिये गये आदेशों को कार्यान्वित किया गया है, का उल्लेख करते हुए शपथ-पत्र देना अपेक्षित करता है। ये शपथ-पत्र आदेश में उल्लिखित समयावधि में दिये जाना अपेक्षित है। इस प्रकार के शपथ-पत्र सामान्यतः देय तारीख तक ही प्रस्तुत किये जाते हैं जब तक कि आयोग अपने आदेश द्वारा तारीख न बढ़ाए।

Booking of Seats in Rajdhani Express Trains

1310. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of seats booked out of the total number of seats in the Rajdhani Express trains running from Delhi to Bombay and Calcutta and from Calcutta and Bombay to Delhi during the last six months; and

(b) the loss or profit to Railways on that account?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Accommodation available vis-a-vis booked in Rajdhani trains during the period from 1-1-76 to 30-6-76 was as under:

	ACC		AC Chair Car Seat	
	Available	Booked	Available	Booked
101 Up Howrah—New Delhi	936	670	18,980	17,561
102 Dn New Delhi—Howrah	936	686	18,980	16,650
151 Dn Bombay Central—New Delhi .	882	724	16,685	16,525
152 Up New Delhi—Bombay Central .	936	635	17,286	14,930

(b) Expenditure of individual train is not maintained. However, studies are in progress for working out the total cost of operating the Rajdhani Express trains for assessing their financial remunerativeness.

पांचवीं योजना के दौरान गुजरात में नई रेल लाइनें

1315. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पांचवीं योजना के दौरान कुछ नई रेल लाइनें बिछायी जानी थीं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं; और

(ग) कितनी और लाइनें बिछाये जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) गुजरात राज्य में निम्नलिखित प्रस्तावित नये रेल सम्पर्कों की सर्वेक्षण-रिपोर्टों की जांच की जा रही है। सर्वेक्षण चल रहे हैं :—

लाइन का नाम	वर्तमान स्थिति
(1) गांधीधाम-लखपत नयी बड़ी लाइन/मीटर लाइन	सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है।
(2) शामलाजी रोड-मोदासा नयी मीटर लाइन/नाडियाड-कपाडवंज-मोदासा आमान—परिवर्तन एवं नयी बड़ी लाइन	तदेव
(3) भावनगर-तारापुर नयी बड़ी लाइन	सर्वेक्षण चल रहे हैं।

सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच हो जाने के बाद इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा। लेकिन यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

28 किलोमीटर लम्बे साबरमती-गांधी नगर नये रेल सम्पर्क का निर्माण हाल ही में पूरा किया गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान नये रेल सम्पर्कों को आरम्भ करने के बारे में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

क्षेत्रीय रेलवे के महा-प्रबन्धकों और उत्पादन एककों का सम्मेलन

1316. श्री एम० कतामुतु :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबन्धकों तथा उत्पादन एककों का दो दिवसीय सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में हुए विचार विमर्श का सार क्या है तथा उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी हां, सम्मेलन 30 और 31 जुलाई, 1976 को हुआ था।

(ख) विचार-विमर्श के विषय थे---अन्तर रेलवे और अन्तः रेलवे परिचालन, वित्तीय निष्पादन और भावी लक्ष्य। इस सम्मेलन में जो निर्णय लिये गये हैं उन पर महाप्रबन्धको और रेल मन्त्रालय द्वारा सक्रिय रूप से कार्रवाई की जायेगी।

Cases under Prevention of Food Adulteration Act in Delhi High Court

1317. **Shri Hari Singh:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of cases came up for hearing in Dehi High Court under the Prevention of Food Adulteration Act during the period from 1st June, 1975 to 30th June, 1976 and the cases out of them in which conviction was upheld by the High Court; and

(b) the number of cases still pending there?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale):

(a) 32 cases were disposed of during the period from 15-6-1975 to 30-6-1976 and convictions in 27 of them were upheld.

(b) As on 30-6-76, 41 such cases were pending.

विभिन्न कारणों से दण्डित रेलवे कर्मचारी तथा अधिकारी

1318. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की घोषणा के बाद अनेक रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों को भ्रष्टाचार, कर्तव्य को भली भांति न निभाने, घूस देने, आम जनता के साथ अशिष्ट तरीके से पेश आने और काम पर विलम्ब से आने के आरोप में आरोप पत्र दिए गए है, मुअत्तल किया गया है, नौकरी से हटाया गया है, बर्खास्त किया गया है तथा दण्ड दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र वार उनकी संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

औषधियों के लिये कारखानों की स्थापना

1319. **श्री सोम चन्द सोलंकी** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में नये कारखाने स्थापित करने के कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये;

(ख) कितने मामलों में औषधियां बनाने की मंजूरी दी गई तथा किन औषधियों के लिए मंजूरी दी गई। कितनी कितनी क्षमता मंजूर की गई तथा क्या शर्तें रखी गयीं; और

(ग) कितने आवेदन पत्र अस्वीकार किये गये तथा इसके मुख्य कारण क्या हैं और क्या सरकार नये उद्यमियों को कोई प्राथमिकता देती है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव सभा-पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

Thieves/Dacoits Travelling with Bogus Firt Class Ticket

1320. Shri Nageshwar Dwivedi : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whehter some thieves or dacoits travelling with bogus first class tickets in 42 Dn Myssoorie Express were apprehended by Railway staff at Mandi Dhanaura, Northern Railway on the night of 7th/8th July, 1976; and

(b) the action taken for granting rewards to the Railway employees who assisted in arrestirg the said culprits ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) (a) No. However, on the night of 6/7-7-76 one criminal named Pappu son of Karam Chand of Delhi was apprehended by Assistant Station Master, Mandi Dhananra in 42 Dn Mussoorie Express with the help of other railway staff travelling without ticket. Some blank Excess Fare Ticket and Blank Paper Ticket Books and some other propety have been recovered from his possessior. Government Railway Police, Moradabad have registered a case *vide* Diary No. 5 under section 41/120/411 IPC and investigation is in progress.

(b) The Railway staff who helped in apprehending the culprit will be recommended for reward after full facts become known on the completion of investigation.

रेलवे में प्राधिकृत कुली

1321. **डा० के० एल० राव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में कितने प्राधिकृत कुली हैं;

(ख) क्या उन्हें दोपहर का खाना खाने के लिए शैड जैसी सुविधायें प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या उन्हें बिल्ले तथा वर्दी निःशुल्क अथवा राज सहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध करायी जाती हैं;

(घ) क्या उनकी कार्य स्थिति का कोई अध्ययन किया गया है; यदि हां, तो उनको कार्य करने की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ङ) क्या उन्हें तथा उनके परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय रेलों में लगभग अड़तीस हजार लाइसेंसधारी भारिक हैं ।

(ख) रेलवे स्टेशनों पर जहां कहीं कैंटीन की सुविधाएं हैं, लायसैंसधारी भारिक उनका उपयोग करने के हकदार हैं। वे दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ।

(ग) लायसैंसधारी भारिकों को 3 रुपये के प्रतिभूति निक्षेप पर जो वापसी योग्य है, निरपवाद रूप से बैज और बक्ल सप्लाई किये जाते हैं। उन्हें वर्ष में पायेदार कपड़े की दो वर्दियां दी जाती हैं । यदि वे अपनी वर्दियों का प्रबन्ध स्वयं करना चाहें तो रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार, उन्हें ऐसा करने की भी अनुमति है । वर्दियों की लागत, लायसैंसधारी भारिकों से प्राप्त लायसैंस शुल्क से की जाती है और इस सम्बन्ध में कोई अनुदान नहीं दिया जाता ।

(घ) जी हां । लायसैंसधारी भारिकों की काम की स्थितियों पर विचार करने के लिए, श्रम मन्त्रालय द्वारा एक अध्ययन दल का गठन किया गया था । लायसैंसधारी भारिकों की काम की स्थितियों में सुधार लाने के लिए, अध्ययन दल द्वारा की गयी 55 सिफ़ारिशों में से 31 सिफ़ारिशों ज्यों की त्यों स्वीकार कर ली गयी हैं। 9 सिफ़ारिशों को संशोधित रूप में स्वीकार कर के कार्यान्वित किया गया है। तीन सिफ़ारिशें केवल अवलोकनों के रूप में थीं । 12 सिफ़ारिशें स्वीकार नहीं की गयीं ।

(ङ) लायसैंसधारी भारिक केवल अपने लिए रेलवे अस्पतालो/औषधालयों में निःशुल्क बहिरंग चिकित्सा कराने के पात्र हैं । लेकिन स्टेशनों पर यात्रियों का सामान ढ़ोते समय यदि उन्हें गम्भीर चोट आ जाती है तो ऐसे मामलों में अन्तरंग चिकित्सा पाने के पात्र नहीं हैं ।

पाँचवीं योजना के लिये निर्धारित नया यातायात लक्ष्य

1322. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के अन्त तक रेलवे द्वारा लाने ले जाने वाले कुल यातायात के बारे में एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवीं योजना के मसौदे में निर्धारित लक्ष्य से यह कम हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के बारे में योजना आयोग के साथ हाल ही में हुए विचार-विमर्श के दौरान योजना आयोग ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास को दृष्टि में रखते हुए बताया कि योजना के अन्तिम वर्ष में रेलों द्वारा ढ़ोये जाने वाले भाड़ा-यातायात की मांग पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदा-प्रलेखों में मूल रूप से परिकल्पित 3000 लाख मीटरिक टन के मुकाबले लगभग 2600 लाख मीटरिक टन होगी ।

दक्षिण महाराष्ट्र में बनाये जाने वाले सड़क उपरि पुल

1323. **श्री अन्ना साहिब गोटखिंडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में मिराज में सड़क उपरि पुल का उद्घाटन करते समय उस क्षेत्र में अन्य बहुत से सड़क उपरि पुलों की आवश्यकता पर बल दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में तथा अगले वर्ष दक्षिण महाराष्ट्र में किन-किन स्थानों पर ऐसे पुल बनाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। लेकिन उद्घाटन समारोह के समय जनता के कुछ सदस्यों ने कोल्हापुर और कराड़ में ऊपरी सड़क पुल के काम को शीघ्र पूरा किये जाने की इच्छा व्यक्त की थी। इन ऊपरी सड़क पुलों के काम में रेलवे ने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है, किन्तु राज्य सरकारों को अभी पहुंच मार्गों का काम पूरा करना है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। फिर भी चालू वर्ष 1976-77 के दौरान दक्षिण महाराष्ट्र में बनाये जाने वाले प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुलों और 1977-78 के दौरान बनाये जाने वाले विचाराधीन पुलों की एक सूची नीचे दी गयी है :—

1976–77 के दौरान बनाये जाने वाले प्रस्तावित ऊपरी-सड़क पुलों की सूची।

महोल में, बशर्ते राज्य सरकार द्वारा अनुमानित लागत जमा कर दी जाय।

1977–78 में निर्माण के लिये विचाराधीन ऊपरी-सड़क पुलों की सूची।

घोरपुरी में .

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए दक्षिण महाराष्ट्र से कहा गया है कि वह बड़ी लाइन रेल मार्ग पर कल्याण-पुणें-घोंड के दक्षिण का क्षेत्र सम्मिलित कर ले।

अनिवार्य औषधियों के मूल्य

1324. **श्री एम० आर० वेकारिया** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवार्य औषधियों के मूल्य निर्धारित करने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) और (ख). औषधों के मूल्य सांविधिक रूप से औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत नियन्त्रित किये जाते हैं। प्रमुख औषधों और आवश्यक औषधों सहित सूत्रयोगों के मूल्य उक्त आदेश के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा पहले ही निर्धारित किये गये हैं। तथापि उन औषध निर्माता एककों को इस आदेश के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है जिनका लाभ 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के वितरण सम्बन्धी समिति

1325. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **पेट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता की जांच करने तथा उस पर प्रतिवेदन देने के लिए कोई समिति नियुक्त की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) . पैट्रोलियम उत्पादों की वितरण प्रणाली को सुधारने के विचार से श्री के० आर० दामले की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। अन्य बातों के साथ समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के वितरण के प्रश्न की जांच की थी। समिति ने मिट्टी के तेल की मांग उपयुक्त निर्धारण के लिये जिससे इस उत्पाद के लिये अन्य वितरण व्यवस्था की जा सके के लिये विशेषज्ञों की एजेंसी द्वारा विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण किये जाने की सिफारिश की है। समिति ने तेल उद्योग के सदस्यों के सहयोग से हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा तालुका मिट्टी के तेल डिपो (टी०के०डी० सर्वेक्षण) पाइलट परियोजना पर प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट का पुनरीक्षण किया और समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के समान रूप से मिट्टी के तेल के वितरन के उद्देश्य को प्राप्त करने के हित में टी०के०डी०एस० की स्थापना करने की सिफारिश की है। आगे समिति ने सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार जांच करें जो क्षेत्र अब विद्यमान कम्पनी भण्डार/कस्बों से काफी दूर स्थित हैं, उनके लिये चुने हुये रेल मुख्यालयों/पत्तनों पर कुछ कम्पनी द्वारा परिचालित प्वांइटों को स्थित करें जिससे उन क्षेत्रों द्वारा तेल वितरण की सेवायें आसानी से प्राप्त की जा सकें। समिति के विचार से टी०के०डी० योजना से उपभोक्ता को पूर्ण लाभ तभी मिल सकता है जबकी इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये पहले ही उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा अधिक खपत वाली औषधियों का अपनाया जाना

1326. **श्री भालजी भाई रामजी भाई परमार** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि

क्या इण्डियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स ने पांचवी योजना के लक्ष्यों के अनुसार अधिक खपत वाली औषधियों की सम्पूर्ण क्षमता अपने अधिकार में ले ली है परन्तु वे कुछ औषधियों का उत्पादन निकट भविष्य में अथवा पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक भी नहीं करना चाहते ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री ी० सी० सेठी) : औषध और भेषज उद्योग पर समिति ने सिफारिश की है कि सरकारी क्षेत्र को प्रपुंज और औषधों के उत्पादन के लिये प्रमुख स्थान देना चाहिए। समिति ने कुछ औषधों के लिये भारतीय औषध और भेषज लि० को उत्पादन के आंवटन का उत्तरदायित्व देने की भी सिफारिश की है। इन सिफारिशों और अन्य पहलुओं के आधार पर सरकार ने आई० डी० पी० एल० द्वारा नई क्षमतायें स्थापित करने की स्वीकृति दी है। पांचवी योजना अवधि के दौरान आई० डी० पी० एल० को दिये गये लाइसेंस/आशय पत्रों के ब्यौरे, जब वे उत्पादन करने जायेंगे, 17; अगस्त 1976 को लोक सभा अ०प्र०सं० 920 के उत्तर में अंकित किये गये हैं।

रेल के सवारी डिब्बों और इंजनों की सप्लाई

1327. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 में रेलवे कितने देशों को रेल के डिब्बे, इंजन और पटरियां आदि की सप्लाई करेगी।

(ख) क्या रेलवे ने वर्ष 1975-76 में निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान रेलवे कर्मचारियों की अधिष्ठापित क्षमता का किस सीमा तक उपयोग किया गया है और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय रेलें 1976 के दौरान तंजानिया को सवारी डिब्बे और इंजन (रेल इंजन) सप्लाई कर रही हैं । नेपाल को, फिटिन्गों सहित 50 पौंड वाली पुरानी रेल पटरियों के निर्यात के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

(ख) भारतीय रेलों का इस प्रकार का कोई निर्यात लक्ष्य नहीं है ।

(ग) रेलवे मरम्मत कारखानों में उपलब्ध क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया गया है ।

जहां तक उत्पादन यूनिटों का प्रश्न है, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन, और डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में उपलब्ध क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया गया है । लेकिन, धन की कठिन स्थिति के कारण सवारी डिब्बा कारखाना, पेराम्बूर की क्षमता का पूरी तरह उपयोग सम्भव नहीं हो सका है । 1976-77 की पहली तिमाही के दौरान रेलवे मरम्मत कारखानों और उत्पादन यूनिटों का उत्पादन इस प्रकार रहा :—

1—रेलवे मरम्मत कारखाने

चल स्टाक की किस्म	ओवरहाल/मरम्मत की मासिक क्षमता	1976-77 की पहली तिमाही में औसत मासिक मरम्मत कार्य
बड़ी लाइन भाप रेल इंजन	140	144
मीटर लाइन भाप रेल इंजन	121	123
बड़ी लाइन व मीटर लाइन डीजल रेल इंजन	9.5	10
चोपहियां यूनिटों में बड़ी लाइन कोचिंग स्टाक	1830	1759
चौपहियां यूनिटों में मीटर लाइन कोचिंग स्टाक	1438	1371
चौपहिया यूनिटो में बड़ी लाइन के माल डिब्बे	8515	8779
चौपहिया यूनिटों में मीटर लाईन के माल डिब्बे	2808	2924

2—उत्पादन यूनिटें

	मासिक क्षमता	1976-77 के चार महीनों का औसत मासिक उत्पादन
चितरन्जन रेल इंजन कारखाना	5.5 बिजली रेल इंजन	3.0
	4 डीजल रेल इंजन	2.25
डीजल रेल इंजन कारखाना	10 भाप रेल इंजन	7.25
सवारी डिब्बा कारखाना	62.5 सवारी डिब्बे	48.25 (खोल)
		43.50 (साज-सज्जा) युक्त

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना :

केवल धन की कठिन स्थिति के कारण ही रेल इंजनों के उत्पादन को सीमित किया गया है । अतिरिक्त बिजली कर्षण मोटरों और बोगियों का उत्पादन, भाप रेल इंजनों के पुर्जों का निर्माण, डीजल रेल इंजनों का ओवरहाल और बिजली रेल इंजनों की मरम्मत कार्य आरम्भ करके उपलब्ध क्षमता का पूरी तरह उपयोग करने के लिए उपाय किये गये हैं ।

डीजल रेल इंचन कारखाना :

धन की कठिनाई के कारण रेल इंजन कारखाने में रेल इंजनों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है । डीजल रेल इंजन कारखाने की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के उद्देश्य से विविधता के प्रभावशाली काम आरंभ किये गये और डीजल रेल इंजन कारखाने ने क्षेत्रीय रेलों को डीजलों रेल इंजनों के अनुरक्षण के लिए, बहुत अधिक संख्या में फालतू पूर्जे सप्लाई किये । डीजल रेल इंजन कारखाने ने इस्पात संयंत्रों के लिए डीजल जनित्र सेट और डीजल शंटरो का निर्माण करके निर्यात के क्षेत्र में भी पदार्पण कर लिया है ।

सवारी डिब्बा कारखाना :

सवारी डिब्बा कारखाने में उत्पादन केवल धन की कमी के कारण सीमित किया गया है । फालतू क्षमता के उपयोग के उद्देश्य से अनेक रूपता के प्रयास किये गये थे । रेलों से संरक्षण मरम्मत और ओवरहाल के लिए सवारी डिब्बे भेजे गये तथा रेलों और बाहरी यूनिटों को फालतू पुर्जे भी सप्लाई किये गये ।

पैट्रोलियम उत्पादों की माँग में वृद्धि की दर

1328. **श्री राजदेव सिंह :** क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि की दर जो नौ प्रतिशत थी, गत दो वर्षों में कम हो गई है ; और

(ख) क्या मूल्य वृद्धि के साथ-साथ इस कमी के अन्य कारण भी हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) मूल्यों में वृद्धि के अतिरिक्त उपयोग में कमी करने के लिये कई अन्य उपाय किये गये जैसे कोयले के प्रयोग पर बल देना, ईंधन के उपयोग की कार्यकुशलता में वृद्धि, ईंधन इंजीनियरों और अन्य भट्टी के तेल के उपभोग करने वाले उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को आधुनिक कार्यकुशलता की जानकारी का प्रशिक्षण देना अनावश्यक उपभोग को निरउत्साहित करने के नियमन करने के उपाय आदि से भी मांग में कमी हुई ।

बेलारी से लौह अयस्क का परिवहन

1329. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में बेलारी से मद्रास बन्दरगाह होते हुये लौह अयस्क का परिवहन मार्मा-गाको होते हुये ले जाने की तुलना में अधिक खर्चीला पाया गया है; यदि हां, तो कितना,

(ख) लौह-अयस्क और मैंगनीज अयस्क के परिवहन में क्रमशः हास्पेट-बेलारी-मद्रास मार्ग तथा हास्पेट- मार्मागावो मार्ग का कितना उपयोग किया जाता है, और

(ग) इन मार्गों का अधिकतम उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) बेलारी से मद्रास बन्दरगाह तक माल डिब्बा भार में लौह अयस्क के लिये रेलवे का भाड़ा प्रभार 4.55 रुपये प्रति क्विंटल है जब कि बेलारी से मार्मागावो बन्दरगाह तक इस यातायात का प्रभार 3.89 रुपये प्रति क्विंटल है जिसमें पूरक प्रभार तथा पत्तन कर्षण प्रभार शामिल है।

(ख) हास्पेट-गुन्तकल्लु-मद्रास बड़ी लाइन मार्ग विभिन्न उपखण्डों पर लाइन क्षमता का उपयोग 31-3-76 की स्थिति के अनुसार 34 से 80 प्रतिशत तक था जब कि अधिकांश मार्ग पर लाइन क्षमता का औसत उपयोग सामान्यतः 60 प्रतिशत से अधिक था। 34 प्रतिशत का उपयोग केवल हास्पेट-गुन्तकल्लु बड़ी लाइन पर ही है जहां कोई सवारी गाड़ी नहीं चलती। गुन्तकल्लु हास्पेट-मार्मागावो मीटर लाइन मार्ग पर लाइन क्षमता का उपयोग 56 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच होता है जबकि अधिकांश मार्ग पर औसत उपयोग सामान्यतः 60 प्रतिशत से अधिक होता है।

(ग) गुन्तकल्लु-हास्पेट-मार्मागावो मीटर लाइन मार्ग का पहले से ही अनुकूलतम उपयोग हो रहा है क्योंकि लाइन क्षमता का उपयोग आम तौर पर 80 प्रति से अधिक होता है। जहां तक हास्पेट-गुन्तकल्लु-मद्रास बड़ी लाइन मार्ग का सम्बन्ध है, 1975-76 में 22.9 लाख मीटरिक टन लौह अयस्क की वास्तविक ढुलाई की गई थी जिसकी तुलना में 1976-77 में लगभग 30 लाख मीटरिक टन की ढुलाई होने की आशा है और छटी योजना अवधि के प्रारम्भ में यह ढुलाई 50 लाख मीटरिक टन तक होने लग जाएगी।

रेलवे लाइनों की स्वीकृति दिया जाना

1330. श्री एस० एल० पेजे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे मंत्रालय ने तीसरी तथा चौथी योजनाओं के दौरान योजना आयोग के समक्ष नई रेलवे लाइनों के कुल कितने प्रस्ताव भेजे हैं,

(ख) योजना आयोग ने कितने प्रस्तावों का अनुमोदन किया है ; और

(ग) क्या रेलवे मंत्रालय ने पांचवीं योजना में आष्टा-दसगांव रेलवे लाइन प्रस्ताव की सिफारिश योजना आयोग से की है; और यदि हां, तो इस पर योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 28।

(ख) 21।

(ग) पांचवीं योजना अवधि के दौरान आष्टा-दासगांव रेल सम्पर्क के निर्माण के लिये प्रस्ताव की सिफारिश योजना आयोग को की गई थी लेकिन उन्होंने इसे इस समय प्रारम्भ करने के लिए सहमति नहीं दी है।

बर्मा-शैल की प्रदत्त पूंजी, परिसम्पत्तियाँ और लाभ

1331. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा-शैल की वर्ष 1951 में तथा सरकार द्वारा इसे अपने नियंत्रण में लेने के समय कुल प्रदत्त पूंजी कितनी थी ;

(ख) इस कम्पनी की वर्ष 1951 में तथा राष्ट्रीयकरण के समय अचल तथा अन्य परिसम्पत्तियों का मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1972-74 के वर्ष-वार इस कम्पनी ने मुख्यालय द्वारा प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत कुल कितना लाभ अर्जित किया तथा कितना धन बाहर भेजा है ; और

(घ) इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने के फलस्वरूप इसकी मुआवजे के रूप में कुल कितनी राशि दी गई तथा मुआवजे की राशि निर्धारित करने का आधार क्या था ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) 31 दिसम्बर, 1951 को बर्मा-शैल आयल स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड की कुल मूल प्रदत्त पूंजी पौंड 4 मिलियन (5.34 करोड़ रुपये के बराबर) थी और सरकार द्वारा जनवरी, 1976 में कंम्पनियों के बर्मा-शैल ग्रुप को पूर्ण रूप से ले लेने के अवसर पर कुल मूल प्रदत्त पूंजी 32.75 करोड़ रुपये थी ।

(ख) बर्मा-शैल रिफाइनरीज लिमिटेड 1952 में निगमित की गई थी और 1955 में शोधनशाला आरम्भ की गई थी। 1955 तक बर्मा-शैल आयल स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन कर रही थी जो मुख्यत: आयातित थे । 1951 के अन्त तक और तत्काल सरकार द्वारा जनवरी, 1976 में लेने से पहले बर्मा-शैल की अंकित परिसम्पत्तियां क्रमश: 681 लाख रुपये और 4807 लाख रुपये थी । परिसम्पत्तियों की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :--

	के अनुसार	
	31-12-51	31-12-75
	(रुपये लाखों में)	
1. शुद्ध निर्धारित परिसम्पत्तियां	464	2409
2. चालू परिसम्पत्तियां		
कम चालू उत्तरदायित्व . . .	217	2398

(ग) 1972 से 1974 के दौरान लाभ/लाभांश के बारे में कम्पनियों द्वारा भेजी गई राशि और अर्जित लाभ नीचे दिये गये हैं :--

	1972	1973	1974
	(रुपये लाखों में)		
1. आठ वर्षों की कानूनी अवधि के बाद डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउन्ट से स्थानान्तरण सहित शुद्ध लाभ .	251.8	486.8	74.3
2. भेजी गई राशि . . .	114.7	38.1	130.9

इन वर्षों के दौरान तकनीकी/सेवा शुल्क रायल्टी और मुख्य कार्यालय खर्चे के कारण कोई बाहर जाने वाली राशि नहीं है।

(घ) भारत में बर्मा-शैल उपक्रम के अधिग्रहण के लिये दिये जाने वाली कुल राशि (अर्थात् विपणन कम्पनी की भारतीय परिसम्पत्तियां और रिफाइनिंग कम्पनी के शेयर) 37 करोड़ रुपये है जो नीचे के अनुसार पौंड 202, 79, 696 बैठता है :—

(i) रिफाइनिंग कम्पनी	9,25 करोड़ रुपये	पौंड 5,069,924
(ii) विपणन कम्पनी	27.75 करोड़ रुपये	पौंड 15,209,772
रुपये	37.75 करोड़ रुपये	पौंड 20,279,696

बर्मा-शैल को दी जाने वाली राशि को निर्धारित करने के आधार इस समय बताना जनहित में नहीं होगा क्योंकि इस समय काल्टैक्स और असम आयल कम्पनी लेने के लिये बातचीत चल रही है।

खड़गपुर और मिदनापुर के बीच विद्युतीकृत मार्ग

1332. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खड़गपुर–7 अदरा-सेक्शनों की क्षमता बढ़ाने के लिये क्या उपाय करने का विचार किया जा रहा है ; और

(ख) खड़गपुर और मिदनापुर के बीच की 13 किलोमीटर लम्बी लाइन पर विद्युतीकृत मार्ग बनाने और ई० एम० यू० यान सेवा आरम्भ करने तथा जिला मुख्यालय और हल्दिया झाड़-ग्राम के बीच सीधी गाड़ियां चलाने में क्या कठिनाइयां हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिये वर्तमान क्षमता पर्याप्त समझी जाती है।

(ख) यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुये इस खण्ड का विद्युतीकरण करने का औचित्य नहीं है। हल्दिया और मिदनापुर के बीच तथा झाड़ग्राम और मिदनापुर के बीच सीधी गाड़ियां नहीं चलायी जा सकतीं, क्योंकि मिदनापुर में टर्मिनल सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। ये सुविधायें झाड़ग्राम में भी उपलब्ध नहीं हैं।

जबलपुर डिवीजन (मध्य प्रदेश) में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1333. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर डिवीजन (मध्य प्रदेश) में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब तक आरम्भ होगा ;

(ख) क्या रेलवे ने उपरोक्त लाइन की आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करने के लिये सातवें दशक में एक समिति नियुक्त की थी ;

(ग) क्या उक्त समिति ने यह सिफारिश की थी कि इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने से लाभ होगा ; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में अनुरोध किया है और यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम निकला ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) शाखा लाइनों सहित सतपुड़ा छोटी लाइन (652 कि० मी०) के उत्तरी खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिये सर्वेक्षण किये गये थे परन्तु वित्तीय एवं यातायात की दृष्टि से इस परियोजना को अर्थक्षम नहीं पाया गया । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब केवल जबलपुर-गोंदिया छोटी लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिये प्रारम्भिक इंजिनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है । सर्वेक्षण पूरा होने और रिपोर्ट की जांच करने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा ।

(ख) प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण के लिये आदेश दिया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव रेल मंत्रालय में जनवरी, 1976 में प्राप्त हुआ था और उपयुक्त भाग (क) में बतायी गयी स्थिति मध्य प्रदेश सरकार को सूचित कर दी गयी थी ।

रेलवे भूमि का उपयोग (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे)

1334. श्री रोबिन ककोटी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अधिकार में कुल कितने हेक्टेयर भूमी है और पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे द्वारा अपने कार्यों के लिये कुल कितने हेक्टेयर भूमी का उपयोग किया जाता है ; और

(ख) लोगों को कुल कितने हेक्टेयर भूमी पर धान तथा अन्य फसल उगाने के लिये और दुकानों, होटलों और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये पट्टे पर दी हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कब्जे में कुल 24,794 हेक्टैयर भूमी है और रेल प्रशासन के अपने उपयोग के लिये 19,408 हेक्टैयर का क्षेत्र है ।

(ख) धान और दूसरी फ़सलों के लिये अलग अलग व्यक्तियों को पट्टे पर दी गयी कुल 2,978 हेक्टैयर भमी है और दुकानों, होटलों और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये पट्टे पर दी जाने वाली जमीन 38 हेक्टैयर है ।

Decision of OPEC to supply Oil at reduced prices

1335. Shri Mohan Swarup: Will the Minister of **Petroleum** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that a decision to supply oil at reduced prices to agricultural developing countries was taken in the meeting of OPEC held recently in Vienna city ;

(b) if so, the details of the decision of OPEC; and

(c) the extent to which India is likely to be benefited thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum (Shri Z. R. Ansari) ;

(a) According to Government's information, no such decision was taken.

(b) and (c) Do not arise.

कम उठान के कारण उर्वरकों का फालतू होना

1336. **श्री बालकृष्ण बेंकन्नानायक :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम उठान के कारण उर्वरक कारखानों के पास उर्वरक का भण्डार जमा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब कारखानों में कितना माल है और 12 मास पूर्व कितना था ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख): 1-8-75 और 1-8-76 को देशीय निर्माताओं के पास निम्नलिखित स्टाक था :—

	उर्वरकों का स्टाक (000' मी० टन)	
	नाइट्रोजन	फोस्फेट
1-8-75 . .	115	61
1-8-76 . . .	250	95

1-8-1976 को नाइट्रोजन का स्टाक लगभग 29 दिन के उत्पादन के बराबर है जो कि अधिक नहीं है । जहां तक फोस्फेट का सम्बन्ध है इसका स्टाक 1-8-76 को 45 दिन के उत्पादन के बराबर है और यह आंशिक रूप में अधिक है ।

रसायनिक उर्वरकों की अनुमानित माँग में अन्तर

1337. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के बीच रासायनिक उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकताओं में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या ऐसा प्रति वर्ष होता है ; और

(ग) देश तथा उर्वरक उद्योग पर इसका समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ता है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग): उर्वरक आवश्यकताओं का अनुमान लगाने का प्रारम्भिक उत्तदायित्व कृषि मंत्रालय का है । अन्य बातों के साथ साथ इस मंत्रालय के विचार कृषि सम्बन्धी आवश्यकता तथा अन्य सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखकर राज्य सरकारों तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ परामर्श से कृषि मंत्रालय द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ।

भाखड़ा नांगल परियोजना रेलवे को सरकारी अधिकार में लेना

1338. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखड़ा बांध के निकट नेला में अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना के परिणामस्वरूप माल यातायात के बढ़ जाने को ध्यान में रखते

हुए सरकार ने परियोजना रेलवे के नांगल भाखड़ा सेक्शन को अपने अधिकार में लेने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय कब लिया गया ; और

(ग) उत्तर रेलवे इस परियोजना रेलवे को अपने अधिकार में कब लेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं । अब तक की गयी प्रारंभिक जांच से ज्ञात हुआ है कि इसे अपने अधिकार में लेना वित्तीय दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होगा फिर भी, इस मामले की आगे जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता ।

मुगलसराय (पूर्व रेलवे) पर थक डिवीजन

1339. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगलसराय पर पूर्व रेलवे के पृथक् डिवीजन की मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो डिवीजन के कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) प्रस्तावित डिवीजन का क्षेत्राधिकार क्या होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) चालू वर्ष से प्रारम्भ करके इस मंडल को तीन चरणों में खोला जाना है आशा है कि 1979–80 तक ये तीनों चरण पूरे हो जायेंगे ।

(ग) मुगलसराय–मानपुर (दोनों को मिलाकर),
सोन नगर–गढ़वा रोड (दोनों को मिलाकर),
बरवाडीह (को छोड़कर)–चोपन (को मिलाकर),
बिल्ली-सिंगरौली (दोनों को मिलाकर),
मेरलग्राम–भवनाथपुर (दोनों को मिलाकर); और
चोपन–चुनार (को छोड़कर) ।

अलाभप्रद रेलवे लाइनों के कारण रेलवे को हानि

1340. सरदार मोहिन्दर सिंह गिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, देश में अलाभप्रद क्षेत्रों में रेलगाड़ियां चलाने में रेलवे को कितनी हानि हुई; और

(ख) क्या इन क्षेत्रों को लाभप्रद बनाने के लिए कोई कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) गत तीन वर्षों में अलाभप्रद शाखा लाइनों पर रेल गाड़ियां चलाने से रेलों को जो हानि हुई वह नीचे बतायी गयी है। इसमें लाभांश शामिल नहीं है।

1972-73 .	. 11.39 करोड़ रुपये
1973-74 .	. 19.90 करोड़ रुपये
1974-75 .	. 26.14 करोड़ रुपये

(ख) हानियों को कम करने के लिए उठाये गये कदम निम्न प्रकार हैं :--

(1) कर्मचारियों पर खर्च, ईंधन तथा अन्य अनुरक्षण के सामानों की संख्या/मात्रा को परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुकूल न्यूनतम रखा गया है;

(2) इन खंडों पर विपणन एवं विक्रय की गतिविधियों को तीव्र कर दिया गया है;

(3) जहां तक संभव हो सका है, क्रासिंग स्टेशनों को हाल्ट स्टेशनों में बदल दिया गया है;

(4) गाड़ियों की रफ्तार और लदान क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ छोटी लाइनों के रेल पथ को सुदृढ़ किया जा रहा है; और

(5) चरणबद्ध आधार पर चल स्टाक को बदला जा रहा है;

(6) बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए गहन जांच की जा रही है।

डाइयों, कीटनाशी दवाइयों और औषधियों के उत्पादन के लिये 'कामन इन्टरमीडिएट्स' का आयात

1341. **श्री नानू भाई एम० पटेल** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाइयों, कीटनाशी दवाईयों और औषध उद्योगों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले "कामन इंटरमीडियेट्स" क्या हैं और डाई कीटनाशी दवाईयों और औषधियों का निर्माण करने वाली कुछ कम्पनियां एक उद्योग के लिये इन 'इण्टरमीडियेट्स' का आयात करती हैं और इनका प्रयोग अन्य अनुसूचित उद्योग में करती हैं; और

(ख) गत वर्ष इस प्रकार के कितने मामले सरकार की जानकारी में आये हैं और तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

Cancellation of trains running on narrow gauge lines

1342. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of passenger trains running on narrow gauge lines on various Railways which have since been cancelled ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : At present 33 pairs of narrow gauge trains stand cancelled out of which 19 pairs of trains have been cancelled temporarily on account of rains, breaches, construction of dams etc.

Sale of narrow gauge line engines and coaches to other countries

1343. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether Government propse to sell the narrow gauge line engines and coaches lying idle to some other countries ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : Yes. Government is always willing to sell narrow gauge engines and coaches which have outlived their useful life, as and when demands are received.

Proposal to dispense with narrow gauge lines

1344. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :—

(a) whether narrow gauge lines have been found to be uneconomic in the country;

(b) if so, the amount of loss suffered on these lines during the period from 1972 to March, 1976 ; and

(c) whether there is a proposal to dispense with narrow gauge lines in the country and if so, by what time ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes, most of them.

(b) The loss excluding divided for the lst two years is given below :—

1973-74	Rs. 6·24 crores
1974-75	Rs. 8·65 crores

The figures of loss for the year 1975-76 have not yet been finalised.

(c) It is the policy of the Ministry of Railways to progressively eliminate multiplicity of gauges which has become a bottleneck in the movement of traffic and to have broad gauge uniformly all over the country. This would, however, have to be done on programme basis over a considerable period.

ओलावाककोट—त्रिवेन्द्रम रेल लाइन का विद्युतीकरण

1345. श्री सी० जनार्दनन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओलावाककोट-त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल सेक्शन के विद्युतीकरण के लिए लागत तथा व्यावहार्यता अध्ययन आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) सर्वेक्षण कार्य चल रहा है और आशा की जाती है कि यह कार्य अगले वर्ष के प्रारम्भ में पूरा हो जायेगा ।

Construction of Over-Bridges at level crossing in Madhya Pradesh

1346. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the amount of money given to the Government of Madhya Pradesh for the construction of over-bridges at level crossings during 1974-75, 1975-76 and 1976-77 :

(b) whether the State Government have utilised any amount out of it, so far; and

(c) if so, the amount utilised and the number of places in Madhya Pradesh where over-bridges have been constructed at level crossings by the State Government so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) The amount allocated from the Railway Safety Works Fund to Madhya Pradesh is as under :—

1974-75	Rs. 17·21 lakhs
1975-76 (Revised Estimates) .	Rs. 17·31 lakhs
1976-77 (Budget Estimates) .	Rs. 17·80 lakhs.

(b) No.

(c) Does not arise.

New Railway Lines laid in Madhya Pradesh

1347. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Railways** be pleased to state the salient feature of the new railway lines laid in Madhya Pradesh during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): The following new lines have been completed/are in progress, during the last three years in Madhya Pradesh :—

S. No.	Name of project	Estimated cost	Length (in kms.)	Present position
1	Guna-Maksi . . .	Rs. 10·51 croees	193·53	The line has been opened for goods traffic. Passenger trains are expected to be introduced by 30-11-1976.
2	Hirdagarh-Damua . . .	Rs. 2·25 crores	14·30	Work has been approved but construction has not yet been started.

गुजरात के उपभोक्ताओं को बम्बई हाई से प्राप्त गैस का आवंटन

1350. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़**: क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की जनता की चिर-प्रतीक्षित मांग की पूर्ति करने और भड़ौच के निकट चाबज में स्थापित किये जाने वाले दूसरे उर्वरक कारखाने के रूप में निहाई (एन्विल) पर वर्तमान परियोजनाओं के विकास में सहायता देने के लिए बम्बई हाई की गैस के आवंटन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सौराष्ट्र में जफ़राबाद के निकट पीपावळ जैसे समुचित स्थान पर इस सहयोगी गैस पर आधारित 450 मैगावाट के बिजलीघर की स्थापना करने की कोई सम्भावना है;

(ग) क्या बम्बई हाई और समीपवर्ती स्थानों से 450 मैगावाट के विद्युत् सन्यन्त्र, उर्वरक सन्यन्त्र, सोडा एश और अन्य लवण आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए पाइप लाइनें बिछाई जायेंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ): बम्बई हाई क्षेत्र से सहयोगी गैस के परिवहन और उपयोग से सम्बन्धित मामले अध्ययन किये जा रहे हैं।

इंडियन पैट्रो-कैमिकल कारपोरेशन लिमिटेड की परियोजनाओं की प्रगति

1351. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड** : क्या **पेट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा के निकट जवाहर नगर में इण्डियन पैट्रो-कैमिकल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न परियोजनाओं की क्या प्रगति है ;

(ख) क्या इन परियोजनाओं पर निर्धारित समय के अनुसार काम हो रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में क्या-क्या कठिनाइयां आ रही हैं; और

(घ) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउरहमान अन्सारी): (क) एरोमैटिक्स प्रायोजना 1973 में पूरी हुई और चालू हुई। औलिफ़िन्स प्रायोजना एवं उनके निम्नस्तरीय एककों का निर्माण अग्रिम स्तर पर है।

(ख) जी नहीं।

(ग) पूर्व निर्धारित समय से विलम्ब के मुख्य कारण हैं :—

(i) स्वदेशी उपस्करों विशेषत: स्फ़यर्स एवं कालमों सम्बन्धित समस्याएं ;

(ii) नलिकाओं के सामान के विलम्ब से एवं अक्रमिक प्राप्ति।

(iii) स्वदेशी उपस्करों जैसे सुपर-हीटर और अव्यवों का विभिन्न कारणों से विलम्ब से पहुंचना।

(iv) आरम्भ में स्वदेशी पम्पों के संभरकों को दिए गए आर्डरों के स्थान पर पुन: विदेशी प्रदायकों को देना।

(घ) विभिन्न गति-विधियों की समय-समय पर जांच की जाती है और प्रायोजना के समय पर पूरा होने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए उचित उपाय किये जाते हैं।

रोहतक और भिवानी के बीच रेल लाइन का निर्माण

1352. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहतक और भिवानी के बीच प्रस्तावित नई रेल लाइन के निर्माण-कार्य की क्या स्थिति है;

(ख) निर्माण-कार्य पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) उसे पूरा करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) इस परियोजना पर कुल मिलाकर वास्तविक प्रगति लगभग 39 प्रतिशत हुई है।

(ख) 31-3-1976 तक 1,21,41,000 रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ग) मार्च, 1979, बशर्ते समय पर पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

छोटा उदेपुर-प्रताप नगर और छछापुरा-टनखला नैरो गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1353. **श्री फतेहसिंह राव गायकवाड** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या छोटा उदेपुर-प्रतापनगर और छुछापुरा-टनखला नैरो गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदन की गत चार वर्षों से जांच हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की जांच कब तक पूरी हो जायेगी तथा इस मामले में कब तक निर्णय कर लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). 1970-72 में प्रस्तावित रेल सम्पर्क के आमान परिवर्तन के सम्बन्ध में किये गये सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि 137 किलोमीटर लम्बी इस परियोजना पर 8.79 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और यह अलाभप्रद रहेगी। रेलों की कठिन वित्तीय स्थिति और पर्याप्त यातायात के औचित्य की कमी को देखते हुए आमान परिवर्तन के लिए इस परियोजना को हाथ में लेने का फिलहाल प्रस्ताव नहीं है।

Advocates engaged by Government for pleading cases in Supreme Court

1354. **Shri M.C. Daga**: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases pleaded in the Supreme Court on behalf of the Central Government in 1975-76 and the names of the advocates engaged in addition to the Government pleaders alongWith the amount of fee given to them for the purpose; and

(b) the reasons for which other advocates are engaged ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H.R. Gokhale) : (a) A statement giving names of Panel and non-Panel Advocates engaged in Central Government cases in the Supreme Court of India in 1975-76 together with the number of cases given and fees paid to each Advocate is annexed. [Placed in the Library. *See* No. LT/—11194/76].

(b) Non-Panel counsel are engaged only in exceptional circumstances when the Panel counsel are not available.

उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले

1355. **श्री आर० के० सिन्हा** :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में 30 जून, 1976 तक कितने सिविल और दांडिक मामले लम्बित थे; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये मामले शीघ्र निपटा दिए जाएं, क्या विशेष प्रयास किए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन 10,427 अपीलें और रिट अर्जियां लम्बित थी।

(ख) भारत के मुख्य न्यायाधिपति लम्बित मामलों की फाइल का सदैव पुनर्विलोकन करते रहते हैं। ऐसी दांडिक अपीलों जिनमें मृत्यु दण्ड का प्रश्न हो, कर अपीलों, निर्वाचन अपीलों और श्रम अपीलों आदि की सुनवाई के लिए आवश्यकतानुसार समय-समय पर विशेष बैंचें बनायी जाती हैं और जहां तक हो सकता है बकाया मामले निपटाए जाते हैं। ऐसे मामले, जिनमें समान प्रश्न होते हैं या जो एक ही विषय-वस्तु से उत्पन्न होते हैं, एक साथ रखे जाते हैं और इस बात का विशेष प्रयास किया जाता है कि ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1966 में उच्चतम न्यायालय नियम पुनरीक्षित किए गए थे और तदनुसार, इस दृष्टि से कि मामलों का शीघ्रता से निपटारा हो सके, अपीलों के अभिलेखों के मुद्रण का कार्य, जो इसके पूर्व उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाता था, उच्चतम न्यायालय ने अपने हाथ में ले लिया है।

पैट्रोलियम केन्द्र

1356. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **पैट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने देश में पैट्रोलियम केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय हाल ही में लिया है; और

(ख) क्या इन केन्द्रों द्वारा सभी किस्म के पैट्रोलियम-उत्पादों बिक्री की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : इस वर्ष के अन्त तक ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में 400 परचून बिक्री की दुकानों को तेल कम्पनियों द्वारा बहु-उद्देशीय वितरण केन्द्रो में बदलने का प्रस्ताव है। मोटर स्पिरिट, मिटटी तेल, डीजल तेल तथा स्नेहक जैसे विभिन्न पैट्रोलियम उत्पादों के अतिरिक्त बिक्री केन्द्र ग्रामीण जनता द्वारा अपेक्षित अनेक वस्तुओं एवं सेवाओं जैसे प्रमाणिक बीज, उर्वरक तथा कृषि सम्बन्धी कच्चा माल एवं आवश्यक वस्तुयें जैसे कन्ट्रोल का कपड़ा, आम घरेलू दवाईयां, साबुन, वनस्पति तथा खाना पकाने का तेल (बन्द डिब्बों में) साइकल के टायर एवं ट्यूब, ट्रैक्टर के पुर्जे, टार्च सैल आदि को भी बेचेंगे। कुछ केन्द्रों में क्लिनिक रूप में चिकित्सक की सेवायें भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

उत्तरी जोन के उर्वरक उद्योग समूह

1357. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी जोन में दूसरे सबसे बड़े उर्वरक उद्योग समूह की स्थापना सरकार द्वारा की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें उत्पादन कब प्रारम्भ होगा ;

(ग) परियोजना की लागत क्या होगी; और

(घ) क्या परियोजना द्वारा प्रदेश में उर्वरक का बाहुल्य में उत्पादन किया जायेगा; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ). भटिण्डा और पानीपत स्थित मैसर्स नेशनल फ़र्टिलाइजर्स लि० के उर्वरक सन्यन्त्र, जिनकी वार्षिक क्षमता 235,000 मी० टन नाइट्रोजन की है, देश में दूसरे बड़े उर्वरक सन्यन्त्र होंगे। भटिण्डा प्रायोजना के जनवरी, 1978 में

वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की आशा है। जबकि पानीपत प्रायोजना के जुलाई में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की आशा है। प्रत्येक प्रायोजना के लिये 174 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है। इन प्रायोजनाओं के आरम्भ होने से इस क्षेत्र में उर्वरकों की देशीय उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि हो जायेगी।

वर्ष 1976–77 में नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन

1358. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976–77 में 1975–76 की अपेक्षा नाइट्रोजन उर्वरकों के अधिक उत्पादन के लिये उनके मन्त्रालय ने कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कितने प्रतिशत होगी; और

(ग) चालू वर्ष में नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग). 1976–77 के दौरान नाइट्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य 19.5 लाख मी० टन तक निर्धारित किया गया है जो 1975–76 के दौरान प्राप्त 15.35 लाख मी० टन के उत्पादन से ऊपर 27 प्रतिशत की वृद्धि स्थापित करेगा।

विश्व बैंक द्वारा सिन्दरी उर्वरक संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिये ऋण

1359. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन द्वारा सिन्दरी उर्वरक सन्यन्त्र के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिये भारत को दिये गये ऋण की शर्तें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने सिन्दरी आधुनिकीकरण संयन्त्र के लिये 91 मिलियन डालर मंजूर किया है। ऋण का भुगतान 10 वर्षों की छूट अवधि सहित 50 वर्षों में करना है। ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। परन्तु उस पर प्रति वर्ष केवल 3/4 प्रतिशत सेवा खर्च लगेगा।

Relaying of Nirmali-Saraigarh Metre Gague Railway Line

1360. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the time by which the preliminary engineering and traffic survey report for relaying the Nirmali-Saraigarh metre gauge railway line on the North Eastern Railway is likely to be examined; and

(b) the salient features of the survey report ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b). Survey reports for the proposed rail link are under compilation by the Survey Team and are expected to be received in this office shortly. The examination thereof will be taken up after the reports are received.

Institute of Constitutional and Parliamentary Studies

1361. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred till date on the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies;

(b) whether any review committee was set up to assess the achievements of the Institute and if so, whether it has submitted its report; and

(c) if so, the main recommendations contained therein and the manner in which these are being implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Law; Justice and Company Affairs (Dr. V. A. Seyid Muhammad) : (a) During the years 1965-66 to 1975-76 the Government of India has given a total grant in aid of Rs. 20,59,300. The Institute has also been given a grant in aid of Rs. 1,00,000/- up till now for the current financial year 1976-77.

(b) Yes, Sir.

(c) A Statement showing the main recommendations of the Review Committee is attached.

The Institute of Constitutional and Parliamentary Studies has been apprised of the recommendations of the Review Committee and their reaction is awaited on receipt of which further necessary action will be taken by the Government.

Statement

The Main Recommendations of the Review Committee are as under :—

(i) The Institute should confine its activities to the field of Constitutional and Parliamentary Studies and abandon those activities which are not directly relatable to its objectives.

(ii) Institutional arrangements should be made to prevent the Institute from deviating from its priorities and objectives through ad-hoc foreign grants.

(iii) The Institute should not accept without prior approval of the Government any grant donation from any foreign or indigenous source ; or engage any foreign consultant to advise it in its working. The funds/deposits in foreign banks should be transferred to India.

(iv) The Institute should amend its Memorandum of Association and Rules for effecting structural changes and improvements in its management and day-to-day activities.

(v) The Institute should frame comprehensive rules governing *inter alia* recruitment, conditions of service, allocation of responsibility etc. in respect of its employees.

(vi) The Institute should be allowed an annual recurring grant-in-aid amounting to Rs. 4 lakhs to begin with, provided the Institute undertakes to implement the recommendations of the Committee.

Government Lawyers or Legal Advisers in Branch Secretariat, Bombay

1362. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Government Lawyers or legal advisers in Branch Secretariat at Bombay and the total expenditure that is incurred on them ; and

(b) whether despite Government lawyers and legal advisers services of other lawyers are taken and if so, the reasons therefor ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) & (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Government Companies Found Guilty under the Companies Act

1363. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Government Companies found guilty under the Companies Act by the Company Law Board during the last three years and the nature of punishment awarded to each of them ; and

(b) Whether Government companies have requested the Company Law Board to exempt them from the provisions of section 43A(1-A) of the Companies Act and if so, the reasons therefor and the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua) : (a) Detailed information in respect of the offence/contraventions under the Companies Act by the Government companies during the years 1973, 1974 and 1975 was furnished to the Department of Parliamentary Affairs on the 29th March and the 31st March, 1976 in fulfilment of assurance given in respect of Lok Sabha Unstarred Question No. 7221 answered on 22-4-75. The Statement was laid on the table of Lok Sabha on 15-4-76.

(b) Representations were received from several Government Companies and standing Committee of public Enterprises to exempt government companies from the provisions of section 43A(1A) of the Companies Act, 1956 so that they can preserve the *status-quo ante* as a Government private company as on 1st February, 1975.

But as the statutory conversion of a private limited company into a public limited company under the said provision is based on turn-over, irrespecive of share capital, no distinction could be made in this regard between government companies and non-government companies, and hence no exemption was given and all concerned were informed accordingly in December last year.

Confirmation of Casual Labourers working in Railways

1364. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether casual labourers are still being appointed for work of regular nature in the Railways;

(b) whether Railway Board have concurred in the proposals of AIRF and NFIR for the abolition of casual labour system and have issued orders to all the General Managers of Indian Railways for quick implementation of the said decision *vide* their letter No. E(NG) II-74CL/27 dated 20th June 1974 and whether this order is not being implemented; and

(c) if so, the number of casual labourers working so far in the Indian Railways and whether on the basis of the decision referred to in part (b) above it is proposed to confirm all those casual labourers who have been appointed for work of regular nature ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) (a) No.

(b) & (c). What was agreed was not abolition of the casual labour system. Some casual labourers will have to continue for projects and for work which is seasonal, intermittant or of short duration. The agreement was to decasualise casual labourers doing work of a regular nature which has been enumerated in detail. This is being implemented. 4534 new Class IV posts have been sanctioned upto 31-3-76. Many others have been adjusted against available Class IV vacancies. In all there were about 2,5000 casual labourers doing regular jobs on 30-9-74, of whom 11,400 have been regularised as Class IV staff upto 31-3-76. Decasualisation is continuing and in due course all those doing regular jobs will be decasualised.

T.A. to Casual Labourers working in Ganga Bridge work office, Patna

1365. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether as in the case of open line, workers including casual labourers working in project are entitled to get T.A. under the rules, if they perform an official journey beyond 8 kilometres; and

(b) whether casual labourers working in Ganga bridge survey work railway office in Patna have been denied of this facility ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :

(a) Yes.

(b) No. Travelling Allowance is paid to them whenever they go out of survey area on official business.

दादर-नागपुर एक्सप्रेस का बोकारो तक विस्तार करने का प्रस्ताव

1366. **श्री बसन्त साठे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादर- नागपुर एक्सप्रेस को बोकारो तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय में विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार कब तक निर्णय लेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस प्रस्ताव की जांच की गई है लेकिन इस समय अपेक्षित संसाधनों की कमी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा केरल तट पर तेल की खोज

1368. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियों ने केरल तट पर तेल की खोज करने के लिये प्रस्ताव किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा ।

त्रिवेन्द्रम विवलोन रेलवे लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलना

1369. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम-विवलोन रेलवे लाइन को ब्राड गेज में बदलने के लिये नियत की गई धनराशि इस कार्य के लिए अपर्याप्त है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये आवंटित धनराशि में कोई कटौती की गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) इस काम को शीघ्र पूरा करने के लिये पर्याप्त धनराशि का आवंटन किया गया है ।

(ख) समग्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुये विभिन्न परियोजनाओं के लिये आवंटित निधि में पुनः समायोजन किया गया है ।

दो मंजिली गाड़ियां चलाना

1370. श्री भाऊसाहेब वामनकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्रियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये चिर-प्रतीक्षित दो मंजिली गाड़ियों के कब तक चलाये जाने की सम्भावना है ;

(ख) सामान्य रेल डिब्बे की तुलना में दो मंजिले डिब्बे की अनुमानित क्षमता क्या है और इसकी लागत क्या होगी और दो मंजिली गाड़ियां चलाना कहां तक लाभप्रद होगा ; और

(ग) उक्त डिब्बों को किन-किन मार्गों पर चलाने का विचार है और क्या इनमें दूर की यात्राओं के लिये सोने के स्थान की व्यवस्था हो सकेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) प्रारम्भ में केवल एक प्रोटो-टाइप दो मंजिला सवारी डिब्बा तैयार किया गया है।

(ख) इस सवारी डिब्बे में दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिये 146 सीटों की व्यवस्था है जबकि रेलवे के साधारण सवारी डिब्बे में 80 सीट होती हैं। इसके निर्माण की अनुमानित लागत 9 लाख रुपये है। इस सवारी डिब्बे को चलाये जाने से लाभ-हानि का अनुमान कुछ समय के बाद ही लगाया जा सकता है ।

(ग) इस सवारी डिब्बे को थोड़ी दूरी की अन्तर्नगरीय गाड़ियों में उपयोग के विचार से बनाया गया है और इसमें सोने के लिये किसी स्थान की व्यवस्था नहीं है। इस प्रोटो-टाइप सवारी डिब्बे को किस गाड़ी में लगाया जाय, इस बारे में विचार हो रहा है।

चोरी करने के कारण गिरफ्तार किये गये सेवा से हटाये गये अथवा बर्खास्त किये गये रेल कर्मचारी

1371. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान आपात स्थिति के दौरान रेलवे सम्पत्ति की बड़ी और छोटी-मोटी चोरी करने के कारण रेलवे के कितने कर्मचारी गिरफ्तार किये गये, सेवा से हटाये गये अथवा बर्खास्त किये गये ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : जुलाई, 1975 से जुलाई, 1976 तक की अवधि के दौरान रेल सम्पत्ति की चोरी और उठाईगीरी करने के कारण 2023 रेल कर्मचारी गिरफ्तार किये गये थे जिनमें से 159 कर्मचारियों को सेवा से हटाया गया और 23 को बर्खास्त किया गया।

इन्टेग्रल कोच फैक्टरी मद्रास में कर्मचारी परिषद् की बैठकें

1372. श्रीमती रोजा विद्याधर पांडे :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटेग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास में कर्मचारी परिषदों की बैठकें करने की परिपाटी समाप्त कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सदस्यों की मांग के बावजूद अक्तूबर, 1975 से कोई बैठक नहीं हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अक्टूबर, 1975 से कर्मचारी परिषद् की 7 बैठकें हुई हैं।

गैर-सरकारी कम्पनियों में सरकार के शेयर

1373. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी गैर-सरकारी कम्पनियों में सरकार के शेयर हैं और उनका कुल मूल्य क्या है,

(ख) क्या इन सभी गैर-सरकारी कम्पनियों के निदेशक मंडल में सरकार का कोई प्रतिनिधि है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सरकारी प्रतिनिधियों की संख्या क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेरिस्टर बरुआ) : (क) 1973-74 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु संघ सरकार के "वित्तीय लेखाओं" में नवीनतम प्रकाशित के अनुसार, केन्द्रीय सरकार (रेलवे मंत्रालय को छोड़कर) उस वर्ष में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत सात गैर-सरकारी कम्पनियों में शेयर धारण करती थी। इन सात कम्पनियों में केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित शेयरों की कुल राशि 26,03,90,731 रुपये थी।

(ख) तथा (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

गत एक वर्ष में गठित कम्पनियां

1374. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में नई गठित की गई और पंजीकृत की गई सीमित कम्पनियों की संख्या क्या है और सरकार ने इन कम्पनियों को देश में तथा बाहर कार्य करने की अनुमति किस प्रयोजन से दी है ;

(ख) इन सीमित कम्पनियों में से कितनी कम्पनियों ने विदेशी सहयोग प्राप्त कर रखा है ; और

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके पंजीकरण के आवेदनपत्र सरकार के विचाराधीन हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेरिस्टर बरुआ) : (क) तथा (ख). 1975 के कलेण्डर वर्ष के मध्य, कम्पनी, अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत हिस्सों द्वारा सीमित 3154 कम्पनियों का पंजीकरण हुआ था। इन कम्पनियों के नामों के साथ साथ वे उद्देश्य, जिनके

लिये, ये विनिगमित हुई हैं, विभाग की मासिक पत्रिका, 'कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स' में प्रकाशित किये गये हैं। इस पत्रिका की प्रतियां, संसद् भवन पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

इन कम्पनियो में से दो को विदेशी सहयोग प्राप्त हुआ था।

(ग) सूचना संग्रह की जा रही है एवं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

गुजरात की कुछ कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का पालन न किया जाना

1375. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की विशेषकर ऐसी कम्पनियों के नामों की एक सूची उनके मंत्रालय को 1974, 1975 और 1976 में भेजी गई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियां (रिजर्व बैंक) निदेश, 1973 के अन्तर्गत आती हैं और जिन पर कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्धों का पालन न किये जाने का आरोप लगाया गया है;

(ख) क्या कुछ मामलों में 'कारण बताओ' नोटिस भी दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या किन्हीं कम्पनियो के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) ऐसी कम्पनियों के कितने मामले अब तक सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ङ) इन विचाराधीन मामलों को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान जी।

(ग) से (ङ). सरकार द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन में वर्णित 16 कम्पनियों में से, चार मामलों में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433/439 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिकाओं के आधार पर, उच्च न्यायालय के कम्पनी के परिसमापन के आदेश पारित कर दिये हैं एवं चार अन्य मामलों में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433/439 के अन्तर्गत याचिकायें, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करदी गई हैं। शेष 8 मामलों में से 3 मामलों में, याचिकायें प्रस्तुत करने की कार्यवाही पर विचार करके उन्हें समाप्त कर दिया गया है। एक मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, क्योंकि कम्पनी को लाभ कमाते हुये पाया गया था। शेष चार मामलों पर प्रादेशिक निदेशको, जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 439(5) के अन्तर्गत ऐसी शक्तियां सौंपी गई हैं, द्वारा आगे कार्यवाही की जा रही है।

प्रतिजीवाणु औषधियों का उत्पादन

1376. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी कम्पनियां प्रतिजीवाणु औषधियों का उत्पादन कर रही तथा वे किस-किस प्रतिजीवाणु फार्मूलेशन का उत्पादन करती हैं;

(ख) उनमें से कितनी कम्पनियां 'बल्क' प्रति जीवाणु औषधियों का उत्पादन करती हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वे कम्पनियां विदेशों में स्थित अपनी मूल कम्पनियों से अत्यधिक मूल्यों पर कुछ प्रतिजीवाणु पदार्थों का आयात करती हैं, यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) देश में औषध और भेषज के उत्पादन में लगी हुई 2500 से अधिक कम्पनियां हैं। इनके द्वारा उत्पादित सूत्रयोग कई हजारों में हैं और जिन सूत्र योगो में प्रतिजीवियों को प्रयोग में लाया गया है, उनको एकीकरण के लिये प्रत्येक सूत्र योग के संयोजन की जांच किये जाने की आवश्यकता है। इस आंकड़े को एकत्र करने में जितना समय और श्रम लगा है, प्राप्त किये जाने वाले परिणाम उनके अनुरूप नहीं होंगे।

(ख) प्रपुंज प्रतिजीवियों के निर्माण में लगी हुई कम्पनियों के नाम और लाइसेंसीकृत क्षमताओं से सम्बन्धित विवरण-पत्र संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11195/76]।

(ग) सरकार के ध्यान में कोई ऐसा मामला नहीं आया है। यदि कोई विशेष मामला सरकार के ध्यान में लाया जाएगा तो जांच की जाएगी और सम्बन्धित कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

रेलवे के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना

1377. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग ने प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम और श्री संजय गांधी के 4 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये क्या विभिन्न उपाय किये हैं ;

(ख) उनके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या आपात स्थिति की घोषणा के बाद रेलवे में दक्षता में सुधार हुआ है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—11196/76]।

(ग) जी हां।

औद्योगिक लाइसेंसों और आशय-पत्रों का जारी किया जाना

1378. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली कितनी कम्पनियों को चालू वर्ष के दौरान जुलाई, 1976 के अन्त तक औद्योगिक लाइसेंस और आशय-पत्र दिये गये थे,

(ख) नाम-पद, मंजूर की गई क्षमताओं और प्रमुख शर्तों का ब्यौरा क्या है जिनके आधार पर यह आशय-पत्र लाइसेंस दिये गये थे, और

(ग) यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि जिन शर्तों पर मंजूरी दी जाती है वे सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा पूरी जाती हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). दो विवरण पत्र जिनमें परिशिष्ठ–I में औद्योगिक लाइसेंस तथा परिशिष्ट–II में आशय पत्रों की स्थिति दर्शायी गई है, संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०–11197/76]।

(ग) लागू की गई शर्तों को पूरा किया जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा निगरानी रखी जाती है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तन्जानिया में पहले तेल कुंएं का खोदा जाना

1379. **श्री रघु नन्दन लाल भाटिया** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इस वर्ष 17 जून को तन्जानियां में पहला तेल कुआं खोदा है,

(ख) यदि हां, तो कितनी गहराई तक कुआं खोदा गया है,

(ग) क्या वहां है प्राकृतिक गैस के कोई संकेत मिले हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ). तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 17 जून, 1976 को तन्जानियां के सांगो सांगो द्वीप समूह पर अपना प्रथम कुआं खोदा। 3 जुलाई, 1976 के प्रातः जब कुए को 869 मीटर की गहराई तक खोदा गया अचानक तथा अप्रत्याशित रूप में गैस का उच्च दाब पाया गया। तत्पश्चात् वहां से तेल बाहर निकलने लगा जिसे उसी समय नियंत्रण कर लिया गया तथा कुएं को सील कर दिया गया। इस क्षेत्र में खनन कार्य पुनः आरम्भ करने के लिए दूसरे रिजन को भेजने की भी व्यवस्था की जा रही है।

भारतीय रेलवे को निर्यात क्रयादेश

1380. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे को रेलवे उपकरणों के निर्यात क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्ष की अपेक्षा ये निर्यात क्रयादेश बहुत बड़ी मात्रा के लिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन निर्यात क्रयादेशों का निष्पादन कब तक हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, गत वर्ष की अपेक्षा 303 प्रतिशत अधिक मूल्य के आर्डर मिले हैं।

(ग) तंजानिया को 15 डीजल रेल इंजन, 5 भाप रेल इंजन और 17 सवारी डिब्बों की सप्लाई के निर्यात आर्डर में से अब तक 6 डीजल रेल इंजन सप्लाई किये जा चुके हैं। अगस्त सितम्बर, 1976 के दौरान 5 भाप इंजनों और 17 सवारी डिब्बों के लदान की व्यवस्था की जा रही है। तंजानिया को 9 डीजल रेल इंजनों की सप्लाई अगस्त 1977 तक पूरी हो जायेगी। जांबिया को टिकट बुलैक्स और कनाडा को मोटर ट्रक फ्रेम की सप्लाई के निर्यात आर्डर का निष्पादन पूरा किया जा रहा है। नेपाल को डिब्बों के सेट की सप्लाई का एक अन्य निर्यात आर्डर इस समय हाथ में है जिसे लगभग 6 महीने में पूरा किये जाने की संभावना है।

ईरान में रुस्तम तेल क्षेत्र से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को हुआ लाभ

1381. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान में रुस्तम तटदूर तेल क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कोई लाभ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या ईरान में सीमान्त क्षेत्रों के लिये करों की दर कम करने के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी हैड्रोकार्बन इन्डिया लि० रियायत पर ईरान के अपतटीय क्षेत्र में 1/6 शेयर रखती है। रुस्तम क्षेत्र से वाणिज्यिक उत्पादन सितम्बर 1969 में प्रारम्भ हो गया है तथा रक्ष नामक क्षेत्र में मई 1971 से उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। 1973 के अन्त तक करों आदि के भुगतान के बाद हाइड्रोकार्बन्स इन्डिया लि० को 1280.09 लाख रुपये की कुल हानि हुई। 1974-75 के दौरान करों के बाद 1016.32 लाख रुपये का लाभ हुआ जिससे 1975 के अन्त तक कुल हानि 263.77 लाख रुपये तक रह गई। आशा की जाती है कि इस हानि को शीघ्र ही पूरा किया जायेगा।

(ग) अभी तक कोई संकेत नहीं हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा आयातित कच्चे माल की बिक्री के सम्बन्ध में शिकायतें

1382. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी फर्मों द्वारा आयातित तथा सरकारी एजेंसी के माध्यम से मंगाये गये कच्चे माल की भारतीय बाजार में अत्यधिक मूल्यों पर बिक्री के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में इस कारण कितनी फर्मों के नामों को काली सूची में डाला गया है; और

(ग) भविष्य में रियायतें देने में इन फर्मों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग). ऐसा कोई विषय सरकार के ध्यान में नहीं आया है। यदि कोई विशेष मामला सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो उसकी जांच और उस विषय से सम्बन्धित कानून के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

औषध फर्मों द्वारा क्षमताओं का पृष्ठांकन करने के लिये आवेदनपत्र देना

1383. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कम्पनियों ने उपयोग के आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्रों पर क्षमताओं के पृष्ठांकन के लिये आवेदनपत्र दिये हैं,

(ख) क्या इन कम्पनियों ने क्षमताओं के पृष्ठांकन के लिये अपने आवेदन-पत्रों के साथ फार्म 'ए' और 'बी' भी प्रस्तुत किये हैं और यदि नहीं, तो क्षमताओं का किस आधार पर पृष्ठांकन करने का विचार है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार कोई जांच-पड़ताल करने का है कि बिना अनुमोदन उत्पादित किये जाने वाले इन फार्मूलेशनों का पंजीकरण प्रमाणपत्रों पर पृष्ठांकन न हो ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) ऐसी कम्पनियों की संख्या 27 हैं।

(ख) और (ग) इन कम्पनियों ने निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं, उन पर निर्धारित पद्धति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा हाथी समिति की सिफारिशों पर निर्णय लिया जा सकेगा।

ईथिनिल इस्ट्राडियोल और ईस्टरोल का आयात

1384. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री विदेशी औषध फर्मों द्वारा 'पेनलटीमेट' मध्यवर्ती औषधियों के आयात के बारे में 11 मई, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 758 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न कम्पनियों को ईथिनिल इस्ट्राडियोल और ईस्टरोल का कितना आयात करने की अनुमति दी गई; और

(ख) क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन इन कम्पनियों को दी गई अनुमति के इन मध्यवर्ती औषधियों के आयात की अनुमति भी शामिल है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) समय-समय पर लागू आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार मध्यवर्ती सहित औषधों और दवाइयों के आयात की स्वीकृति दी जाती है। उक्त नीति के अनुसार गत तीन वर्षों के लिए इथीनिल इस्ट्राडियल का आयात रोका हुआ है। इस नीति के अन्तर्गत इस्टरेन का आयात वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए स्वीकृत किया जाता है।

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कम्पनियों को दिये गये औद्योगिक लाइसेंस में आयात के बारे में निर्धारित शर्तों सहित वास्तविक आयात के ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

रेलवे की आय का विकास निधि और कल्याण निधि में हिस्सा

1385. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1975–76 और 1976 में रेल भाड़े से सरकार ने अपनी आय में वृद्धि की है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) विकास निधि और कर्मचारियों के लिये कल्याण निधि में इसका कितना हिस्सा होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1974–75 की तुलना में 1975–76 के दौरान और 1975–76 के पहले तीन महीनों की तुलना में 1976–77 की तदनुरूपी अवधि में रेल भाड़ा से आये और ढोये गये प्रारम्भिक टन भार का विवरण इस प्रकार है :—

(1) वर्ष 1974–75 की तुलना में 1975-76 के लिए

	1974–75	1975–76
(क) भाड़े से आय (करोड़ रुपयों में) . .	1438.28	1803.85
(ख) राजस्व उपार्जक यातायात का प्रारम्भिक टन भार (दस लाख में) . . .	173.6	196.19

(2) अप्रैल, 75 से जून, 75 की तुलना में अप्रैल, 76 से जून, 76 तक के तीन मास के लिए :—

	अप्रैल, 75 से जून, 75 तक	अप्रैल, 76 से जून, 76 तक
(क) भाड़े से आय (करोड़ रुपयों में)	270.47	329.92
(ख) राजस्व उपार्जक यातायात का प्रारम्भिक टन भार (दस लाख में) . .	45.40	50.85

(ग) चूंकि विकास निधि परिव्यय (उपयोगकर्त्ताओं और कर्मचारियों के लिए सुविधाएं शामिल करके) के कारण रेलों पर सामान्य राजस्व का ऋण बहुत अधिक है इसलिए 8.98 करोड़ रुपये का बजटगत अधिशेष, इस भार का केवल मामूली तौर पर ही कम कर पायेगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कम ईंधन खर्च वाले स्टोव का विकास

1386. **श्री राजदेव सिंह** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का आर० डी० विंग अथवा आयल इण्डिया ईंधन की मितव्ययता के विचार से घरों में काम आने वाले मिट्टी के तेल से जलने वाले एक सुधरे हुए स्टोव का विकास कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि आई ओ सी के अनुसन्धान एवं विकास विंग तथा आई आई पी ने ऐसे एक स्टोव का सम्मिलित रूप से विकास किया। आवश्यक परीक्षण के पश्चात् स्टोव का अब वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा है तथा यह स्टोव शीघ्र ही बाजार में उपलब्ध हो जायेगा।

इन्टरनेशनल यूनियन आफ रेलवेज के सेक्रेटरी जनरल की यात्रा

1387. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को विशेष जानकारी में वृद्धि का अध्ययन करने के लिए इन्टरनेशनल यूनियन आफ रेलवेज, के सेक्रेटरी जनरल ने हाल में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने विभिन्न उत्पादन-कारखानों—चितरंजन, डी०एल० डब्ल्य, कोच फैक्ट्री और आर० डी० तथा स्टैण्डर्ड संगठनों का दौरा किया था;

(ग) क्या उनकी प्रतिक्रिया और धारणाओं को नोट कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उन्होंने डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी और अनुसन्धान अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ का दौरा किया था।

(ग) डीजल रेल इंजन कारखाना और अनुसन्धान अभिकल्प और मानक संगठन के भ्रमण के दौरान उन्होंने भारतीय रेलो में प्रोद्योगिकी विकास की जानकारी हासिल की और देखा कि विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

इन्टेगरल कोच फैक्टरी, पेरम्बूर का कार्य निष्पादन

1388. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टेगरल कोच फैक्टरी पैरम्बूर ने 1975–76 में रेल डिब्बों के ढांचों एवं रेल डिब्बों की साज-सज्जा का लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया;

(ख) यदि हां, तो देश में एवं निर्यात के लिए प्रत्येक गेज के रेल डिब्बों की कुल वार्षिक मांग क्या है; और

(ग) क्या रेल डिब्बे बनाने वाले इस एकक का कार्यकरण और भी अधिक अच्छा हो सकता है यदि वित्तीय बाधाएं अथवा कमियां दूर कर दी जायें ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेलों के लिए तथा आदेश के अनुसार निर्यात के लिए लगभग 1500 सवारी डिब्बे।

(ग) जी हां।

लम्बी दूरी वाली गाड़ियों पर खानपान की विभागीय व्यवस्था

1389. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि यात्रियों में लम्बी दूरी वाली गाड़ियों में खान-पान की विभागीय व्यवस्था के बारे में बहुत असन्तोष है;

(ख) यात्रियों की शिकायतों तथा सुझावों पर क्या कार्यवाही की जाती है; और

(ग) सभी रेलवेज में तथा सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिये खान-पान सेवा में एकरूपता न लाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) यद्यपि विभागीय खान-पान व्यवस्था के बारे में कभी-कभी शिकायतें मिलती रहती हैं तथापि तेज गाड़ियों में खान-पान की जो व्यवस्था की गयी है उसके स्तर में काफी सुधार हुआ है। तेज गाड़ियों में बेहतर किस्म का भोजन देने के उद्देश्य से तैयार भोजन परोसने के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर मूल रसोईघर स्थापित किये गये हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत स्वास्थ्यप्रद वातावरण में तैयार किया गया भोजन इंसुलेटेड ट्रालियों में रख कर गाड़ियों में लगी पैंट्रीकारों को सप्लाई किया जाता है जहां इसे गरम पेटियों में रख दिया जाता है और मार्ग में यात्रियों को गरम-गरम खाना सप्लाई किया जाता है। वर्तमान नीति यह है कि इस प्रणाली का विस्तार धीरे धीरे दूसरी गाड़ियों में भी कर दिया जाये। भोजन तैयार करने की अन्य आधुनिक तकनीकें अपनाने और उपस्कर के आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप खान-पान व्यवस्था में सुधार हुआ है और जनता ने इसे बहुत पसन्द किया है।

(ख) यात्रियों द्वारा दर्ज की जाने वाली सभी शिकायतों और सुझावों की उपयुक्त स्तर पर छान-बीन की जाती है, उनकी पूरी पूरी जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। सभी शिकायत कर्त्ताओं को उपयुक्त सूचना भी दी जाती है।

(ग) स्टेशनों पर और गाड़ियों में खान-पान सेवाओं की व्यवस्था यात्रियों की भिन्न भिन्न रुचियों भिन्न-भिन्न प्रकार के भोजन और खाने की चीजों की मांग, यात्री यातायात की मात्रा, बिक्री की मात्रा और अन्य स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर ही की जाती है। चूंकि ये बातें अलग अलग स्थानों पर बहुत हद तक अलग अलग होती हैं इसलिए सभी जगह एक ही जितना और एक ही जैसा भोजन नहीं दिया जा सकता। इन तत्वों के बावजद रेलों ने "थाली भोजन" और "तैयार भोजन" का एक मानक निर्धारित कर दिया है और सारे देश में उनकी समान कीमत वसूल की जाती है। लेकिन अलग अलग स्वाद के कारण फुटकर मदों का मानवीकरण सम्भव नहीं हो पाया और देश के अलग अलग भागों में अलग अलग पदार्थों की अलग अलग कीमतें होने के कारण इन की दरों भी अलग-अलग ही हैं। रेलों पर खान-पान सेवाओं की जो व्यवस्था की गयी है उनका लाभ सभी दर्जों के यात्री उठा सकते हैं।

तट पर खुदाई के लिये नये स्थान

1390. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे नये स्थानों के नाम क्या हैं जहां पहले ही तट पर खुदाई कार्य आरम्भ हो चुका है, और तेल की इस प्रकार की खोज पर जोर दिये जाने के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में आरम्भ किया जायेगा;

(ख) क्या इन कार्यों में कोई विदेशी सहयोगकर्ता शामिल हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) काम में लायी जा रही मशीनरी और उपकरणों के आयातित कल पुर्जों की प्रतिशतता क्या है और तत्सम्बन्धी वस्तुओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने निम्नलिखित नये स्थानों पर खुदाई कार्य पहले ही आरम्भ किया है :—

1. गुजरात में सम्परा और धनोज।
2. असम में डीभलगांव और बीहूजर।
3. राजस्थान में भौवा।

2. निम्नलिखित नये स्थानों पर व्यधन कार्य ओ० एन० जी०सी० द्वारा 1976-77 के दौरान करने की सम्भावना है। क्योंकि अपतटीय संचालन पर बड़ा जोर देने का प्रस्ताव है :—

1. उत्तर प्रदेश में फरनपुर और फरेबा।
2. हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी, राशामहुर और पुरपुरा।
3. पश्चिम बंगाल में गलैसी और डैमण्ड हारबर।
4. त्रिपुरा में मोजालिया।
5. गुजरात में चनगारा, खावर, पश्चिम महसाना, मेहसाना होर्सट, भियां, वाव और कवीडा।
6. असम में चारन्गोला और लक्ष्मीजन।
7. आन्ध्र प्रदेश में नरसापुर।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तेल अन्वेषण के लिये ओ० एन०जी०सी० द्वारा इस समय प्रयोग में लाये गये उपस्कर और मशीनरी के प्रमुख अंश आयातित हैं। 1975-76 के दौरान 69 प्रतिशत उपस्कर आयातित थे। आयात के मुख्य विषय सहायक पुर्जों के साथ व्यधन रिग ट्यूब्यूलर, हैंडलिंग प्रौजार और तैयार औजार, ब्लोआउट प्रिवेंटर्स और इंसानती पेड़ आदि हैं।

पैट्रोलियम इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के अध्ययन की सुविधायें

1391. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज करने की बढ़ती हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार पैट्रोलियम इंजीनियरी और प्रोद्योगिकी को सभी शाखाओं में उच्च शिक्षा की सुविधाएं देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखाएं क्या हैं ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) विद्यमान सुविधाओं के अतिरिक्त तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और कुछ विश्वविद्यालय संस्थाएं पैट्रोलियम इंजीनियरिंग/टैक्नोलोजी की सभी शाखाओं में विकसित अध्ययन के लिये सुविधाएं उपलब्ध करने में जुटे हुए हैं। उदाहरणतः इण्डियन स्कूल ऑफ माईन्स धनबाद पाठ्यक्रम का स्तर स्नातकोत्तर तक बढ़ा रहा है। इसी प्रकार के कदम अलीगढ़ और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालयों द्वारा भी लिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) विज्ञान और तकनोलोजी पर राष्ट्रीय समिति के कार्यक्रम के अन्तर्गत ओ०एन०जी०सी० कई विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ अनुसन्धान एवं विकास प्रायोजनाओं के लिये सहयोग कर रहा है।

(2) भण्डार का अध्ययन करने के लिए एक संस्थान और ड्रिलिंग तकनालोजी के एक संस्थान की ओ० एन० जी० सी० द्वारा स्थापना की जा रही है।

(3) अपने कर्मचारियों को सेवा कार्य में प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त ओ० एन० जी०सी० अपने तकनीकी कर्मचारियों को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनारों और सम्मेलनों आदि में भेजता है ताकि वे पट्रोलियम तकनोलोजी के क्षेत्र में आधुनिकतम विकास के साथ-साथ चल सकें।

उर्वरकों के उत्पादन में आत्म निर्भरता

1392. श्री एस० आर० दामाणी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये दीर्घावधि और अल्पावधि आधार पर देश में उर्वरकों के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विभिन्न प्रकार के कच्चे माल के उपयोग तथा उनकी देश में उपलब्धता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उर्वरक उत्पादक कारखानों की स्थापना के लिये उनके व्यापारिक उत्पादन की स्थिति तक पहुंचने तक इस समय देश किस सीमा तक आत्म-निर्भर हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी०सी०सेठी): (क) उर्वरक की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक वृहद कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में कार्यान्वयनाधीन है। इस कार्यक्रम के एक अंश के रूप में 16 बड़ी प्रायोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं, और 4 अन्य प्रायोजनाओं को सिद्धान्त रूप में से स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान एककों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये नवीकरण, कठिनाई दूर करना, और आधुनिकीकरण आदि जैसे उपाय ही किये जा रहे हैं। उपरोक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ वर्तमान क्षमता जो इस समय नाइट्रोजन के लिये 29.73 लाख मीटरी टन और फोस्फेट के लिये 6.92 लाख मी० टन है, उसके नाइट्रोजन के लिये 65 लाख मीटरी टन और फास्फेट के लिये 17 लाख मीटरी टन हो जाने की आशा है। उपरोक्त परिकल्पना के अनुसार क्षमता में पर्याप्त वृद्धि के कारण बढ़े हुये उत्पादन से उर्वरकों की देशीय उपलब्धता और मांग के बीच के अन्तर को कम करने में सहायता मिलेगी।

(ख) विभिन्न सम्भरण सामग्री पर आधारित क्षमता और कार्यान्वयनाधीन प्रायोजनाओं के पूरा होने पर प्राप्त क्षमता के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11198/76]। विभिन्न प्रकार की सम्भरण सममग्री का प्रयोग करना देशीय सम्भरण सामग्री का अत्याधिक प्रयोग और जहां तक सम्भव हो आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना सरकार की नीति के अन्तर्गत आता है।

(ग) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया के योजना और विकास प्रभाग, एफ० ए० सी० टी० इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन संगठन और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटड जैसी इंजीनियरिंग कम्पनियों ने उर्वरक संयंत्र के कुछ खण्डों के बारे में सम्पूर्ण स्थलदल सुविधाओं सहित तकनीकी जानकारी का विकास किया है। तथापि सम्पूर्ण प्रक्रियाओं और मूल डिजाइन और इंजीनियरिंग सम्बंधी जानकारी का अभी आयात किया जाता है। इसी प्रकार यद्यपि भारत, उर्वरक उद्योग में अपेक्षित प्लांट और मशीनरी के अधिकांश भाग का निर्माण करने की स्थिति में है, तथापि कुछ विशेष प्रकार के और स्वामित्व प्राप्त मदों का आयात करना पड़ेगा। बिस्तृत इंजीनियरिंग पर्यवेक्षण, आयातित उपकरण प्राप्त करने में सहायता और उर्वरक संयंत्रों के निर्माण और उनकों आरम्भ करने में पर्यवेक्षी सहायता के सम्बन्ध में विदेशी विशेषज्ञता का भी उपयोग किया जाता है।

ज्वालामुखी में खुदाई कार्य

1393. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी नथा ज्वालामुखी रोड में गैस/पैट्रोलियम की खोज करने के लिए खुदाई कार्य पुनः आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को खुदाई कार्य आरम्भ किया गया था ; और

(ग) उस क्षेत्र में ऐसे सभी स्थानों के नाम क्या हैं जहां खुदाई कार्य आरम्भ किया गया है अथवा निकट भविष्य में आरम्भ करने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निकट भविष्य में कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी और नूरपुर में सोलन जिले में रामेश्वर में व्यधन कार्य आरम्भ किये जाने का विचार है।

सार्वजनिक क्षेत्र में औषध उत्पादन

1394. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सार्वजनिक क्षेत्र में 'बल्क' औषधियों के उत्पादन में वृद्धि करने का है जैसा कि हाथी समिति ने सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) औषधियों के मूल्यों में कमी करने के लिये उनका कहां तक पुनरीक्षण किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) हाथी समिति की सिफारिशों और अन्य पहलुओं को ध्यान में रख कर दो सरकारी ऐड उपक्रमों अर्थात् भारतीय औषध एवं भेषज लिमिटेड ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्तार के लिये कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। इन प्रस्तावों के ब्यौरे 10 अगस्त, 1976 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 137 के भाग (क) के उत्तर में दिये गये हैं।

(ग) औषधों के मूल्य और औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत निर्धारित किये जाते हैं जिसमें मूल्यों के संशोधन के लिये पद्धति की व्यवस्था है। 1976 के दौरान निम्नलिखित प्रपंज औषधों के मूल्य कम किये गये हैं :—

नाम	पहले वाले मूल्य (रु० / कि० ग्राम)	वर्तमान मूल्य (रु० / कि० ग्राम)
1. नारकोटाइन*	410.00	244.02
2. अनलजिन**	175.02	155.30
3. फैनोबारबीटोन**	276.11	172.81
4. क्लोरमफेनीकोल पानमीटेंट	522.00	460.03
5. इन्डोमैथासिन	816.68	671.72
6. कैलशियम पैनोथेनेट	160.00	123.14
7. विटामिन बी–6	665.00	550.82
8. क्लोरमफेनीकोल पाउडर*	662.00 (1)	558.00@
	(2)	586.00 @@

*देशीय उत्पादन।

**पूल्ड मूल्य

@अपने प्रयोग के लिए।

@@बिक्री के लिये।

इसके अलावा इस अवधि के दौरान कुछ औषध सूत्रयोगों के मूल्य भी कम किये गये हैं।

भूमि सम्बन्धी कानूनों के क्रियान्वयन के विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट अर्जियां

1395. **श्री बालकृष्ण वेंकप्पा नायक :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सम्बन्धी कानूनों के क्रियान्वयन में भूमि-अधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध बंगलौर स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय में बहुत सी रिट अर्जियां लम्बित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख). भूमि सम्बन्धी कानूनों के क्रियान्वयन में भूमि-अधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय में 3322 रिट अर्जियां लम्बित हैं ।

रेलवे आरक्षण समिति के प्रतिवेदन की क्रियान्विति

1396. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे आरक्षण समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें यह सूचना दी गई है ।

अक्तूबर, 1973 में समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तत्काल बाद उसकी प्रतियां संसद् की लाइब्रेरी में रख दी गई थीं ।

विवरण

आरक्षण और बुकिंग समिति (1972) ने अपनी पहली रिपोर्ट निम्नलिखित सिफारिशों सहित अक्तूबर, 1973 में प्रस्तुत कर दी थी :

(i) सभी दर्जों के स्थान के लिये अग्रिम आरक्षण की समय सीमा एक वर्ष होनी चाहिये ;

(ii) सभी दर्जों के आरक्षण के लिये काम के घंटे समान होने चाहिये और सभी बड़े स्टेशनों पर आरक्षण कार्यालय दो-पारी आधार पर दिन में 16 घंटे के लिये खुले रहने चाहिये ; और

(iii) प्रतीक्षा सूची के आकार की कोई सीमा नहीं होनी चाहिये और गाड़ी के प्रस्थान पर प्रतीक्षा सूची समाप्त नहीं की जानी चाहिये तथा सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्रतीक्षा सूचीगत यात्रियों के लिये आरक्षण बूथों की व्यवस्था का कड़ाई से कार्यान्वयन किया जाये ।

उपर्युक्त सिफारिश सं० 1 :—यह सिफारिश संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई थी और 15-4-1975 से प्रयोगात्मक आधार पर एक वर्ष के लिये कुछ नामित गाड़ियों पर अग्रिम समय सीमा के बिना आरक्षण की अनुमति दे दी गयी थी। इस प्रयोग से प्राप्त अनुभव के आधार पर तथा आरक्षण कार्यालयों के निरीक्षणों के दौरान किये गये प्रेक्षणों और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, अग्रिम आरक्षणों का समय-सीमा अब सभी गाड़ियों के सभी दर्जों के लिये और सभी स्टेशनों पर एक समान 6 महीने कर दी गई है।

उपर्युक्त सिफारिश सं० 2 :—यह सिफारिश महत्वपूर्ण स्टेशनों अर्थात् कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, बेंगलूर सिटी, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, सिकन्दराबाद और पुणे स्टेशनों पर लागू करने के लिये स्वीकार कर ली गई थी। किन्तु अतिरिक्त पदों जो दूसरी पारी के काम पर लगाने के लिए आवश्यक हैं, के सृजन पर प्रतिबन्ध होने के कारण इस सिफारिश को पूरी तरह से लागू करना सम्भव नहीं हो सकता है।

सिफारिश सं० 3 :—इस सिफारिश के तीन भाग हैं, अर्थात् :—

(क) प्रतीक्षा सूची के आकार की कोई सीमा नहीं होनी चाहिये ;

(ख) गाड़ी के प्रस्थान के बाद प्रतीक्षा सूची समाप्त नहीं हो जानी चाहिये ; और

(ग) सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्रतीक्षा सूची में दर्ज यात्रियों के लिये आरक्षण बूथों की व्यवस्था का कड़ाई से कार्यान्वयन किया जाना चाहिये।

सिफारिश (क) को यथा आशोधित स्वीकार कर लिया गया है अर्थात् दूसरे दर्जे और वातानुकूल कुर्सीयान में प्रतीक्षा सूची की सीमा बढ़ा कर इतने यात्रियों तक कर दी गई है जितने यात्रियों को एक बोगी में स्थान दिया जा सकता है। सिफारिश (ख) को व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण स्वीकार नहीं किया जा सका।

उपर्युक्त सिफारिश (ग) को स्वीकार कर लिया गया है। इसे अधिकांश महत्वपूर्ण स्टेशनों पर लागू कर दिया गया है और शेष महत्वपूर्ण स्टेशनों पर उत्तरोत्तर आरक्षण बूथों की व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

2. आरक्षण तथा बुकिंग समिति ने कोई अन्तिम रिपोर्ट पेश नहीं की थी। लेकिन, समिति ने अगस्त, 1975 में "अन्तिम रिपोर्ट" पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उस पर विचार किया जा रहा है।

औषधों का आयात और निर्यात

1397. श्री आर० एन० बर्मन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने महत्वपूर्ण औषधों का निर्यात आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस काम में सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों का कितना योगदान है ; और

(ग) आधारभूत बल्क औषधों के मामले में देश किस हद तक अभी विदेशों से आयात पर आश्रित है और देश इसमें कब तक आत्म निर्भर हो जाएगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां । भारत से कुछ महत्वपूर्ण औषधियां निर्यात की जाती हैं ।

(ख) 1974–75 के दौरान 43 करोड़ रुपये के कुल मूल्य की औषधों और चिकित्सा औषधें सहित चिकित्सा-आरिण्डी तेल के निर्यात में से सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों का योगदान लगभग 2.6 लाख रुपये था ।

(ग) 1974 में 80—85 करोड़ रुपये के मूल्य के प्रपुंज औषधों के देशीय उत्पादन की अपेक्षा 1974–75 के दौरान महत्वपूर्ण औषधों का कुल आयात 30.07 करोड़ रुपये था । 1974–75 के दौरान एस० टी० सी० (जिसे अब सी० ए० पी० सी० ओ० कहते हैं) ने 19.56 करोड़ रुपये की प्रपुंज औषधों का आयात किया, जबकि 1975–76 के दौरान यह 14.05 करोड़ रुपये तक गिर गया है । देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वर्तमान निर्माण की मात्रा बढ़ा कर और नई मदों का उत्पादन करके देशी उत्पादन को बढ़ाने के सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि जहां तक हो सके आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सके ।

पश्चिम रेलवे में एक रेल पुल के ढह जाने से हुई हानि

1398. **श्री आर० एन० बर्मन :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे को एक रेल पुल के ढह जाने के फलस्वरूप लगभग एक करोड़ रुपये की हानि हुई है ;

(ख) क्या पुल के ढह जाने के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है ; और

(ग) उसके स्थान पर एक अन्य पुल कब तक निर्मित कर लिया जाएगा ताकि सामान्य रेल यातायात पुनः आरम्भ हो सके ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां । यातायात की हानि सहित एक करोड़ रुपये से अधिक की हानि हुई है ।

(ख) जांच-पड़ताल से पता चलता है कि 29 से 31 जुलाई तक नदी के स्रवण क्षेत्र में असामान्य वर्षा हुई थी जिसके कारण नदी में अभूतपूर्व बाढ़ आ गई और नदी का पानी पिछले अधिकतम बाढ़ स्तर से 10 फुट ऊंचाई तक चढ़ गया और गर्डरों पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगा ।

(ग) नदी पर एक अस्थायी पुल सहित अस्थायी मार्ग परिवर्तन बनाने का काम दिन-रात हो रहा है और आशा है कि यह विशाखन लगभग सितम्बर, 1976 के मध्य तक यातायात के लिये तैयार हो जाएगा ।

दिल्ली कलकत्ता विद्युतीकृत रेल मार्ग पर भारवहन-क्षमता

1399. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-कलकत्ता रेलमार्ग का पूरी तरह विद्युतीकरण हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे रेल-गाड़ियों की गति बढाने में तथा साथ ही भारवाहन क्षमता को बढाने में सहायता मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। ग्रांड कार्ड से होकर कलकत्ता दिल्ली मार्ग का हावड़ा सियालदह-नयी दिल्ली स्टेशनों के बीच पूर्णतः विद्युतीकरण किया जा चुका है और आशा है कि साहिबाबाद और दिल्ली जंकशन के बीच की थोड़ी दूरी वाले भाग पर इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जायेगा।

(ख) जी हां।

(ग) गाड़ियों की रफ्तार बढाने और उनमें अधिक डिब्बे लगाने से संबंधित ब्यौरों की जांच की जा रही है और यथा व्यवहारिक व्यवस्था अक्तूबर 1976 को समय सारिणी में कर दी जायेगी।

विदेशी तेल कम्पनियों के उच्च अधिकारियों के वेतन-मान

1400. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण से पूर्व भारत में प्रत्येक विदेशी तेल कम्पनी के उच्च कार्य-कारियों के वेतनमानों तथा परिलब्धियों की मुख्य रूप-रेखा क्या है ;

(ख) अभी तक राष्ट्रीयकृत न हुई प्रत्येक विदेशी तेल कम्पनी के उच्च कार्य-कारियों के वेतन-मान तथा परिलब्धियां क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान वेतनमानों को बदलने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) :(क) और (ख) भारत में प्रमुख विदेशी तेल कम्पनियों के अधिकारियों के वेतन और भत्ते की मुख्य बातें विवरण पत्र में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि० में 4000 रुपए से अधिक वेतन पाने वाले प्रबंधक कर्मचारियों को उनके द्वारा 1-8-74 को लिए गए वेतन में अधिक और वृद्धि की मूजंरी नहीं दी गई है। अन्य प्रबन्ध कर्मचारियों के बारे में भूतपूर्व ल्यूब इण्डिया में लागू वेतन मानों में अधिकतम 4,000 रुपए तक की प्रगति की मंजूरी दी गई है। भारत रिफ़ाइनरीज लि० के बारे में अन्तरिम उपाय के रूप में, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम, कारपोरेशन के मामले के अनुसार वैसे सिद्धांत 1-8-1976 से लागू किए गए हैं और यह भेद रखा गया है कि जो 4,000 रुपए से कम वेतन ले रहे हैं वे कम मात्रा की वेतन वृद्धि के साथ अथवा अन्तराल वृद्धि पर इस सीमा तक बढेगें भूत-

पूर्व गैर सरकारी तेल कम्पनियों में वेतन मानों और प्राधिकार का और पुनरीक्षण उसकी पूरी समस्याओं का अध्ययन करने के बाद ही किया जाएगा ।

(i) **बर्मा शैल (अब भारत रिफाइनरीज लिमिटेड) :**

बर्मा शैल को सरकार द्वारा तत्काल लेने से पहले प्रबंध कर्मचारियों के वेतन मान प्रति मास कुल 850 रुपए से प्रति मास 7,200 रुपए (अधिकतम) था। इसके अलावा कुछ बड़े प्रशासनिक जिनका विशेष स्तर था, अधिक वेतन लेते थे ।

वेतन के अलावा कुछ प्राधिकार मंजूर किए गए थे । पात्रता पर आधारित; इसमें मकान किराया भत्ता सुसज्जित । असुसज्जित आवास, सफ़ाई कमचारी के वेतन की प्रतिपूर्ती, बगीचे की रखवाली के खर्चे की प्रतिपूर्ति, दूर स्थान पर चौकीदार की नियुक्ति, वरिष्ठ प्रशासनिकों को कम्पनी की कार, चिकित्सा सुविधा , छुट्टी यात्रा रियायत, बिना पैसे गैस और बिजली की सप्लाई, (कर देना पड़ेगा) शामिल था ।

(ii) **ऐस्सो (अब हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड) :**

सरकार द्वारा एस्सों को तत्काल लेने से पहले प्रबंध कर्मचारियों के वेतन मान प्रति मास कुल 950 रुपए (कम से कम) से प्रति मास 4,600 रुपए (अधिकतम) था। इसके अलावा कुछ बड़े प्रशासक, जिनका विशेष स्तर था अधिक वेतन लेते थे ।

इसके अलावा कुछ प्राधिकार मंजूर किए गए थे । पात्रता पर आधारित, इसमें मकान किराया भत्ता, अथवा सुसज्जित/असुजित आवास, नौकर के वेतन की प्रतिपूर्ती, वरिष्ट प्रशासनिक के लिए कम्पनी की कारें, चिकित्सा सुविधायें और छुट्टी यात्रा शामिल है।

(iii) **असम आयल कम्पनी लिमिटेड :**

प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए कम्पनी का अकेला वेतनमान है प्रति मास परिलब्धियां 750 रुपए (कम से कम) से प्रति मास 5,975 रुपए (अधिक से अधिक) थे ।

वेतन के अतिरिक्त/प्रशासन कर्मचारी कुछ प्राधिकारों के हकदार हैं जैसे कि निःशुल्क असुसज्जित आवास अथवा कम्पनी नियमों के अनुसार मकान भत्ता, कम्पनी वाहन का प्रयोग अथवा अपनी कार के वास्तविक मील, छुट्टी यात्रा रियायत उनको दिए गए कम्पनी के आवास की रखवाली/ठीक ठाक रखने के लिए आंशिक प्रति पूर्ति ।

(iv) **काल्टैक्स इंडिया लिमिटेड :**

पांच बड़े स्तर के प्रशासनिकों का वेतन प्रति मास 2600 रुपए से प्रतिमास 8,100 रुपए तक है ।

वेतन के अलावा; बड़े प्रशासनिकों को कम्पनी भत्ता आवास, कुछ उपयोगी खर्चे की प्रति पूर्ती, छोटी सजावट और स्टाफ़ कार ड्राइवर का वेतन, छुट्टी भाड़ा भत्ता, कम्पनी की कार का प्रयोग, कम्पनी चिकित्सा योजना, भविष्यनिधि और उपदान अथवा पैन्शन लाभ, शामिल है ।

हाथी समिति की सिफारिशों और उनकी क्रियान्विति

1401. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हाथी समिति की कौन सी सिफ़ारिशों पर अब तक विचार किया है / उन्हें स्वीकार किया है ;

(ख) स्वीकार की गई कौन सी सिफ़ारिशें अब तक क्रियान्वित की जा चुकी है ;

(ग) समिति की सिफ़ारिशों पर अन्तिम रूप से निर्णय करने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है ; और

(घ) समिति की कुछ सिफारिशें सरकार ने किन कारणों से स्वीकार नहीं की है ।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ) : औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति (हाथी समिति) की सिफ़ारिशें जांच विचार के अग्रिम स्तर पर है और शीघ्र ही एक निर्णय लिया जाने वाला है । समिति की सिफ़ारिशें, जिनकी संख्या 226 है अनेक प्रकार की हैं और मिश्रित किस्म की हैं जिनमें देश के सम्पूर्ण औषध उद्योग का कार्य संचालन शामिल है । इन सिफ़ारिशों की भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के परामर्श से समस्त प्रशासनिक और वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विस्तार पूर्वक जांच करनी होगी ।

यद्यपि समिति की सिफ़ारिशें सम्पूर्ण रूप से विचाराधीन हैं, फ़िर भी सरकार ने उसकी कुछ सिफ़ारिशों को मान लिया है और उनको कार्यान्वित कर रही है। ये सिफ़ारिशें निम्न प्रकार हैं :—

1. सरकारी क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान देना ।
2. भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देना ।
3. गैर संबद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को प्रपुंज औषधों की सप्लाई करना । विदेशी फ़र्मों को प्रपुंज औषधों के लिए केवल इस शत पर स्वीकृति दी जाती है कि प्रपुंज औषधों के उत्पादन का 30% भारतीय फ़र्मों को और 40% सरकारी क्षेत्रों को सप्लाई करने के बजाये गैर-सम्बद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को 50% उत्पादन की सप्लाई की जानी चाहिए ।
4. भारतीय फ़र्मों को सूत्रयोगों के उत्पादन के लिए कई नई क्षमताओं की स्वीकृति दी जा रही है । बशर्ते कि प्रपुंज औषध और सूत्रयोगों में 1:10 का अनुपात हो । विदेशी फ़र्मों के मामले में सूत्रयोगों के लिए नई क्षमता की अनुमति तभी दी जा रही है जब यह संबंधित प्रपुंज औषध के उत्पादन से सम्बद्ध हो ।
5. समिति की सिफ़ारिश के अनुसार उद्योग पर पहले लगाये गये इस प्रतिबन्ध को अब हटा दिया गया है कि जब उनका लाभ प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए से अधिक हो तो उनको सूत्रयोग लाइसेंस के आवेदन पत्र को प्रपुंज औषधो के उत्पादन के साथ संबद्ध करना चाहिए ।

रसायनिक उर्वरकों का उत्पादन

1402. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 से 1975–76 तक प्रत्येक किस्म के रसायनिक उर्वरक का वर्ष-वार लक्ष्य कितना था और कितना उत्पादन हुआ :

(ख) वर्ष 1973–74 से 1975–76 तक प्रत्येक किस्म के रसायिनक उर्वरक का वर्षवार कितना आयात किया गया ;

(ग) क्या पांचवीं योजना में उत्पादन-लक्ष्य काफ़ी घटा दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) नाईट्रोजनस और फ़ास्फ़ेटिक उर्वरकों का वास्तविक उत्पादन और लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :—

(000 मी० टन)

वर्ष	नाईट्रोजन		फ़ास्फ़ेट	
	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन
1973–74 . . .	1160	1060	350	323
1974–75 . . .	1500	1185	365	327
1975–76 . .	1500	1535	333	320

पोटाशिक उर्वरकों का कोई देशीय उत्पादन नहीं है।

(ख) नाईट्रोजनस, फ़ास्फ़ेटिक और पोटाशिक उर्वरकों का आयात निम्नलिखित है :—

वर्ष	नाइट्रोजन	फ़ास्फ़ेट	पोटाश
1973–74 . . .	659	213	370
1974–75	834	281	437
1975–76	950	337	367

(ग) और (घ) : 1978–79 तक नाइट्रोजन की 46.9 लाख मी० टन और $पी_2 ओ_5$ की 13.11 लाख मी० टन की क्षमता की सम्भावना है जब कि प्रारूप पंचवर्षीव योजना दस्तावेज में मूल रूप से नाइट्रोजन की 60 लाख मी० टन और $पी_2 ओ_5$ की 17 लाख मी० टन की क्षमता शामिल थी। वस्तुत: इसका मुख्य कारण यह था कि संसाधनों की कठिनाइयों के कारण कुछ प्रायोजनायें या तो रोक ली गई थी या धीमी कर दी गई थीं।

कलकत्ता ट्यूब रेल परियोजना का पूरा होना

1403. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता ट्यूब रेल परियोजना में आर्थिक तथा भौतिक तौर पर अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वास्तविक निर्माण कार्य, जो 1973 के उत्तरार्ध में आरम्भ किया गया था, प्रगति पर है और जुलाई, 1976 तक प्रतिशतता के अनुसार समग्र वित्तीय और वास्तविक प्रगति क्रमशः लगभग 7 प्रतिशत और 10 प्रतिशत है ।

(ख) संसाधनों की कठिनाई के कारण 1979 तक इसे चालू करने की मूल अनुसूची में संशोधन करना पड़ा । छठी योजना के लिए संसाधनों की स्थिति के बारे में जब तक स्पष्ट स्थिति का पता नहीं चल जाता, तब तक इसके पूरा करने के बारे में किसी प्रकार का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है ।

उर्वरक संयंत्रों में पपड़ी उतारने वाले (डिस्कलिंग) रसायन का प्रयोग

1404. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक निगम के उत्पादन निदेशालय ने सभी उर्वरक संयंत्रों को बढ़िया किस्म के पपड़ी उतारने वाले (डिस्कलिंग) रसायन का प्रयोग करने को कहा है जिसका कि नामरूप और हल्दिया संयंत्रों में इस्तेमाल किया जाता है ;

(ख) क्या क्लेनजोल का प्रयोग करने के परामर्श की उपेक्षा की गई थी और अनेक संयंत्रों में घटिया किस्म के पपड़ी उतारने वाले रसायन प्रयोग करने से उनके कण्डेन्सर ट्यूबों और बायलरों में पपड़ी जम गई है और स्थिति खराब हो गई है ; और

(ग) 30 जून, 1976 को समाप्त होने वाले दो वर्षों की अवधि में भारतीय उर्वरक निगम के विभिन्न एककों द्वारा कितनी मात्रा में तथा किस ब्रांड का पपड़ी उतारने वाला रसायन खरीदा गया तथा उस पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) यद्यपि फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया ने अपने सभी संयंत्रों को डिस्केलिंग कैमिकल की अच्छी कोटि का प्रयोग करने के लिये सलाह दी गई है, नामरूप संयंत्र में प्रयोग की गई सामग्री के बारे में कोई विशेष निदेश नहीं दिये गये हैं । हल्दिया संयंत्र निर्माणाधीन है । इसलिये डिस्केलिंग कैमिकल के प्रयोग का इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) कन्डेन्सर ट्यूब और बाइलरों में स्केल फार्मेशन की समस्याओं का नियन्त्रण और देख-रेख यथा संभव तरीके से की जाती है ;

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

डाली-राजहार-कोडागाँव-जगदलपुर ब्राड गेज रेलवे लाइन

1405. **चौधरी नीतिराज सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों में रेलवे लाइनें बिछाने के बारे में आर्थिक निर्यातों मे ढील देने का निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या डाली-राजहार–कोडांगांव-जगदलपूर ब्राड गेज रेलवे लाइन को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश के उक्त क्षेत्रों में अन्य लाइनों को भी शामिल किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेलवे के विकास के बारे में राज्य अथवा क्षेत्रीय आधार पर विचार नहीं किया जाता बल्कि समग्र राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है। रेल मंत्री जी ने 1973–74 के अपने बजट भाषण में विकासशील क्षेत्रों में परम्परागत वित्तीय मापदंड अपनाने में संकल्पनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता का दृष्टिकोण रखा था। यह मंत्रालय इस समय पिछड़े क्षेत्रों में नयी लाइनों के निर्माण के लिए व्यापक नीति बनाने में लगा हुआ है। इस नीति के लिए योजना आयोग और वित्त मंत्रालय का अनुमोदन लेना होगा।

(ख) इस लाइन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण एवं यातायात-सर्वेक्षण किया जा चुका है परन्तु सीमित संसाधनों के कारण इसके निर्माण पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में अंशतः/पूर्णतः पड़ने वाले निर्माणाधीन/सर्वेक्षणाधीन नये रेल सम्पर्क निम्नलिखित हैं :—

क्रम संख्या	लाइन का नाम	वर्तमान स्थिति
1	गुना-माक्सी बड़ी लाइन (193.53 कि०मी०; लागत 10.51 करोड़ रुपये)	लाइन माल यातायात के लिये खोल दी गई है। यात्री गाड़ियों को 30–11–76 तक चालू करने की सम्भावना है।
2	हिरदागढ़–दमुआ बड़ी लाइन सम्पर्क (14.30 कि० मी०; लागत 2.25 करोड़ रुपये)	कार्य का अनुमोदन कर दिया गया है परन्तु निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया गया।
3	ढल्ली–राजहरा–जगदलपुर बड़ी लाइन (234 कि० मी०; लागत 46 करोड़ रुपये)	अन्तिम निर्धारण सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और रिपोर्टों की जांच की जा रही है।
4	रतलाम–बांसवाड़ा बड़ी लाइन सम्पर्क (90 कि० मी०)	सर्वेक्षण किया जा रहा है।
5	रांची-कोरबा बड़ी लाइन (300 कि० मी०)	सर्वेक्षण हो चुके हैं। रिपोर्टों की जांच की जा रही हैं।
6	महोबा–खजुराहो बड़ी लाइन (75 कि० मी०)	

–यथोक्त–

भूमि के अवैध कब्जाधारियों का निष्कासन

1406. **श्री रोबिन काकोटी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेटर गोहाटी क्षेत्र, बोंगाईगांव और न्यू बोंगाईगांव क्षेत्र, मालीगांव, पाण्डू और अमीगांव क्षेत्र, मरीयानो जंक्शन क्षेत्र, तिनसुखिया जंक्शन क्षेत्र, लुमडिंग जंक्शन क्षेत्र और डिब्रूगढ़ टाउन क्षेत्र में कुल कितने हैक्टेयर भूमि पर लोगों ने गैर-कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है ; और

(ख) जून, 1976 के अन्त तक उक्त प्रत्येक क्षेत्रों के कुल कितने हैक्टेयर भूमि से अवैध कब्जाधारियों का हटाया जा चुका है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख). निम्नलिखित क्षेत्रों में अतिक्रमणकारियों के कब्जे में तथा जून, 1976 तक खाली करवा ली गई रेलवे की कुल जमीन (हैक्टेयरों में) इस प्रकार है :—

क्षेत्रों के नाम	अतिक्रमण की गई रेलवे की कुल जमीन (हैक्टेयरों में)	जून, 1976 तक खाली करवा ली गई कुल जमीन (हैक्टेयरों में)
1. ग्रेटर–गोहाटी–क्षेत्र . . .	4.01	2.59
2. बोंगाई गांव–न्यू बोंगाईगांव क्षेत्र	1.86	1.00
3. मालोगांव, पाण्डू एवं अमोनगांव क्षेत्र .	5.86	2.19
4. मरीयानो जंक्शन क्षेत्र . .	0.60	0.05
5. तिनसुखिया जंक्शन क्षेत्र . .	0.70	0.21
6. लमडिंग जंक्शन क्षेत्र . . .	50.00	16.56
7. डिब्रूगढ़ टाउन क्षेत्र . . .	1.11	0.19

कुट्टीपुरम और कालीकट में उपरि-पुल

1407. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार कुट्टीपुरम उपरि-पुल और कालीकट में एक अतिरिक्त उपरि-पुल के निर्माण पर आने वाले व्यय में से अपना भाग देने पर सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वर्तमान नियमों के अनुसार समपारों (मूल रूप से जिनकी व्यवस्था रेलवे की लागत पर की गई थी) के स्थान पर ऊपरि सड़क पुल की लागत में रेलवे और सड़क प्राधिकरणों को मोटे तौर पर 50–50 के प्रतिशत में बराबर-बराबर हिस्सा देना होता है—इसके अलावा सड़क प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण की लागत का अतिरिक्त

भुगतान भी करना पड़ता है । केरल राज्य सरकार ने दो ऊपरि सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्ताव प्रायोजित किये हैं जिनमें (i) कि० मी० 608/7–8 पर वर्तमान समपार सं० 168 के बदले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर कुट्टीपुरम में और (ii) कि० मी० 665/13–14 पर समपार संख्या 184 के बदले कालीकट और वेल्लयिल स्टेशनों के बीच/राष्ट्रीय राज मार्ग के आर-पार ऊपरि सड़क पुल के निर्माण की समानुपातिक लागत जहाज रानी तथा परिवहन मंत्रालय को वहन करनी पड़ेगी ।

चूंकि ये प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किये गये हैं, अत: यह समझा जाता है कि लागत में उनका हिस्सा उन्हें स्वीकार्य होगा और राष्ट्रीय राज मार्ग पर ऊपरि सड़क पुल बनने पर, उन्हें जहाज रानी तथा परिवहन मंत्रालय से आवश्यक निर्बाधता भी प्राप्त करनी होगी ।

(ख) (i) कुट्टीपुरम में ऊपरि सड़क पुल :

ऊपरि सड़क पुल के लिये अभी राज्य सरकार को स्थान और विस्तृत प्रस्तावों को अन्तिम रूप देना है तथा दक्षिण रेलवे ने इस बारे में शीघ्रता करने के लिये अनुरोध किया है । चूंकि ऊपरि सड़क पुल राष्ट्रीय राज मार्ग के आर-पार होगा, राज्य सरकार ने स्वयं तैयार की गई योजना के अनुमोदन के लिये केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय से आग्रह किया है । परिवहन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त होने और राज्य सरकार द्वारा योजनाओं के अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही दक्षिण रेलवे प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही कर सकेगी ।

(ii) कालीकट और वेल्लयिल के बीच ऊपरि सड़क पुल :

रेलों ने पहले से ही 1976–77 में इस कार्य के लिये बजट में व्यवस्था कर रखी है । तथापि, ऊपरि सड़क पुल के लिये योजनायें और स्पष्ट प्रस्ताव राज्य सरकार से अभी प्राप्त होने हैं, जिसने सूचित किया है कि मामला अभी उनकी जांच के अधीन है । राज्य सरकार से स्पष्ट प्रस्ताव/अन्तिम योजनायें प्राप्त होने पर रेलवे, राज्य सरकार जिसे पहुंच मार्गों का निर्माण कराना है; के साथ साथ कार्य आरम्भ करेगी ।

महालक्ष्मी एक्सप्रेस और महाराष्ट्र एक्सप्रेस रेल गाड़ियों को डीजल इंजन से चलाना

1408. **श्री अन्ना साहेब गौटखिडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण मध्य रेलवे पर महालक्ष्मी एक्सप्रेस और महाराष्ट्र एक्सप्रेस रेल गाड़ियों को डीजल इंजन से चलाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो लगभग किस तारीख/तारीखों से उपरोक्त रेल गाड़ियां डीजल इंजन से चलाई जाने लगेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Revenue earned on "Travel as you like" Scheme

1409. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any scheme "travel as you like" for the benefit of tourists was introduced in September, 1975 ;

(b) if so, the duration for which the tickets remained valid;

(c) the reaction of the tourists thereto; and

(d) the revenue earned under the scheme from September, 1975 to to-date ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) yes.

(b) 21 days from the date of commencement of first journey.

(c) Foreign tourists have welcomed this facility.

(d) The earnings from the sale of these tickets from September, 1975 to-date are approximately 32,181 US dollars and 890 Pounds.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

व्यापार पोत परिवहन (ध्वंस और बचाव) संशोधन नियम, 1976 और कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1974-75 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : श्री एच० एम० त्रिवेदी की ओर से मैं समापटल पर रखता हूं :—

(1) व्यापार पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत व्यापार पोत परिवहन (ध्वंस और बचाव) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1138 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** एल०टी० संख्या 11186/76]

(2) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1974–75 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** एल० टी० संख्या 11187/76]

तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा तथा विलम्ब का कारण बताने वाला एक विवरण

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं सभापटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) तेल उद्योग विकास नियम, 1975 के नियम 29(2) (ङ) के साथ पठित तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित दस्तावेज का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये/एल०टी० संख्या 11188/76]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) नियम, 1976

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, दिनांक 7 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1181 में प्रकाशित हुए थे, सभापटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये एल०टी० संख्या 11189/76]

राज्य सभा से सन्देश
Message from Rajya Sabha

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त संदेश सभा पटल पर रखता हूं :—

(i) राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को सूचित करने का निर्देश मिला है :

(एक) कि राज्य सभा 23 अगस्त, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 16 अगस्त, 1976 को पास किये गये लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(दो) राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के अन्तर्गत मुझे लोक सभा को सूचित करने का निर्देश मिला है कि राज्य सभा 23 अगस्त 1976 की अपनी बैठक मे लोक सभा द्वारा 12 अगस्त, 1976 को पास किये गये सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

मैटल कारपोरेशन (राष्ट्रीयकरण तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक
Metal Corporation (Nationalisation and Miscellaneous Provisions) Bill

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य के ज्वार क्षेत्र में और उसके आस-पास जस्ते और सीसे के भंडारो का लोकहित में, यथासंभव पूर्णतया समुपयोजन करने तथा उन खनिजो का ऐसी रीति से उपयोग करने के लिए जिससे सर्वसामान्य को भलाई हो, केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए मेटल कारपोरेशन के उपक्रम का प्रबन्ध, ऐसे उपक्रम का उक्त कारपोरेशन को पुनः अन्तरित और उसमें पुनः-निहित हुआ समझे जाने के पश्चात्, ग्रहण करने का और मैटल कारपोरेशन के उपक्रम के पश्चात्वर्ती

अर्जन का और उनसे सम्बन्धित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि राजस्थान राज्य के ज्वार क्षेत्र में और उसके आस-पास जस्ते और सीसे के भंडारों का लोकहित में, यथासंभव पूर्णतया समुपयोजन करने तथा उन खनिजों का ऐसी रीति से उपयोग करने के लिए जिससे सर्वसामान्य की भलाई हो,केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए मेटल कारपोरेशन के उपक्रम का प्रबन्ध, ऐसे उपक्रम का उक्त कारपोरेशन को पुन: अन्तरित और उसमें पुन: निहित हुआ समझे जाने के पश्चात्, ग्रहण करने का और मैटल कारपोरेशन के उपक्रम के पश्चात्वर्ती अर्जन का और उनसे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was Adopted

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

मैटल कारपोरेशन (राष्ट्रीयकरण तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re. METAL CORPORATION (NATIONALISATION AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ORDINANCE

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : मैं मैटल कारपोरेशन (राष्ट्रीयकरण तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, 1976 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

धोती (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) निरसन अधिनियम

DHOTIES (ADDITIONAL EXCISE DUTY) REPEAL BILL

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय): मैं धोती (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अधिनियम 1953 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"धोती (अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क) अधिनियम 1953 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was Adopted.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

कम्पनी संशोधन विधेयक
COMPANIES AMENDMENT BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं —

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कम्पनी अधिनियम 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक पुर :स्थापित करता हूं ।

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक
ADVOCATES AMENDMENT BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं अधिवक्ता अधिनियम 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

',कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

लक्ष्मी रतन एण्ड एथरटन वेस्ट काटन मिल्स (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक
LAXMIRATTAN AND ATHERTEN WEST COTTON MILLS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) ORDINANCE

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): मैं कतिपय कम्पनियों के उपक्रमो का राष्ट्रीयकरण होने तक लोक हित में ऐसे उपक्रमों के प्रबन्ध ग्रहण का उपबंध इस दृष्टि से करने के लिये कि कतिपय किस्म के कपड़ों का, जिनकी समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यकता होती है और जिनकी रक्षा विभाग को भी आवश्यकता होती है, प्रदाय सुनिश्चित किया जा सके और उससे

संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कतिपय कम्पनियों के उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण होने तक लोक हित में ऐसे उपक्रमों के प्रबन्ध ग्रहण का उपबंध इस दृष्टि से करने के लिये कि कतिपय किसम के कपड़ों का, जिनकी समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यकता होती है और जिनकी रक्षा विभाग को भी आवश्यकता होती है, प्रदाय सुनिश्चित किया जा सके और उसे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

लक्ष्मी रतन एण्ड एथरटन वेस्ट काटन मिल्स (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT re RE: LAXMIRATTAN AND ATHERTON WEST COTTON MILLS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) ORDINANCE

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं लक्ष्मी रतन एण्ड एथरटन वेस्ट काटन मिल्स (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1976 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

बर्न कम्पनी और इंडियन स्टैण्डड वैगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1976

और

ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1976

BURN COMPANY AND INDIAN STANDARD WAGON COMPANY (NATIONALISATION) BILL AND BRAITH WAITE AND COMPANY (INDIA) LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बी० पी० मौर्य द्वारा 23 अगस्त, 1976 को पेश किये गये विधेयक पर सदन में आगे विचार होगा अर्थात् :—

"कि देश की अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं के लिये अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने की दृष्टि से बर्न कम्पनी और इंडियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

"कि देश की आवश्यकताओं के लिये अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए मैसर्स ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयो का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री दीनेन भट्टाचार्य आपने पहले ही 35 मिनट का समय ले लिया है। मुझे आशा है कि आप शीघ्र ही अपना भाषण पूर्ण करेंगे ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि भूतपूर्व प्रबन्धकों को अब कोई धनराशि नहीं दी जायेगी। उन्होंने पहले ही लम्बे अर्से तक कम्पनी का काफी धन खा लिया है। मंत्री महोदय को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ब्रैथवेट कम्पनी में जैसे पहले औद्योगिक सम्बन्धों में गिरावट है अब पुन: यह सम्बन्ध और नहीं बिगड़ें। इस विधेयक में ऐस्सो के आर० एण्ड० सी० युनिट का जोकि बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्री महोदय इस बात की ओर ध्यान देवें। क्या बर्न एण्ड कम्पनी, हावड़ा, आदि के साथ इसका भी राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। अत: इस विधेयक में इस युनिट को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।

आपने यह भी कहा है कि ग्रहणपूर्व की अवधि के लिये कर्मचारियों को वेतन के लिये सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी श्रमिक का कोई दावा है तो क्या उस कम्पनी से कहेगा जिसका अब अस्तित्व ही नहीं है। अगर, श्रमिकों को उनकी भविष्य निधि और वेतन नहीं दिया जाता तो वह किसके पास जायेंगे। बर्न एण्ड कम्पनी के मामले में बहुत बड़ी धनराशि का गबन किया गया है। उन्होंने श्रमिकों की भविष्य निधि भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा नहीं की है। अत: आपको विधेयक में यह व्यवस्था करनी चाहिये कि श्रमिकों के ग्रहण-पूर्व समय के वास्तविक देय का भुगतान राष्ट्रीयकृत प्रबन्धकों द्वारा किया जाये।

अनेक औद्योगिक वादविवाद के मामले न्यायाधिकरणों तथा विधि न्यायालयों में चल रहे हैं। इन मामलों का क्या होगा। इस समस्या पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

इन कम्पनियों में स्थायी पदों के लिये भी संविद मजदूर रखे जाते हैं। यह गरीब मजदूर भी स्थायी कर्मचारियों की तरह काम कर रहे हैं कि न जाने उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि उनके साथ हो रहे इस प्रकार के शोषण का अन्त किया जाये। मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि बर्न एण्ड कम्पनी तथा ब्रैथवेट कम्पनी में औद्योगिक सम्बन्ध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इस सम्बन्ध में केवल शुभ कामना करने तथा उच्च-स्तरीय निकाय बना देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप संयंत्र में राजनीति मत लाइये। राज्य स्तर पर तो अटक और इंटक साथ साथ रहती हैं किन्तु सीटू को शामिल नहीं किया जाता, उनसे सलाह तक नहीं ली जाती। अगर ऐसा ही होता रहा तो मेरा विचार है कि निकट भविष्य में औद्योगिक सम्बन्ध

अच्छे नहीं हो सकते हैं अतः मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में ध्यान दिया जाये और इस प्रकार कर्मचारियों और उद्योग दोनों के साथ न्याय किया जाये।

Shri Ram Singh Bhai (Indore): Mr. Speaker Sir, I extend my support to both the bills. The fact is that there is no other alternative but to nationalise the companies which are being mismanaged. I have already suggested that these companies should be nationalised instead of taking over their management. Because the money invested on the take-over of management of the companies does not pay. It is only the nationalisation of these companies that Government hope to get return of the money invested by them. Moreover, the bill which has been brought contains some provisions which are anti-labour. On the one hand, we have launched a campaign of redemption under the 20-point programme. Efforts are being made to give debt relief to the poor people. They are being given land for houses and loans for construction of houses. But the poor labourers of these companies are being deprived of the money due on account of their wages. It has been provided in the clause 5 of the Braithwaite Company Bill that the Central Government will not be liable for the prior liabilities of the company. This is very unfair. When the Government are taking over the entire assets of the company and compensation worth crores of rupees is being paid to it, it will be very improper to deprive the workers of their legistimate dues. This provision should be deleted and Government should take over the responsibility of payment of all the dues of the workers.

It is also necessary that the amount of provident fund, compulsory deposit and welfare fund which was deducted from the workers salary before nationalisation but which was not deposited by the old management in the treasury is paid to the workers. If it is not done it will amount to lending support to the exploitation which the workers have suffered at the hands of the management. The Minister should consider on this.

इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : महोदय, मैं इन दोनों विधेयकों का स्वागत करता हूं। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया जाता है कि किसी कम्पनी का पहले प्रबन्ध ग्रहण किया जाता है और बाद में उसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। लेकिन इन कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त और कोई हल नहीं है। न जाने सरकार ने इस तरह का तरीका क्यों अपनाया है। पहले प्रबन्ध ग्रहण किया जाता है बाद में राष्ट्रीयकरण। किन्तु यह बात स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र इन कम्पनियों को नहीं चला सकता अतः सरकार को अन्ततः उनका राष्ट्रीयकरण करना पड़ता है।

बर्न एण्ड कम्पनी और ब्रैथवेट आदि बड़ी प्रसिद्ध कम्पनियां हैं जिनमें उत्पादन का बड़ा सुदृढ़ आधार है। इन कम्पनियों का नाम न केवल देश में है बल्कि विदेशों में भी इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं समझा जाता है। किन्तु यह बड़े दुःख की बात है इन कम्पनियों के कार्य में और वित्तीय स्थिति में इतनी गिरावट आ गई है। यदि सरकार अन्य बातों के कारण किन्हीं कम्पनियों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेती है तो यह कोई बुरी बात नहीं है किन्तु यहां तो तभी प्रबन्धग्रहण किया जाता है जब कभी किसी कम्पनी में कोई कमी आ जाती है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि वह क्या कारण थे जिनकी वजह से इन कम्पनियों की स्थिति में गिरावट आई। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बर्न एण्ड कम्पनी तो अपने कुप्रबन्ध के लिये बदनाम हो चुकी जोकि चासनाला खान और इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के बारे से ही सिद्ध हो चुका है। किन्तु ब्रैथवेट कम्पनी की स्थिति तो शायद कुप्रबन्ध के कारण नहीं बिगड़ी है। हम यह सब जानते हैं कि इन सब कम्पनियों का काम अंग्रेजों के जमाने से भारतीय रेलवे द्वारा दिये गये आर्डरों के आधार पर चलता था। वे उस पर इस सीमा तक आधारित थीं कि रेलवे के आर्डर कम होने पर उनका उत्पादन ढांचा ही बिगड़ गया। क्योंकि पुराने प्रबंधकों ने यह कभी नहीं सोचा कि किसी दिन किसी कारण वश

रेलवे के आर्डर बंद हो जायेंगे और ऐसी स्थिति में उनका क्या होगा ? इस सन्दर्भ में उन्होंने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया । उन्होंने कभी भी रेलवे के काम के बजाय किसी अन्य काम को आरम्भ करने का प्रयास नहीं किया । और पूरी तरह रेलवे के कार्य पर आधारित रहे । अब सरकार इन्हें अपने हाथों में ले रही है तो हम आशा करते हैं कि उत्पादन और पुनर्गठन की पूरी योजना पर फिर से विचार किया जायेगा ।

विधेयक में दायत्वों के बारे में भी कुछ उपबंध है । समझ में नहीं आता कि इन दोनों विधेयकों में दायित्वों के संबंध में प्राथमिकता दिये जाने में भिन्नता क्यों है ? ब्रैथवेट कम्पनी के संबंध में पहली प्राथमिकता मजदूरियों, वेतन और कर्मचारियों के अन्य भुगतानों को दी गई है किन्तु अन्य कम्पनियों के विधेयकों के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा दिये ऋणों, राजस्व, करों तथा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार को दिये जाने वाले अन्य भुगतानों को प्राथमिकता दी गई है । अत : इन दोनों विधेयकों में यह भिन्नता क्यों आई है जब कि इन दोनों विधेयकों की अनेक धाराएं और उपबंधों में भाषा भी एक सी है । अत : क्या कारण है कि जबकि एक कम्पनी के विधेयक में कर्मचारियों की मजदूरी, वेतन तथा अन्य भुगतानों को प्राथमिकता दी गई है तो दूसरे में इसे पीछे डाल दिया गया है । अत : क्या कारण है कि ब्रैथवेट के मामले में एक सिद्धांत अपनाया गया है तो बर्न कम्पनी आदि के बारे में दूसरा । अत : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह दोनों विधेयकों में एक सी प्राथमिकताओं की व्यवस्था करें ।

कुछ धनराशि देने की व्यवस्था की गई है किन्तु विधेयकों को देखने से यह पता नहीं चलता कि यह धनराशि किसे देनी है । यह कोई मुआवजा नहीं है । हमने कुछ दिन पहले इंडियन आयरन और स्टील कंपनी विधेयक पारित किया था जिसमें शेयर होल्डरों को मुआवजा देने का एक स्पष्ट उपबंध था । किन्तु इन विधेयकों में दी जाने वाली राशि को शेयर होल्डरों के मुआवजे के रूप में नहीं दिखाया गया है । यद्यपि इन कम्पनियों के अधिक शेयरहोल्डर नहीं थे फिर भी इनके जो थोड़े से शेयर होल्डर थे आप उनके लिये मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं ।

इस विधेयक में जिस राशि देने की व्यवस्था की जा रही है वह काफी बड़ी राशि है । आप कम्पनी को उसका प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये धनराशि दे रहे हैं वह मुआवजा ही है । यह धनराशि आप किसको दे रहे हैं क्योंकि इस विधेयक में पारित होते ही कंपनी का अस्तित्व तो समाप्त हो जायेगा । यह धनराशि शेयर होल्डरों में वितरित करने की कोई व्यवस्था नहीं है अत : यह किसे दी जायेगी । जहां तक मुआवजा देने का प्रश्न है हमने कुछ वर्ष पहले संविधान में संशोधन करके यह व्यवस्था की थी कि मुआवजा सम्बन्धी मामला न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता । इसके पीछे भावना यह थी कि देश को मुआवजे की बड़ी बड़ी रकमें देने से छुटकारा मिले क्योंकि देश इतनी धनराशि देने की स्थिति में नहीं है । अत: हमने संविधान में संशोधन किया यद्यपि हम अनेक मामलों में अब भी मुआवजा दे रहे हैं यह धनराशि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कम्पनी को दी जाती है हम यह जानना चाहते हैं कि इस धनराशि से किसको लाभ पहुंचेगा ।

सरकार प्रबन्ध ग्रहण के समय से निश्चित समय तक अर्थात् 1 अप्रैल, 1975 तक की बीच की अवधि से दायित्वों की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर क्यों नहीं लेती । यद्यपि न्यायाधिकरणों में कुछ मामले चल रहे हैं फिर भी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह उसके लिये कोई जिम्मेदारी

नहीं लेती है। इन अन्तरिम अवधि में अर्थात् प्रबन्धग्रहण की तिथि से लेकर 1 अप्रैल, 1975 तक सरकार ही इन कम्पनियों का प्रबन्ध चला रही थी अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अगर इस अवधि के लिये किसी श्रमिक का वास्तविक भुगतान है तो इन्हें यह दिये जाये।

हम जानते हैं कि इस देश में निजी नियोक्ता क्या कर रहे हैं उन्होंने भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा तथा अन्य प्रकार की लाखों रुपये की धनराशि जमा नहीं की है। एक और बात का भी पता चला है कि उन्होंने करोड़ों रुपये की अनिवार्य जमा राशि को भी रिजर्व बैंक में जमा नहीं किया है। यह कोई नई बात नहीं है। इस देश में श्रमिकों के सांविधिक धन को बड़ी ही बेशर्मी से लूटा जा रहा है। अतः सरकार जब इस कम्पनी के प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी है तो वह अपने दायित्वों से क्यों भाग रही है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इन दोनों विधेयकों के खंड 13 में से "निर्धारित दिन को" इन विधेयकों से निकाल दिया जाये।

जहां तक उपक्रमों की परिभाषा का सम्बन्ध है उसमें कम्पनियों के मुख्यालय का उल्लेख नहीं है। वे उपक्रम का एक भाग है उन्हें क्यों छोड़ा जा रहा है? उनकी स्थिति की सुरक्षा किस प्रकार होगी। उपक्रमों की परिभाषा में से इस कमी को दूर किया जाये। जिससे कि मुख्यालयों में कार्यरत लोगों को इस बात की गारंटी दी जाये कि उनके हितों की रक्षा की जा रही है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि इन कम्पनियों के उच्च पदों पर अब किन लोगों को लगाया जा रहा है। इन लोगों को वास्तव में योग्य और अनुभवी होना चाहिये। अगर मन्त्री महोदय यह बता सकें कि यह लोग कौन हैं तो हमें पता चलेगा कि जिन व्यक्तियों को उत्तरदायित्व सौंपे जा रहे हैं वह उन्हें भली प्रकार पूरा कर सकेंगे। जहां तक औद्योगिक सम्बन्धों का प्रश्न है अब क्योंकि हम नये सिरे से कार्य आरम्भ करेंगे यह निश्चित करना अच्छा होगा कि क्या हम कोयले के उसी प्रकार के औद्योगिक सम्बन्धों को अपनाएं जो अन्य सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में सफलतापूर्वक अपनाये जा चुके हैं।

हमारे यहां अनेक कार्मिक संघ हैं। उनकी वास्तविक स्थिति की जांच की जाये तथा यह पता लगाया जाये कि कौनसा संघ ऐसा है जिसमें कर्मचारियों का विश्वास है। उन्हें प्रबन्ध सम्बन्धी संयुक्त समितियों अथवा संयुक्त परिषदों में जिम्मेदारी के काम सौंपे जायें।

Sardar Swaran Singh Sokhi ((Jamshedpur) : Mr. Speaker, Sir, These bills are welcome, though they have been brought somewhat late.

These companies have been doing very good work but, for some time past their performance has far from satisfactory due to some malpractices. There are 611 employees n the Burn company who have attained the age of retirement, but they are being retained and paid a total monthly salary of Rs. 2,90,900/- I would like to know as to what action has been taken by Government ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण मध्याह्न भोजन पश्चात जारी रखें।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adiourned for lunch till fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

MR. DEPUTY-SPEAKER—*in the Chair.*

उपाध्यक्ष महोदय: सरदार स्वर्ण सिंह सोखी अपना भाषण जारी रखें ।

Sardar Swaran Singh Sokhi : There are also 100 employees who are physically unfit and are suffering from various diseases, but they are being paid by the company. It is high time the Minister may get rid of such persons and save the Company from this useless expenditure which will lead to its ruination.

Many officers are on deputation, They do not realise their responsibilities. These officers should either be reverted to their parent offices or they should be regularised. Many of these offices do not want to continue. All the old officers should be cleared and only competent officers should be retained.

I would also like to give a few facts about Braithwaite Company: This company was also functioning very well, but on account of the mismanagement of the officers it also went down. I fail to understand as to how banks became the share-holders of this company. The company went on taking loans from a bank called United Bank till it reached the stage of liquidation and this was done in collusion with some officers of the bank. This kind of corruption should be stopped.

It has been stated in para 7 of the financial memorandum:

"कम्पनी के उपक्रमों को आधुनिकीकरण और विस्तार के लिये धन दिया जाना होगा । इस प्रयोजन के लिये यह धनराशि आवश्यक है। पांचवीं योजना की शेष अवधि के दौरान कुछ अनुमानित व्यय केवल 1 करोड़ रुपये है । This amount is very meagre. The company has formulated a plan of Rs. 1.50 crores in 1975-76. But only Rs. 82 lakhs have been provided. How will the company be able to purchase the raw material in time with this meagre amount? So this amount should be increased to Rs. 1·50 crores.

The Minister should ensure that irregularities that have taken place in the last two or three years are not repeated. The Braithwaite company has been doing good work, particularly in the field of defence equipment, but they do not have enough orders. Some more competent officers should be put at the head of this Company so that its functioning can improve.

With these words I support both the Bills.

Shri Hari Singh (Khurja) : Mr. Deputy Speaker, Sir, The Burn Company was set up in 1895 and till 1966-67 it functioned very well, but after 1967 it started going down and Government had to come forward to take over its management. This has happened in the case of many companies. We would like the Government to formulate a definite policy in this regard. They should have a time bound programme for the nationalisation of all heavy industries. It is in the interest of the Government, country and people of the country. As our Prime Minister had once said: "यदि किसी समय गैर-सरकारी स्वामित्व का उद्योग राष्ट्रहित के विरुद्ध कार्य करता हो अथवा इससे सामाजिक और आर्थिक प्रगति में बाधा पड़ रही हो, तो हमें इसे अपने हाथ में लेने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिये ।" So I would like to say that the honourable Minister has taken appropriate action, because there was no alternative.

I would like to know as to what type of man will be selected as 'payment commissioner' because there is a provision in the Bill in this regard. There should be worker's participation in the management of industries. I think it should be in the Bill.

Whenever any industry is losing and the Government is to take it over, the owners of that industry appoint some of their relatives on high posts, so that they establish their claims on these posts. We would like to say that if any such appointments have been made in these companies, they should be examined minutely. There is also no clear provision for worker's gratuity and service security in the Bill.

With these words I support this Bill.

डा० रानेन सेन (बारसात) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। किन्तु मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय कुछ बातों का स्पष्टीकरण करें। पहली बात बर्न एण्ड कम्पनी और इण्डियन वैगन कम्पनी से सम्बन्धित है। उनसे सम्बद्ध विधेयक के नाम में 'राष्ट्रीयकरण' शब्द कोष्ठक में दिया गया है और ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी से सम्बद्ध विधेयक के नाम में 'अधिग्रहण और उपक्रमों का अन्तरण' शब्द कोष्ठक में दिये गये हैं। यह अन्तर क्यों है ?

सभी वक्ताओं ने विधेयक को राष्ट्रीयकरण विधेयक समझा है। अतः इसका क्या कारण है कि राष्ट्रीयकरण शब्द नहीं रखा गया है। मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करें।

बर्न एण्ड कम्पनी और इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी के बारे में सम्भवतः सदस्यों ने कुछ बातें नहीं कही हैं। बर्न एण्ड कम्पनी में काम करने वाले कनिष्ठ अधिकारियों के कुछ समय पूर्व वेतन संशोधित किये गये थे किन्तु मजदूरों के वेतन में कोई संशोधन नहीं किया गया। हम सरकार से उनके लिए भी वही बर्ताव चाहते हैं क्योंकि सरकार इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कर रही है।

मैंने बर्न एण्ड कम्पनी और इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी से सम्बद्ध विधेयकों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। इनमें कुछ कमियां हैं। ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी से सम्बन्धित विधेयक में भविष्य निधि और अन्य अदायगियों को प्राथमिकता दी गई है जब कि बर्न एण्ड कम्पनी और इण्डियन स्टेन्डर्ड वेगन कम्पनी से सम्बन्धित विधेयक में यह अन्त में है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी के मामले में भी ऐसा ही है।

डा० रानेन सेन : ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी के मामले में यह पहले है। मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें। दूसरी बात यह है कि अनिवार्य जमा योजना के बारे में इन दोनों मामलों में क्या है? इसी सभा में कहा गया है कि न केवल गैर-सरकारी क्षेत्र में किन्तु राज्य क्षेत्र और अधिग्रहीत उद्योगों में भी अनिवार्य जमा योजना का ठीक हिसाब नहीं रखा गया है। सरकार के निदेश के विरुद्ध अभी तक भी इन कम्पनियों में पहली किस्त नहीं दी गई है। अतः मंत्री महोदय इसकी जांच करें कि मजदूरों को सरकार के निदेशों के अनुसार उचित हिस्सा मिले।

आई० एस० डब्ल्यू में संविद श्रम की बहुतायत है। कुछ समय पहले एक करार हुआ था कि वे मजदूर जो लगातार चलने वाले काम पर लगे हैं उन्हें स्थायी किया जायेगा। स्थायी काम करने वाले सभी मजदूरों को लिया नहीं गया है।

संविद श्रम न केवल मजदूरों के हितों के विरुद्ध है किन्तु भ्रष्टाचार का श्रोत है। खासतौर पर आई० एस० डब्ल्यू० में यह बात पाई गई है जहां कई अधिकारी ठेकेदारों से मिले हुए हैं वर्षों से वही ठेकेदार एक सा काम कर रहे हैं और एक काम खत्म होने पर उन्हें फिर भिन्न नामों से काम मिल जाता है। इस प्रकार लाखों रुपये बरबाद हो रहे हैं।

जैसा कि श्री सोढी ने उल्लेख किया है, बेयर्ड, बर्न और आई०एस०डब्ल्यू० वास्तव में सोने की खानें हैं । हावड़ा का पुल भी इन्हीं ने बनाया था। मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किस प्रकार दुर्व्यवस्था के कारण बर्न एण्ड कम्पनी एक अच्छी स्थिति से इस वर्तमान स्थिति में पहुंच गई है। मुझे याद है कि 1967 में बर्न और आई०एस०डब्ल्यू० के प्राधिकारियों ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि वे मजदूरों का वेतन देने में भी असमर्थ हैं और उन्होंने प्रार्थना की कि राज्य सरकार 2 करोड़ रुपये के कर्ज की गारंटी दे।

इन कम्पनियों का विशेष रूप से बेयर्ड का अधिग्रहण करने के बाद 1975 से पहले तक कम्पनी को चलाने में बड़ी कठिनाई हुई किन्तु 1975 में 4 करोड़ का उत्पादन हुआ और धीरे-धीरे उत्पादन बढ़ रहा है । इसमें इन कम्पनियों के मजदूरों और अधिकारियों ने शानदार भूमिका निभाई है।

इन दोनों विधेयकों में प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी का कोई उल्लेख नहीं है । इसके स्थान पर 'उद्योग में मजदूरों की भागीदारी' कहा गया है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के संगठनों का सम्बन्ध है सरकार को स्पष्ट रूप से आश्वासन देना चाहिये कि ऊपर से लेकर नीचे तक मजदूरों की प्रबन्ध में भागीदारी होगी। यदि दो संघों में कोई विशेष विरोध है तो सरल उपाय यह होगा कि उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने दिया जाये।

कहा गया है कि सरकार को निश्चित तिथि से मजदूरों को देय धन राशि की गारंटी देनी चाहिये और इस लिए निश्चित तारीख 1 अप्रैल, 1975 है। किन्तु बेयर्ड कम्पनी को 1971 में अधिग्रहीत किया गया और दूसरी कम्पनी को 1973 में अधिग्रहीत किया गया था। अतः 1975 तक की अवधि तक की देय धनराशि तथा अन्य बातों का क्या होगा। जहां तक इन देय राशियों का सम्बन्ध है सरकार को इनकी अदायगी करनी चाहिये। यह बात विधेयक में स्पष्ट रूप से कही जानी चाहिये।

जहां तक धारा 18 का सम्बन्ध है दोनों विधेयकों में अन्तर है और इसका कारण मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहिए।

भविष्य निधि में मजदूरों का रुपया मालिक खा जाते हैं और सरकार चुप रहती है । इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।

दोनों विधेयकों में अनुच्छेद और उप-अनुच्छेद हैं जिनमें मजदूरों की सेवा की शर्तों की गारंटी दी गई है किन्तु फिर भी कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। मजदूरों की सेवा की सुरक्षा और अन्य शर्तें उचित रूप से रखी जानी चाहिएं।

अन्त में मैं इस विधेयक को लाने के लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

Shri M. C. Daga (Pali) : I welcome both the Bills. I will only ask two or three things. Industries Development and Regulation Act was passed in 1951. But it is not known as to when you take an action. Whether an action is taken when the company is at the verge of closure ? It is not known as to why Government waited to take over these Companies. Their condition started deteriorating since 1966. I would like to know as to what steps were taken by Government under Section 15 of the Act. It has not yet been known as to how much movable and immovable property they have and how much loan was given to them by the nationalised banks. The Hon'ble Minister may please clarify the reasons for delay in taking over these firms.

श्री उपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों विधेयकों का स्वागत करता हूं। राष्ट्रीयकरण से आज उद्योगों के एक सौ वर्ष के इतिहास में एक नया मोड़ आया है। यह कैसे आया इसकी अलग कहानी है किन्तु एक संकट आया है जिसमें विश्वास और संसाधनों की कमी की बात है तथा संवैधानिक अड़चनों, प्रतिपूर्ति की मात्रा आदि के प्रश्न भी इससे जुड़े हुए हैं किन्तु इसका तत्काल कारण पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चे की सरकार का 1967 से घातक अनुभव है।

अब प्रश्न यह है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। हमें इन एककों का आधुनिकीकरण करना है, इनमें सुधार करना है और इनका विविधीकरण करना है ताकि उनके पिछले अनुभव और विशेष ज्ञान का सदुपयोग हो सके। इन एककों में मजदूरों को प्रबन्ध में अधिकाधिक भागीदारी देना है। यह सब करने का तात्पर्य उत्पादन बढ़ाना है जिससे हमारा निर्यात बढ़े जैसा कि 1982–83 तक का लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए का रखा गया है।

मैं इस विधेयक का इस कारण स्वागत करता हूं कि हमें इन एककों का अधिग्रहण कर इनको निर्यात वृद्धि के लिए आधार बनाना है। हम कहते आये हैं कि हमने 45 करोड़ रुपए का कच्चा इस्पात निर्यात किया जो बढ़कर 300 करोड़ रुपए का होने वाला है। किन्तु इसकी अपेक्षा यदि इस्पात को गढ़ा जाये और फिर निर्यात किया जाये तो कहीं अधिक लाभ होगा, साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा। इसके लिए हमें दक्षिण-पूर्व एशिया के तथा अन्य देशों के बाजारों की गहन समीक्षा करनी पड़ेगी। हमें अपने भारी इंजीनियरी उद्योग और ढांचे की प्रौद्योगिकी क्षमता की भी समीक्षा करनी होगी ताकि भारत प्रौद्योगिकी के अन्तर को पूरा कर सके। जहां-जहां सम्भव हो सके हमें सूक्ष्मता और कम्प्युटीकरण लागू करना चाहिए। 1973 और 1976 के बीच जो इतना विलम्ब हुआ है वह निर्णय न लेने के कारण हुआ है।

इस सम्बन्ध में एक अन्य बात जो संगत है वह रेलवे वैगनों की कीमत है जो रेलवे बोर्ड दे रहा है। पहले तो यह था कि यह रकम किसी निजी व्यक्ति के पास जा रही थी किन्तु अब ऐसा नहीं है। अब यदि रेलवे बोर्ड को हानि होती है तो भारी उद्योग मंत्रालय को लाभ होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम विविधीकरण और आधुनिकीकरण का रास्ता अपनाएं और निर्यात को बढ़ावा दें जिससे निसन्देह ही उपलब्ध विशेषज्ञता से ये एकक लाभप्रद और सशक्त बन जायेंगे।

राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी प्रत्येक विधेयक पर चर्चा के दौरान संविद श्रम का बार-बार प्रश्न उठाया गया है। यह सच है कि संविद प्रणाली से दुरुपयोग और कुप्रबन्ध एवं कदाचार को आश्रय मिला है, लेकिन यदि संविद प्रणाली समाप्त कर दी जाए तो ठेकेदारों के मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में यदि संविद श्रमिकों को अब रोजगार में लगाया जाये तो यह कम्पनी दीवालिया हो सकती है। अतः संविद श्रम प्रथा को समाप्त करने के लिए किसी खास तरीके की आवश्यकता है जिससे कि इस समझौते का वेतन सम्बन्धी खण्ड के असंगठित श्रमिकों को विभाग के माध्यम से ही वेतन मिले, ठेकेदार के माध्यम से नहीं। इससे श्रमिकों की देय राशि सुरक्षित की जा सकेगी।

श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिले, सुझाव बक्सों के माध्यम से सुझाव मांगे जायें, विभिन्न तकनीकी प्रक्रियाओं के लिए पुरस्कार दिये जायें और प्रक्रियाओं की लागत कम करने की विधि को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाये, जिससे श्रमिकों को यह अनुभव हो कि उनका प्रतिनिधित्व यथार्थ है। इस मार्ग से हम समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विधेयक का समर्थन किया है। इस सम्बन्ध में सरकार के प्रयत्नों के बारे में शंका व्यक्त की गई है कि हम श्रमिकों को देय बकाया राशि की जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं। डा० रानेन सेन और श्री चपलेन्दू भट्टाचार्य ने यह प्रश्न उठाया है कि राष्ट्रीयकरण के कारण किस प्रकार कर्मचारियों को देय रकमों की तारीख 1 अप्रैल, 1975 निश्चित की गई है। कर्मचारियों को देय बकाया राशि के प्रश्न के सम्बन्ध में इन दोनों विधेयकों में कुछ पृथक प्रयास किया गया है। इसका मैं विस्तार से स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यों की शंका दूर हो।

मैं सभी माननीय सदस्यों का विधेयक का समर्थन करने के लिए धन्यावाद करता हूं। कुछ सदस्यों ने यह शंका व्यक्त की है कि सरकार श्रमिकों को देय बकाया राशि के सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार निभायेगी। कर्मकारों को देय बकाया राशि के बारे में इन दो विधेयकों में पृथक-पृथक दृष्टिकोण अपनाया गया है। बर्न कम्पनी और इण्डियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी के अधिग्रहन से पूर्व की अवधि के कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी की बकाया राशि के भुगतान की जिम्मेदारी सरकार या इस विधेयक के अन्तर्गत गठित की जाने वाली सरकारी कम्पनी की होगी। जहां तक इन कम्पनियों के अर्जन से पहली की अवधि की कर्मचारियों की बकाया देय राशि का प्रश्न है, ये आंकड़े प्रबंध व्यवस्था के अर्जन से पहले की अवधि में विधेयक की दूसरी अनुसूची के वर्ग 3 के अन्तर्गत आते हैं।

इस समय जो हिसाब लगाया गया है उसके अनुसार प्रबन्ध ग्रहण से पूर्व लगभग 78.35 लाख रुपए की बकाया राशि देय थी। यह राशि विधेयक में दोनों कम्पनियों के सम्बन्ध में की गई 25.23 करोड़ रुपए की राशि में से पूरी हो जाएगी। विधेयक में जिस राशि की व्यवस्था की गई है उससे अर्जनोत्तर अवधि की वर्ग 1 और वर्ग 2 की सभी देनदारियां पूरी हो जायेंगी। इससे वर्ग 3 की जिम्मेदारियां भी पूरी हो जायेंगी। अतः बर्न और इण्डियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनियों के मामले में कर्मचारियों के वेतन तथा देनदारियों समेत सभी देनदारियां जो कि प्रबन्ध ग्रहण से पहले की हैं, पूरी हो जायेंगी।

जहां तक ब्रैथवेट कम्पनी का सवाल है अर्जन से बाद की अवधि अर्थात् मार्च, 1971 से पहली अप्रैल, 1975 तक की अवधि के कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी तथा अन्य देनदारियों की राशि लगभग 80 लाख रुपए बैठती हैं। इस मसले को अर्जनोत्तर काल के अन्तर्गत के वर्ग में प्रथम प्राथमिकता दी गई है। इसलिए कम्पनी को भुगतान करने के लिए विधेयक में की गई 16.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था में से यह राशि पूरी हो जायेगी।

यह प्रश्न पूछा गया है कि ब्रैथवेट के कर्मचारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है जबकि बर्न और इण्डियन स्टैंडर्ड वेगन कम्पनी के कर्मचारियों को यह प्राथमिकता नहीं दी जा

रही है। जहां तक बर्न और इण्डियन स्टैंडर्ड वेगन कम्पनियों का सम्बन्ध है, उनके कर्मचारियों की समस्त देनदारियों के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन ब्रेथवेट के मामले में सरकार प्राथमिकताओं में परिवर्तन कर सकती है। इसीलिए हमने इसे विशेषरूप से वर्ग 1 के अन्तर्गत रखा है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : Very Good.

श्री वी०पी० नायर : कर्मचारियों की प्रबन्ध ग्रहण अवधि से पूर्व की बकाया रकम का भी काफी मात्रा में भुगतान किया जा चुका है। इन कम्पनियों के अर्जन के उपरान्त उनमें आशाजनक प्रगति हो रही है। बर्न कम्पनी और स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी के मामले में उत्पादन 31.16 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी का जिस समय अर्जन किया गया उस समय उसकी कुल संचित हानि बहुत अधिक थी। कम्पनी की अर्थव्यवस्था के विस्तृत सर्वे के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि इस देनदारी का आंशिकरूप से विशाखन द्वारा पूरा किया जा सकता है। इस की पूर्ति कतिपय सन्तुलनकारी और प्रतिस्थापन कार्यक्रम लागू करके भी की जा सकती है। साथ ही यह फैसला भी किया गया कि पूंजी निर्माण के लिए एक योजना बनाई जाये जिससे उधार लिए गये धन के घोर दबाव को कम किया जा सके। आधुनिकीकरण की एक योजना आरम्भ की जा चुकी है तथा सरकार ने इसके लिए धन स्वीकृत कर दिया है।

अर्जन के उपरान्त इन कम्पनियों का कार्य काफी संतोषप्रद रहा है। मार्टिन बर्न लिमिटेड के मुख्यालय के कर्मचारियों को बारे में प्रश्न उठाया गया है। जहां तक राष्ट्रीयकरण विधेयक का सम्बन्ध है दोनों कम्पनियां मार्टिन बर्न लिमिटेड से भिन्न हैं। मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी के मुख्यालय के कर्मचारियों के लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि यह मामला इस विधेयक के उपबन्धों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। जहां तक बर्न एण्ड कम्पनी तथा इण्डियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी के कर्मचारियों का सम्बन्ध है प्रत्येक कर्मचारी पर 1 अप्रैल 1975 के बाद भी वही सेवा शर्तें लागू रहेंगी। यह बात खण्ड 12 में अच्छी तरह स्पष्ट कर दी गई है। यही स्थिति ब्रेथवेट कम्पनी के बारे में है।

जहां तक क्षतिपूर्ति का प्रश्न है इस 'क्षतिपूर्ति' शब्द को अब संविधिका द्वारा 'रकम' शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है। पर यह रकम भ्रामक नहीं होनी चाहिए। यह तर्कसंगत होनी चाहिए। इस मामले में इस प्रकार निर्धारण किया गया है कि यह रकम पर्याप्त और उचित हो।

शेयरधारकों के अधिकारों का प्रश्न भी उठाया गया है। पर इनके अधिकारों को कर्मचारियों को देय रकम से अधिक तरजीह नहीं दी जा सकती। सत्य तो यह है कि उन शेयरधारियों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है जो इस कुप्रबन्ध के लिए जिम्मेदार हैं।

जहां तक बर्न आई०एस०डब्ल्यू० के आधुनिकीकरण और फैलाव की बात है, राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम ने 3.62 करोड़ रुपये की लागत वाली प्रतिस्थापन और मरम्मत कार्यक्रम सम्बन्धी एक रिपोर्ट पेश की है। इसके अलावा बेल पहाड़ रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड ने भी इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें वर्कशाप के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के प्रस्ताव हैं।

यूनियनों में विवाद के बारे में प्रश्न उठाये गये हैं। इस में शक नहीं कि यह एक दुखद घटना हुई है। पर हमें एक साथ बैठकर समाधान खोजना होगा जिससे कि कर्मचारी आपस में न लड़ें।

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि सेवानिवृत्ति आयु सीमा को प्राप्त कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबन्ध ग्रहण के उपरान्त भी सेवा में रखा हुआ है। यह सच है प्रबन्ध ग्रहण के समय जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके थे उन्हें सेवानिवृत्त नहीं किया गया। इसका कारण था कि उस समय सेवानिवृत्ति में मिलने वाले लाभों का भुगतान करने के लिए कम्पनी के पास धन नहीं था। अतः यह फैसला किया गया कि उनको चरणों में 10 व्यक्ति प्रति मास के हिसाब से रिटायर किया जाये। अक्तूबर, 1975 तक 400 व्यक्ति रिटायर हो चुके थे। इस चरणबद्ध कार्यक्रम को जारी रखने के लिए जोरदार कदम उठाये जा रहे हैं। यह प्रयास जारी है जिससे कि कम्पनी का बोझ शीघ्र ही हल्का हो जाये।

यह कहा गया है कि प्रबन्ध का अर्जन करने तथा उसका राष्ट्रीयकरण करने में एक लम्बा अन्तराल रहा है। सरकार ने इन इकाइयों के प्रबन्ध का उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के अधीन अर्जन किया। पर राष्ट्रीयकरण संविधान के उपबन्धों के अधीन किया जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि इन दो कार्यों के बीच कुछ विलम्ब हुआ। पर हमें इस बात पर विचार करना था कि इन इकाइयों का राष्ट्रीयकरण करना ठीक होगा या नहीं। पर मैं सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामलों में भविष्य में ऐसा विलम्ब नहीं होने दिया जायेगा।

खण्ड 4(5) की शब्दावली के बारे में आपत्ति उठाई गई है। पर इसका आलेख अच्छी प्रकार तैयार किया गया है। जहां तक खण्ड 5 के उपखण्ड 2 का सम्बन्ध है, हम कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। प्रबन्ध ग्रहण के उपरान्त कर्मचारियों को सरकार या सरकारी कम्पनी के विरुद्ध दावा करने का अधिकार होगा। मैं आश्वासन देता हूं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है और यह कर्मचारियों के हित में है। और भी अनेक बातें कही गई हैं। पर समय के अभाव के कारण मैं सदस्यों को कहना चाहता हूं कि इन इकाइयों के सम्बन्ध में उनकी जो भी आपत्तियां हों वे उन्हें मेरे ध्यान में लायें और मैं उनका निराकरण करने हेतु हमेशा तत्पर रहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश की अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं के लिये अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने की दृष्टि से बर्न कम्पनी और इंडियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश की आवश्यकताओं के लिए अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटड के उपक्रमों के अर्जन का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adoped

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रथम विधेयक, अर्थात् बर्न कम्पनि और इण्डियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेंगे। श्री राम सिंह भाई ने कई संशोधनों की सूचना दी है। क्या आप उन्हें पेश करना चाहते हैं ?

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : In view of the assurance given by the Minister, I do not intend to move my amendments.

Mr. Deputy-Speaker : Thank you.

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 34, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 34, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 34, the First Schedule, the Second Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill.

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरे विधेयक अर्थात्, बैथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (उपक्रमो का अर्जन और अन्तरण) विधेयक पर खण्ड वार विचार करेंगे। इस पर कोई संशोधन नहीं आये हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 33, अनुसूची खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र प्राक्कथन और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 33, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्राक्कथन और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 33, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री वी० बी० नायक (कनारा): महोदय, मैं मंत्री महोदय से कुछ बातों के बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा । इस विधेयक का उद्देश्य देश की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिये वस्तुओं के उत्पादन को जारी रखने की व्यवस्था करना है । अतः मैं इस सम्बन्ध में सामान्य नीति के बारे में कहना चाहूंगा । जिन कम्पनियों का लम्बे अर्से से प्रबन्ध ठीक नहीं किया जा रहा है जिसके कारण ब्याज अथवा निदेशों की भी हानि हो रही है और उसमें से उत्पादन भी बहुत कम है उनका प्रबन्ध ग्रहण करने के बजाय आप उनको समाप्त क्यों नहीं कर देते, क्योंकि समाप्त करने का एक फल यह होगा कि जो विपुल धनराशि ब्याज के रूप में देनी पड़ती है उसे नहीं देना पड़ेगा । मेरा विचार है कि नेशनल और ग्रिण्डले बैंक के अतिरिक्त अन्य श्रोत सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं और इन कम्पनियों के प्रबन्ध ग्रहण का उद्देश्य यह होगा कि इन बैंकों को देय रुपयों का उन्हें भुगतान नहीं मिलेगा । किन्तु अगर इनके प्रबन्ध ग्रहण का उद्देश्य इन कम्पनियों में उत्पादन जारी रखना है तो उसके लिये आप उत्पादन करने वाले हिस्से का प्रबन्ध ग्रहण कर ले और उसका सवैधानिक भाग छोड़ देवें ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं ? आप को पता है कि विधेयक के तीसरे वाचन के समय उस का केवल समर्थन अथवा विरोध करना होता है ।

श्री वी० बी० नायक : इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ मार्गनिर्देश दे रहा हूं । भविष्य के लिये हम कुछ मार्गनिर्देश दे सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको विधेयक के प्रथम वाचन में ही मार्ग निर्देश देने चाहिये थे । अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिये ।

श्री वी० बी० नायक : मैं यह कहने जा रहा था कि इन दोनों कम्पनियों को संसाधनों के लिये अत्यधिक रूप से सरकारी कोष पर निर्भर रहना होगा । इस देश में इतने भारी निदेशों के लिये हमारे पास खरीद दार नहीं हैं । मन्त्री महोदय ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा कि इन कम्पनियों की स्थिति क्यों खराब हो गई और इसके प्रबन्ध के प्रभारी लोग कौन थे और कुप्रबन्ध के लिये उनके विरुद्ध

क्या कार्यवाही की जा रही है। यह बताया गया है कि दायित्व न निभाने के प्रश्न को टार्टस विधि के अन्तर्गत लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केवल धनराशि की कमी की बात कही गई है। धन की कमी की बात तो सभी नई परियोजनाओं के लिये कही जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री बी० बी० नायक : अतः मैं यह अनुभव करता हूं कि जब भी कोई कम्पनी लाभ में हो तो उस पर विचार किया जाना चाहिये, किन्तु जब किसी कम्पनी का दिवाला निकल जाये, तो उस कम्पनी को समाप्त कर उसके उत्पादन भाग को ले लेना चाहिये और उस कम्पनी के दायित्वों को नहीं लेना चाहिये, यद्यपि उसके श्रमिकों के हितों की सुरक्षा अवश्य की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री नायक से कहूंगा कि वह भविष्य में अपने मार्गदर्शन के लिये तीसरे वाचन सम्बन्धी नियम को देख लें। मन्त्री महोदय क्या इस सम्बन्ध में कुछ कहेंगे ?

श्री बी० पी० मौर्य : निःसन्देह कुप्रबन्ध के कारण और आधुनिकीकरण और नये कार्य आरम्भ करने के अभाव में ये कम्पनियां रुग्ण हो गई हैं। मैंने इस बात को अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया था। इन कम्पनियों को समाप्त करने का सुझाव देकर माननीय सदस्य एक असम्भव बात कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुये]

[Shri Ishaque Sambhali *in the Chair*].

दिल्ली विक्रय कर (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक

Delhi Sales Tax (Amendment and Validation) Bill.

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि विगत अवधि के दौरान दिल्ली राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त विक्रय-कर सम्बन्धी विधि का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने और उक्त अवधि के दौरान कतिपय माल के क्रय या विक्रय पर करों को विधिमान्य करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

28 अप्रैल, 1951 को राज्य विधियां अधिनियम, 1950 (जिसका दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र बन जाने के बाद संघ राज्य क्षेत्र (विधियां) अधिनियम, 1950 नाम रखा गया) के अन्तर्गत गृह मन्त्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941

को लागू किया और यह अधिनियम यहां पर 1975 तक प्रभावी रहा और बाद में दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 के द्वारा इसका निरसन कर दिया गया। हाल में ही उच्चतम न्यायालय द्वारा लक्ष्मी-नारायण बनाम भारत संघ राज्य तथा अन्य के मामले में दिये गये निर्णय से बंगाल के अधिनियम के विस्तारण और क्रियान्वित सम्बन्धी कुछ दोष प्रकाश में आये हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संघ राज्य क्षेत्र (विधियां) अधिनियम, 1950 की धारा 2 में किसी अधिनियम के विस्तार के लिये प्रदत्त शक्ति किसी अधिनियम के सम्बन्ध में केवल एक बार ही प्रयुक्त की जा सकती है। किसी विधान के विस्तार के लिये अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना को संशोधित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया है कि किसी विधान के विस्तार के समय उस विधान में रूपभेद करने हेतु अधिनियम के अन्तर्गत दी गई शक्ति सीमित है और इस शक्ति का प्रयोग महत्वपूर्ण रूपभेद के लिये नहीं किया जा सकता।

उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए वह अधिसूचनाएं जो कि 28 अप्रैल, 1951 की मूल विस्तार अधिसूचनाओं का संशोधन करती है तथा संशोधित धारा 6(2) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं, जो कि अधिनियम की अनुसूची को संशोधित करती हैं अनुचित हैं तथा इन्हें पुनः वैधता प्रदान करने की आवश्यकता है।

उच्चतम न्यायालय ने 25 नवम्बर, 1975 को निर्णय दिया कि दिल्ली के बिक्री कर आयुक्त ने केन्द्र सरकार को फैसले में ध्यान दिलाये गये दोषों के निराकरण हेतु अध्यादेश के रूप में एक विधान लाने का अनुरोध किया। अतः यदि वैधता प्रदान करने वाला विधान नहीं बनाया जाता तो दिल्ली प्रशासन को कितने धन की वापिसी करनी पड़ेगी। और इस सम्बन्ध में वास्तविक तथ्य क्या हैं, उन सभी अधिसूचनाओं के बारे में भी ब्यौरे एकत्र करने होंगे जिनको वैधता प्रदान करनी है। यह भी अनुभव किया गया है कि कराधान सम्बन्धी मामलों में विशेषकर उन मामलों में जिनमें अतीत के दोषों को दूर करना हो विधान अध्यादेश के माध्यम से नहीं बनाये जाने चाहियें। अतः दिल्ली प्रशासन को आंकड़े एकत्रित करने तथा इस सम्बन्ध में एक विधेयक पेश करने के लिये कहा गया। अतः दिल्ली प्रशासन ने 4 जून, 1976 को केन्द्र सरकार को सूचित किया कि महानगरी परिषद् ने विधान के लिये सिफारिश की है और कार्यकारी परिषद् ने इसे स्वीकार कर लिया है। विधेयक प्रेषित करते समय दिल्ली प्रशासन ने इस बात पर बल दिया है कि यदि वैधता प्रदान करने वाला विधान नहीं बनाया जाता तो उन्हें 40 करोड़ रुपये की राशि वापिस करनी होगी। और इस राशि का लाभ केवल विक्रेताओं को ही होगा क्योंकि करदाता जो कि कर का भुगतान कर चुका है इससे कुछ लाभ नहीं होगा।

उपरोक्त स्थिति को दृष्टि में रख कर सरकार ने 29 जून, 1976 को संसद् के चालू बजट अधिवेशन में सभी दोषों के निराकरण के लिये एक विधेयक बनाने का निर्णय लिया और सदन के समक्ष जो विधेयक रखा गया उसमें निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त करने की बात कही गई।

(1) 28 अप्रैल, 1951 की अधिसूचना जिसके द्वारा बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम 1941 का दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिये कुछ संशोधनों के उपरान्त विस्तार किया गया तथा अन्य अधिसूचनाएं जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से संसद् द्वारा अधिनियमित कानून के रूप में समझी जायेंगी;

(2) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) जिसका विस्तार दिल्ली पर किया गया है पूर्व सूचना की आवश्यकता को भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त करने के लिये संशोधित की जायेगी।

(3) उक्त धारा 6(2) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के आधार पर अतीत में की गई कार्यवाही को वैध करना।

मैं यह बात पुन: दोहराना चाहता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य उन कानूनी कमियों को दूर करना है जिनकी ओर उच्चतम न्यायालय ने ध्यान दिलाया है। इसका उद्देश्य केवल अतीत की स्थिति को पुन: स्थापित करना और उसकी पुष्टि करना है।

महोदय, मेरा विश्वास है कि यह सदन इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि विगत अवधि के दौरान दिल्ली राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त विक्रय-कर सम्बन्धी विधि का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने और उक्त अवधि के दौरान कतिपय माल के क्रय या विक्रय पर करों को विधिमान्य करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Hari Singh (Khurja) : Mr. Chairman, Sir, the Bill has been brought forward as a result of the supreme court's judgemet in Lakshminarain *Vs.* Union of India Case. The judgement of Supreme Court created a peculiar situation for the Government.

Delhi is the capital of India. It is one of the biggest centres of trade and commerce in northern India. By virtue of its commanding position in industry and trade it governs the trends of trade and commerce in the country. It is, therefore, necessary to streamline the sales tax administration in Delhi. It is well known fact that many corrupt practices are rampart among businessmen here. In order to evade sales tax they are maintaining two sets of accounts books and evading tax worth crores of rupees. Government have, therefore, rightly decided to streamline the functioning of sales tax department.

Today many persons say that sales tax is quite heavy in our country. It is not correct. It is much less as compared to other countries.

The businessmen and dealers who evade sales tax are doing great harm to our country. They should be treated as anti-social and anti-national elements and must be dealt with severely.

Evasion of sales tax is usually done in collusion with officials of the sales Tax Deapartment. Something should be done in this regard.

I, not only support this Bill, but congratulate the Minister also for bringing forward it.

श्री डी० के० पण्डा (भंजनगर) : जहां तक दिल्ली बिक्री कर का सम्बन्ध है, हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान लीवर के कुछ शाखा प्रबन्धकों और लेखाकारों को बिक्री कर के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था। हमें पता लगा है कि उन्हें 70,000 रुपये की जमानत पर छोड़ दिया गया है। हम जानना चाहते हैं कि उनके विरुद्ध क्या आरोप थे और उन्हें कैसे छोड़ दिया गया है, उन्हें कितनी बकाया राशि देनी थी ? इन बातों को बताया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय निगम हैं और ये अधिक कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं। यह अपराध बिक्री कर से सम्बन्धित है।

सभा भी इस बात को नहीं जान सकती है कि किस तरह के गलत कार्य हो रहे है और वे किस तरह से बिक्री कर की चोरी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन बहुराष्ट्रीय निगमों को कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए। जहां तक उपभोक्ताओं का सम्बन्ध है, उनको बिक्री कर से मुक्त रखा जाना चाहिए।

यह संशोधी विधेयक अच्छा है। इस विधेयक का स्वागत है। परन्तु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि यह विधेयक व्यापक होना चाहिए था। आए दिन इसमें संशोधन नहीं किये जाने चाहिए। इसमें जो भी त्रुटियां हों, उनको दूर किया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अपराधियों को दण्ड देने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं है।

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : सभापति महोदय, दिल्ली में अनेक प्रशासनिक प्राधिकरण हैं। इससे काफी भ्रान्ति पैदा हो गई है। दिल्ली के लिए एक ही प्रशासन होना चाहिए।

कल हम एक ऐसे विधान पर चर्चा कर रहे थे जो दिल्ली के लिये अपनाया जा रहा था। इस विषय में मेरा निवेदन यह है कि भारत की राजधानी दिल्ली के लिये अपना अलग विधान होना चाहिये जो दिल्ली की वित्तीय और प्रशासनिक समस्याओं को हल कर सके। इस प्रकार मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस विधेयक को पेश करते समय मैंने उन कानूनी कठिनाइयों को विस्तार में बताने की कोशिश की थी कि इस विधान को हमें क्यों पेश करना पड़ा है। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने विधेयक की भावना की सराहना की है।

श्री नायक के सुझाव के बारे में मुझे यह कहना है कि गत वर्ष हमने दिल्ली बिक्री कर विधेयक पास किया है और अब दिल्ली में 21 अक्तूबर, 1975 से अपना अधिनियम लागू है।

श्री डी० के० पंडा के इस कथन के बारे में कि खण्डशः यह विधेयक क्यों लाया जा रहा है मुझे यह कहना है कि हमें इस विधेयक को लाने में कोई खुशी नही है। यह तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप आया है। चूंकि यह निर्णय नवम्बर, 1975 में आ गया था और हम उसी समय अध्यादेश द्वारा यह लागू कर सकते थे। परन्तु सभा में व्यक्त किए गए इन विचारों के अनुसार कि कराधान के सम्बन्ध में अध्यादेश जारी नहीं किये जाने चाहिए, मैं इस विधेयक को सभा के समक्ष आपके अनुमोदन के लिए लाया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि सदस्यों ने इसका स्वागत किया है।

श्री डी० के० पंडा : मैंने दिल्ली शाखा के हिन्दुस्तान लीवर लि० के बारे में पूछा था। उन्होंने कर की चोरी कैसे की है, उनके विरुद्ध आरोप क्या थे और उन्हें अब जमानत पर क्यों रिहा कर दिया गया है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जब तक माननीय सदस्य इस विशेष मामले की ओर ध्यान नहीं दिलायेंगे तब तक मैं उसके बारे में कैसे जान सकता हूं।?

(व्यवधान)

Shri M. C. Daga (Pali) : Mr. Chairman, Sir, I would like to know as to what punishm ent has been arranged by them to their anthorities after the judgement of High Court and Supreme Court?

सभापति महोदय : : प्रश्न यह है :

"विगत अवधि के दौरान दिल्ली राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त विक्रय-कर सम्बन्धी विधि का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने और उक्त अवधि के दौरान कतिपय माल के क्रय या विक्रय पर करों को विधिमान्य करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब मैं इसपर खण्डवार विचार शुरू करता हूं । कोई संशोधन नहीं है :—

"कि खण्ड 2, 3, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clausee 2, 3, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

Shri M. C. Daga : Sir, I would like to know from the Finance Minister as to what his Department has been doing after the judgement of High Court and Supreme Court?

Mr. Chairman : It is third reading and you should made it fully clear that you are supporting or rejecting the Bill.

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) विधेयक

Antiquities and Art Treasures (Amendment) Bill.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पुरावशेष तथा बहुमुल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

सभा को याद होगा कि मूल विधेयक 1972 में पारित किया गया था किन्तु इसे लागू करने में कुछ समय लग गया। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकारों से पंजीकरण अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया जिनके वेतन का भुगतान केन्द्रीय सरकार ने करना था। इस सम्बन्ध में विचार विमर्श करने में कुछ समय लग गया। अन्त में 5 अप्रैल, 1976 से यह विधेयक सिक्किम राज्य को छोड़कर समूचे देश में लागू किया गया है।

अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत अधिसूचित नियमो के अनुसार सभी कलाकृति व्यापारियों को अपना पंजीकरण करना है। गैर-सरकारी कलाकृति व्यापारियों को तीन महीने के अन्दर करना है। व्यापारियों तथा निजी रूप से एकत्र करने वालों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें उन्होंने कहा है कि अधिनियम के उपबन्धो के अनुपालन के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। उन्होंने इस बारे में भी शिकायत की है कि उन्हें इस नियम के अनुसार प्रत्येक कलाकृति के चार चित्र पंजीकरण प्राधिकारियों के पास जमा करने हैं। फोटो में काम आने वाली सामग्री की बढ़ती हुई लागत के कारण ऐसे कई व्यक्तियों ने कहा कि चित्रों की चार प्रतियां जमा करना बहुत खर्चीला काम है कलाकृतियों का व्यापार करने वालों के कुछ संघो तथा व्यक्तिगत रूप से कला-कृतियां एकत्रित करने वाले लोगों को सन्देह है कि उनके इस वैध व्यापार पर इन शर्तों का बहुत असर पड़ेगा। इनमें से कई लोगों ने यह भी कहा कि उनको इस बात का पता नहीं है कि उनके पास जो कला वस्तुएं हैं उनमें से कौन सी कलाकृति है जो कि अधिनियम के अन्तर्गत आती है तथा कौन सी नहीं आती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह समझा गया है कि उन्हें कुछ राहत दी जानी चाहिए और इसीलिए एक अध्यादेश जारी किया गया। अध्यादेश के अनुसार उन्हें स्टाक रजिस्टर तैयार करने तथा कलाकृतियों के चित्र तैयार करने में चार महीने का समय दिया गया है। अब लाइसेंस प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 4 अक्तूबर, 1976 है।

यह भी महसूस किया गया है कि कलाकृतियों के कुछ विशिष्ट वर्गों के चित्र सप्लाई करने के सम्बन्ध में भी कुछ रियायतें दी जानी चाहिएं। एक सरकारी आदेश के अनुसार चित्र का आकार एक पोस्टकार्ड के आकार से घटा कर उसके चौथे भाग के बराबर कर दिया गया है और पंजी-करण के लिए अपेक्षित प्रतियों की संख्या चार से घटा कर तीन कर दी गई है। इसी तरह छोटी कलाकृतियों जैसे कांसे की लघु कलाकृतियों, पक्की मिट्टी की बनी मूर्तियों, माइट आदि को एक चित्र में रखा गया है। जिसकी एक-चौथाई आकार की तीन प्रतियां तथा पूरे आकार में छः रखने को कहा गया है।

धारा 18 के संशोधन के द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों और ऐसे किसी निकाय द्वारा चलाये जाने वाले संग्रहालय में, जिन्हें सरकार ने स्वीकृति दे रखी हो, रखी कलाकृतियों को पंजीकरण करने से छूट दी गई है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्रुटि है जो कि हमें बताई गई है क्योंकि इस बात का उल्लेख किया गया है कि कुछ बड़े-बड़े संग्रहालय नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा चलाये जा रहे हैं न कि राज्य सरकारों द्वारा। इसलिए उन्हें प्रत्येक कलाकृति के बारे में विस्तृत ब्यौरा देना पड़ेगा। यद्यपि वे देश के सर्वोत्तम संग्रहालयों में से हैं और वहां से कलाकृतियों के गुम हो जाने की आशंका नहीं है तो उन्हें पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। और इस कारण यह विधेयक लाया गया है।

यह भी निर्णय किया गया है कि हमें इस दिशा में धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए और सभी प्रकार की कलाकृतियों पर यह अधिनियम लागू नहीं करना चाहिए। जिन कलाकृतियों का अवैध रूप से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, हमें उनका चयन करना चाहिए। इसलिए हमने प्रस्ताव किया है कि पत्थर की मूर्तियों, पक्की मिट्टी की मूर्तियों, धातुओं की मूर्तियों, हाथी दांत तथा हड्डियों की मूर्तियों, सभी प्रकार की चित्रकलाओं तथा चित्रों का निर्धारित समय सीमा के अन्दर पंजीकरण कर दिया जाये। जहां तक सिक्कों, हथियारों, तगमों, फर्नीचर, कपड़ों तथा चित्र रहित हस्तलिपि जैसी अन्य वस्तुओं का सम्बन्ध है, फिलहाल इन वस्तुओं को पंजीकरण से दूर रखा गया है किन्तु धीरे धीरे इन्हें भी विधेयक के अन्तर्गत लाने का विचार है।

पंजीकरण की व्यवस्था की जा चुकी है जिसमें 104 पद पंजीकरण अधिकारियों के हैं वे सब अधिकारी परस्पर राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में हैं। 31 जुलाई, 1976 तक लगभग 40 आवेदन पत्र लाइसेंस के लिए प्राप्त हो चुके हैं। सारे देश में 31 जुलाई, 1976 तक पुरावशेषों के पंजीकरण के लिए 5075 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

इस कानून का सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि कई लोग, जिन्होंने कि कलाकृतियों को एकत्रित किया था अब उपहार या ऋण के रूप में देश के संग्रहालयों को दे रहे हैं। विधेयक की, जिसे राज्य सभा ने पास कर दिया है, ये ही मुख्य बातें हैं।

Shri K. M. 'Madhukar' (Kesaria) : Sir, I congratulate the Hon'ble Minister for bringing this Bill. It shows his interest in history and culture of the Country. It is also heartening to know that he has taken an initiative to get back the art objects from those countries to which they were taken during colonial rule.

Wherever you go in the country you will find the art and culture of India safe in the temples and caves in the shape of Sculptures and idoles which shows what a great country India is. It is a praiseworthy work on the fact of the Hon'ble Minister that for the preservation and Safe Custody of the antiquities and art objects he has brought this bill.

The imperialist rulers looted the Country of its art objects and antiquities. In the Sixtees also valuable statues, sculptures, manuscripts and other anticquities which were of cultural heritage of our country, were smuggled out of the country. It was due to the efforts of the great sons of India such as Rahul Sankritayan that some valuable ancient Scripts were collected from abroad and preserved in the country, while doing repairs to Kutub Minar some Hindu and Jain idoles were found. The facts in this regard should be found out to that light may be thrown on the history of India. The excarations is in Mohanjodharo and Harappa are bringing to light so many facts of history.

There are still a number of places where lay hidden art treasures of great historical importance. The Government can undertake digging in such places to get precious antiquities.

It is a matter of great importance that our ancient monuments and art objects are properly preserved. The Government should take measures to see that the beauty of our monuments and art objects which was affected by the passage of time is preserved.

It is good that in spite of some difficulties the bill has been brought and efforts have been made to remove certain difficulties. But the artists who prepare statues and other works of art do not get proper price for their art objects. Steps should be taken to remove the difficulties of these people.

It is not enough to pass legislation for checking smuggling of our antiquities and their proper preservation. There is need for educating the people about the value of antiquities for the country.

Stringent punishment should be given to those traders who sell valuable art treasures to foreign bodies or individuals. Steps should also be taken by Government to get back our antiquities which are in foreign countries. Those persons who help in bringing to book smugglers of art objects should be suitably rewarded.

Research work should be encouraged to find out methods for proper preservation of art objects.

I would also like to say that it would not be proper to leave the responsibility of museums on State Governments. The subject of preservation of antiquities should be included in the Concurrent list.

With thise words I support the bill.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : Mr. Chairman, Sir, this bill though a small one is very effective. It is a historic step taken to protect our antiquities and valuable art objects. It is hoped that suitable steps would be taken by the Government to recover our valuable art objects which were stolen.

The provision made in the bill is quite justified and reasonable.

I think not only the members of this House but all the Countrymen feel grateful for bringing this bill. The Hon'ble Minister has taken up a historical step.

Our Country is the treasure of antiquities and art and this shows how much ancient our Country is. But the work of protection and maintenance thereof has not been made in the manner in which it should have been made. Now after the passing of this bill this purpose will be served.

I remember that in 1947 the export of idols and ancient art objects was banned by a Law but in spite of that the export continued. I would therefore urge upon the Hon'ble Minister that stringent punishment should be given to the culprits.

Old statues that were taken out of the country should be brought back and I hope Government will be successful in this. In fact it is not the sole responsibility of the Union Minister for Education because all these things are in the states and therefore they should also be given responsibility. A meeting should be convened in which Ministers of the various states should be invited for discusssion on the question of proper arrangements for the preservation of antequities and art objects. A strict watch should be kept on the foreign agents who ate expert in this business so that this smuggling comes to an end.

The cooperation of local bodies should also be saught and they should be given some responsibility in this regard.

Mr. Chairman : Will you have confidence on Rotary Clubs and Lions Club about whom it has been heard that even the subscriptions go to foreign countries.

Shri Jagannath Mishra : Sir, we should encourage honest bodies and take work from them and I hope this will stop thefts. With these words I support the bill.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारा देश सभ्यता का उद्गम स्थल है और हजारों वर्षों के क्रमिक विकास के बाद एक सुन्दर सा चित्रपट उभर कर सामने आया है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों ने आपस में गुंथ कर भारत को एक सुन्दर कलागृह बनाया है। यह देश सदियों से मानव द्वारा निर्मित कलाकृतियों तथा पुरावशेषों का भण्डार है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह इनकी न केवल चोरी ही रोके अपितु इनकी समुचित व्यवस्था भी करे।

मैं बहुत समय से इस सभा का सदस्य हूं और दस वर्ष पहले सुना था कि कुछ चित्रकारी की, जिस पर जहांगीर के हस्ताक्षर थे, जयपुर संग्रहालय से तस्करी हुई। दक्षिण भारत से नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति भी ले जाई गई जिसे वापस लाने के लिए सम्भवतः बातचीत चल रही है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इस प्रकार कई वस्तुओं के चले जाने के बारे में कहा।

मैं 1957 में जब इस सभा में आया था तो तभी से मैंने भूतपूर्व शिक्षा मंत्रियों से अनुरोध किया कि इंडिया हाउस पुस्तकालय से पुस्तकें मंगाई जानी चाहिए। यदि पुस्तकें न मिलें तो इनकी फिल्में तैयार कर सुरक्षित रखी जानी चाहिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण अंश हैं।

कोहिनूर हीरे को वापस लेने के लिए हमें ब्रिटिश सरकार से बातचीत करनी चाहिए। ईरान से हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं और हम उनसे मोर सिंघासन वापस ले सकते हैं और फिर उसे लालकिले में उपयुक्त स्थान पर लगा सकते हैं।

मैं हैदराबाद के सलार जंग की सराहना करता हूं कि उन्होंने कलाकृतियों को एकत्र करने में बहुत पैसा लगाया और उनका संग्रहालय देश का सबसे अच्छा संग्रहालय है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र बेलर वान्डी में संग्रहालय है। यह केवल नाममात्र का संग्रहालय है वहां मूर्तियां आदि हैं किन्तु उनकी देख-भाल के लिए वहां कोई नहीं है। पुरावशेषों की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है।

स्मारक दो प्रकार के हैं। एक राष्ट्रीयमहत्व के और दूसरे राज्य महत्व के। जो राष्ट्रीय महत्व के हैं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी केन्द्र पर है और राज्यमहत्व के स्मारकों की जिम्मेदारी राज्यों पर है। मैं स्पष्टरूप से यह कह देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो कुछ किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया है। स्मारकों को नमी, धूप, हवा तथा रेत से बचाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये हैं। कोणार्क में सभी सुन्दर मूर्तियां रेल, हवा और धूप से घिस गई हैं। इनका रसायनिक उपचार किया जाना चाहिए और इनकी समुचित रक्षा की जानी चाहिए।

बाजार में जाली कलाकृतियां अधिक मूल्य पर बेची जा रही हैं। नई चीजों को कुछ प्रक्रिया द्वारा पुराना बनाकर बेचा जाता है। बेचारे पर्यटकों को लूटा जाता है। इस बात का पता लगाने के लिए सरकार को कोई प्राधिकार नियुक्त करना चाहिए जो कि यह बता सके कि अमुक कलाकृति वास्तविक है या नकली। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri M. C. Daga (Pali): Rajasthan state is going to be affected the most by the provisions of this Bill, because every home there is having some or the other art treasures. I shall still press for adopting the amendment I have given notice of. The original act was passed in 1972, but it has been enforced in 1976 *i.e.*, after 4 years of passing the bill.

[SHRI G. PARTHASARTHI *in the Chair*
श्री जी० पार्थसारथी पीठासीन हुये]

We would like to be informed as to how the various provisions of the Act have been complied with. We should also be given state-wise details of applications received for licences.

The definition of antiquity as given in the Bill is very wide. You can find antiques in every home. You ask for five copies of photographs thereof. This is I think much expensive a preposition and it will cause hardship, to the layman possessing works of art. I think the purpose of enactment of this law was to check smuggling. Government should have confined its scope only to that. Only the antique dealers should have been required to obtain licences. Antiquities kept in temples or museums have now been brought in them the purview of this Bill. Whether the temples or museums will have to furnish copies of photographs of antiquities kept therein. If so, is it not unfair to ask them for such photographs? The whole-thing has been confused by bringing temples, museums and educational institutions in the purview of the Bill. The period of 15 days should have been increased. If should at least the made one month. Unless this measure is restricted to dealers, I am afraid it will be misused by vested interests.

श्री रानेन सेन : (बारासाट) : यह अच्छी बात है कि अब पंजीकरण आदि आवश्यक होगा। पर देश में आज भी अनेकों पाण्डुलिपियां, चित्र, मूर्तियां आदि छिपी पड़ी हैं जिनकी खोज नहीं हुई है। कुछ ऐसी कृतियां हैं जिनका पता लग गया है पर उनका समुचित संरक्षण नहीं हो रहा है। एशियाटिक सोसाइटी के पास अनेक कलाकृतियां हैं। उनकी भी अच्छी प्रकार देखभाल नहीं की जा रही है। मैंने इस बारे में एक प्रश्न भी रखा था पर अतारांकित होने के कारण मैं अनुपूरक प्रश्न न पूछ सका। इस सोसाइटी के पास जो कलाकृतियां हैं उनके रखरखाव के बारे में विवाद है। इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। भारत सरकार को इन सभी बहुमूल्य मूर्तियों, पाण्डुलिपियों, बुतों और चित्रों को सुरक्षित रखने और उनकी देखभाल करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए।

राष्ट्रीय ग्रंथालय में विभिन्न प्रकार की पाण्डुलिपियां पड़ी हुई हैं। पर वहां अभी तक भी उपयुक्त पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। इन बहुमूल्य पाण्डुलिपियों के संरक्षण के लिए उचित वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। ये अब राष्ट्रीय ग्रन्थागार में सड़ रही हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन पाण्डलिपियों की समुचित रक्षा हो और उनकी देखभाल हो।

बिहार और बंगाल में बड़ी संख्या में बहुमूल्य कला वस्तुएं उपलब्ध हैं। माल्दा जिले में एक पठान मस्जिद है जिसे अदीना मस्जिद कहा जाता है। इन पुरावशेषों की कोई भी देखभाल नहीं कर रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है। हमें अपनी पुरानी हिन्दू सभ्यताओं का, जो जमीन में दबी पड़ी हैं, पता लगाने के लिए नई खोजें करनी चाहिएं। इन वस्तुओं की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों का केन्द्र सरकार द्वारा समुचित मार्ग दर्शन किया

जाना चाहिए और उनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक दोनों ही प्रकार की कठिनाइयां दूर की जानी चाहिए।

श्री बी० बी० नायक : (कनारा) : माननीय मंत्री जी सर्वप्रथम यह फैसला करें कि यह विधेयक तथा इसका उद्देश्य संविधान में वर्णित नीति निदेशक सिद्धान्तों के अनुरूप है। समझ में नहीं आता कि किसी कला-वस्तु विशेष के मूल्य को जाने बगैर पंजीकरण की इस प्रक्रिया से निदेशक सिद्धान्तों का अनुसरण करने में हमें कहां तक सहायता मिलेगी। यदि आप बेलूर मन्दिर में से वहां की कलाकृतियों का नीलाम करें तो उनका मूल्य करोड़ों में नहीं अपितु अरबों में होगा। इसी प्रकार की कृतियां राजस्थान, बिहार आदि राज्यों में हैं। इनकी समुचित देखभाल क्यों नहीं की जाती।

राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों का पालन करनेके लिए सबसे पहली बात यह है कि निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। इसलिए पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं पर फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संविधान के अनुच्छेद 49 को पूर्ण महत्व नहीं देता। इसके लिए अधिक कठोर विधान की जरूरत है। आशा है मंत्री जी शीघ्र ही इस प्रकार की व्यवस्था वाला विधेयक लायेंगे।

प्रो० एस० नूरुल हसन : महोदय, मैं माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विधेयक का पूरा समर्थन किया है। मैं उनको आश्वासन दिलाता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में दिये गये अमूल्य सुझावों पर सम्मानपूर्वक विचार करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सुझावों के कार्यान्वयन से देश को बहुत लाभ होगा। सबसे पहले जो बात उठाई गई है वह उपनिवेशवादी समय में हमारे देश के बाहर ले जाई गई तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश से तस्करी की गई बहुमूल्य कृतियों के बारे में है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : किन्तु तख्त-ए-ताऊस का क्या हुआ ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : मुझे इसके बारे में बताया गया है कि यह तेहरान में है। मैं वहां गया था किन्तु यह वहां नहीं है। चूंकि अनेक विकासशील देशों ने यूनेस्को कन्वेंशन को स्वीकार नहीं किया अतः हम उन देशों में से कुछ के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं कि जिन कलाकृतियों को इस देश से अवैध रूप से ले जाया गया है उन्हें वापिस लाया जाये। इस सम्बन्ध में विकासशील देशों की सरकारों का हमें बड़ा ही सहयोग प्राप्त हो रहा है। अभी हाल में ही हमें शिवपुरम् नटराज की प्रतिमा का स्वामित्व प्राप्त हो गया है और हम ने आगामी दस वर्ष के लिये इसके सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति दे दी है इसके पश्चात् इसे अमेरिका से भारत वापस लाया जा सकेगा। उसी प्रकार ब्रिटेन में भी हमें नालन्दा से चोरी/तस्करी की हुई मूर्तियों का पता लगाने के सम्बन्ध में काफी सहयोग मिला है। इस सम्बन्ध में मैं भारत के पुरातत्व विभाग के और सी० बी० आई० के उन अधिकारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मूर्तियों की तस्करी पर रोक तथा कलाकृतियों को वापस लाने के सम्बन्ध में अत्यधिक कार्य किया है। हम ने शिल्प कलाकृतियों की सुरक्षा के लिये स्मारक एटेंडेंटों की संख्या बढ़ा कर 2500 कर दी है।

अजन्ता के चित्रों के विकृत होने के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है। इस सम्बन्ध में उनकी शंकायें निर्मूल हैं। हमारे भारतीय विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अजन्ता के चित्रों के रंग फीके नहीं पड़ रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमने अमरीका के स्मिथसोनियन संगठन के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ की भी राय ली है। युनेस्को ने भी हमारे अनुरोध पर दो विशेषज्ञ भेजे थे और उन सभी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों का समर्थन किया है। बहरहाल सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

ताजमहल की स्थिति अभी बिल्कुल सन्तोषजनक है। हमने हाल में ही आगरा में वायु और जल प्रदूषण सम्बन्धी प्रभावों की जांच करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है और हम मथुरा में शोधनशाला की स्थापना से सम्भावित प्रभावों की भी जांच कर रहे हैं।

हमने राष्ट्रीय स्मारकों की देखभाल में जनता का सहयोग भी प्राप्त करना आरम्भ कर दिया है। गत वर्ष विश्वविद्यालय, कालेज और स्कूल के छात्रों को अपने निकट के स्मारकों की देखभाल का कार्य सौंपने सम्बन्धी एक रूचिकर कार्यक्रम आरम्भ किया गया था और उसके परिणाम उत्साहवर्धक हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय ने स्कूलों के लिये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किया है ताकि हमारे लोग सांस्कृतिक परम्परा को समझ सकें।

इस देश में कई ऐसे स्थल हैं जहां से हमें कई प्रकार की बहुमूल्य कृतियां प्राप्त हो सकती हैं। खुदाई का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है, यदि खुदाई जल्दबाजी में अथवा अयोग्य व्यक्तियों द्वारा अनियोजित ढंग से की जाएगी तो इससे लाभ के बजाय हानि ही होगी। इसलिये इस दिशा में हम सतर्कता से शनैः शनैः आगे बढ़ रहे हैं।

मैंने कोणार्क को ढांचीय संरक्षण और रसायनिक उपचार दोनों ही दृष्टियों से ध्यानपूर्वक देखा है वहां सराहनीय ढंग से काय किया जा रहा है और सूर्य मन्दिर के विलक्षण भित्ति चित्रों और मूर्तियों को कोई खतरा नहीं है। उडीसा में रत्नगिरि में दुसरा संग्रहालय स्थापित करने की योजना है यहां पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बौद्ध स्थल की खुदाई की है। डा० रानेन सेन ने अदीना मस्जिद का उल्लेख किया है। इस मस्जिद की देखभाल केन्द्रीय सरकार करती है और इस के बारे में हर वर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है।

चोरी और तस्करी का जहां तक सम्बन्ध है इसके लिये हमने राज्य सरकारों का सहयोग मांगा है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि उन्हें सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिये। मीमा शुल्क अधिकारी इस बात के लिये प्रशिक्षित किये गये हैं कि वे इस बात का पूरा निरीक्षण करें कि तस्करी की कोई गतिविधि न हो पाये। केन्द्र सरकार ने भी इस सम्बन्ध में कुछ कुख्यात तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की है। हम ब्रिटिश सरकार के साथ भारतीय लाइब्रेरी आफिस के बारे मे पत्र-व्यवहार कर रहे हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं . . . .

श्री पी० के० देव : पिछले 25 वर्षों से . . . . .

प्रो० एस० नूरुल हसन : यह हमारे हाथों में नहीं है। किन्तु माननीय सदस्य के अन्य सुझाव पर कार्यवाही की जा रही है। जब तक इस आफिस से स्वामित्व का निर्णय नहीं हो जाता हमने उस रिकार्ड की फोटो लेने के बारे में भी पत्र-व्यवहार किया है जो कि हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय में उपलब्ध नहीं है। आशा है इस कार्य को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

धारा 18 के अन्तर्गत केवल उन अजायबघरों को छूट दी गई है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के नियंत्रण में है। कुछ अन्य अजायबघरों तथा कुछ गैर-सरकारी अजायबघरों को भी इसके अन्तर्गत लाने पर विचार किया जा रहा है। सालार जंग संग्रहालय पहले ही राष्ट्रीय संस्था घोषित किया जा चुका है और इसकी देखभाल के लिये भी केन्द्रीय सरकार ही धन देती है।

हमने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रीय रिकार्डों के सर्वेक्षण द्वारा रिकार्डों तथा पांडु-लिपियों के सर्वेक्षण की व्यवस्था की है। हमने पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन मूर्तियों और अन्य कला वस्तुओं की गांव गांव में सर्वेक्षण करने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों की भली भांति देखभाल की जाती है और इन्हें वातानुकूलित कक्ष में रखा हुआ है। वंग साहित्य परिषद् के बारे में नियुक्त जांच समिति के प्रतिवेदन पर भी विचार किया जा रहा है।

मेरे मित्र श्री नायक ने अनुच्छेद 49 का उल्लेख किया है। मैं उनका ध्यान प्राचीन स्मारक अधिनियम की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। राज्य स्तर के स्मारकों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है।

जहां तक निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का सम्बन्ध है, अधिनियम का उद्देश्य प्राचीन कलाकृतियों के निर्यात को रोकना ही है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सभा के समक्ष रखता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

सभापति महोदय प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक

ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, सप्लाई, वितरण और मूल्य तथा व्यापार के लिये पास किया गया था । इस समय 61 आवश्यक वस्तुयें घोषित की गई हैं जिनमें खाद्यान्न, चीनी, बनस्पति, औषधियां और कपड़ा तथा ऐसी ही अन्य वस्तुयें हैं जिनकी देश के नागरिकों को प्रति दिन आवश्यकता पड़ती है ।

1955 से लेकर मूल अधिनियम में समुचित संशोधन किये गये हैं, जिससे इसके उपबन्ध अधिक कारगर बन सकें । विधि आयोग के 47वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखकर 1974 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसके द्वारा अधिनियम के दण्ड सम्बन्धी उपबन्ध और कड़े बनाये गये, जिससे जमाखोरी, मुनाफाखोरी और आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में प्रचलित अन्य गलत कार्यों को रोका जा सके ।

राज्यों के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रियों के 1974 और 1975 में हुये क्षेत्रीय सम्मेलनों की सिफारिशों के परिणामस्वरूप कुछ संशोधन सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जरूरी हो गये थे ।

मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्यगण जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा ऐसे ही अन्य समाज विरोधी तत्वों को समाप्त करने सम्बन्धी उपायों को कठोर बनाने के सरकार के उद्देश्य से सहमत होंगे । माननीय सदस्यों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिये उठाये जा रहे सरकार के विभिन्न कदमों की भी जानकारी होगी । मुझे विश्वास है कि समूचा सदन प्रस्तावित संशोधनों से सहमत होगा ।

हम ऐसे भी कदम उठा रहे हैं कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण में किसी तरह की रुकावट न आये, विशेष रूप से बड़े बड़े त्योहारों के अवसर पर । मुझे आशा है कि इस विधेयक के पास हो जाने से सरकार के हाथों में और शक्ति आ जाएगी ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

कुछ माननीय सदस्यगण : हम इसे कल के लिये ले सकते हैं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है । चूंकि कुछ विधेयक राज्य सभा में जायेंगे, इसलिये उनको वरीयता दी जानी होगी । इन विधेयकों को पहले लिया जाएगा उसके बाद इस विधेयक को । सभा के स्थगित किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : मुझे आशा है कि सभा संसदीय-कार्य मंत्री के प्रस्ताव से सहमत है ।

माननीय सदस्यगण : जी, हां ।

सभापति महोदय : सभा कल सुबह 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 25 अगस्त, 1976/3 भाद्र, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday August, 25 1976/ Bhadra 3, 1898 (Saka).

म० प्र० भा० स० मु० मि० दो० न० दि०—एल०एस०III1738—एल०एस०—4-10-76—200
GMGIPND—LSIII—1738 LS—4-10-76—200

P. L. S. 48. LXIII. 10.76 (N)

200

©1976 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और मुख्य व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

©1976 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Cond of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and Printed by the Gen. Manager, Government of India Press, Minto Road New Delhi